खण्ड-141, अंक-2
सोमवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(20 सितम्बर, 1954 ई0)

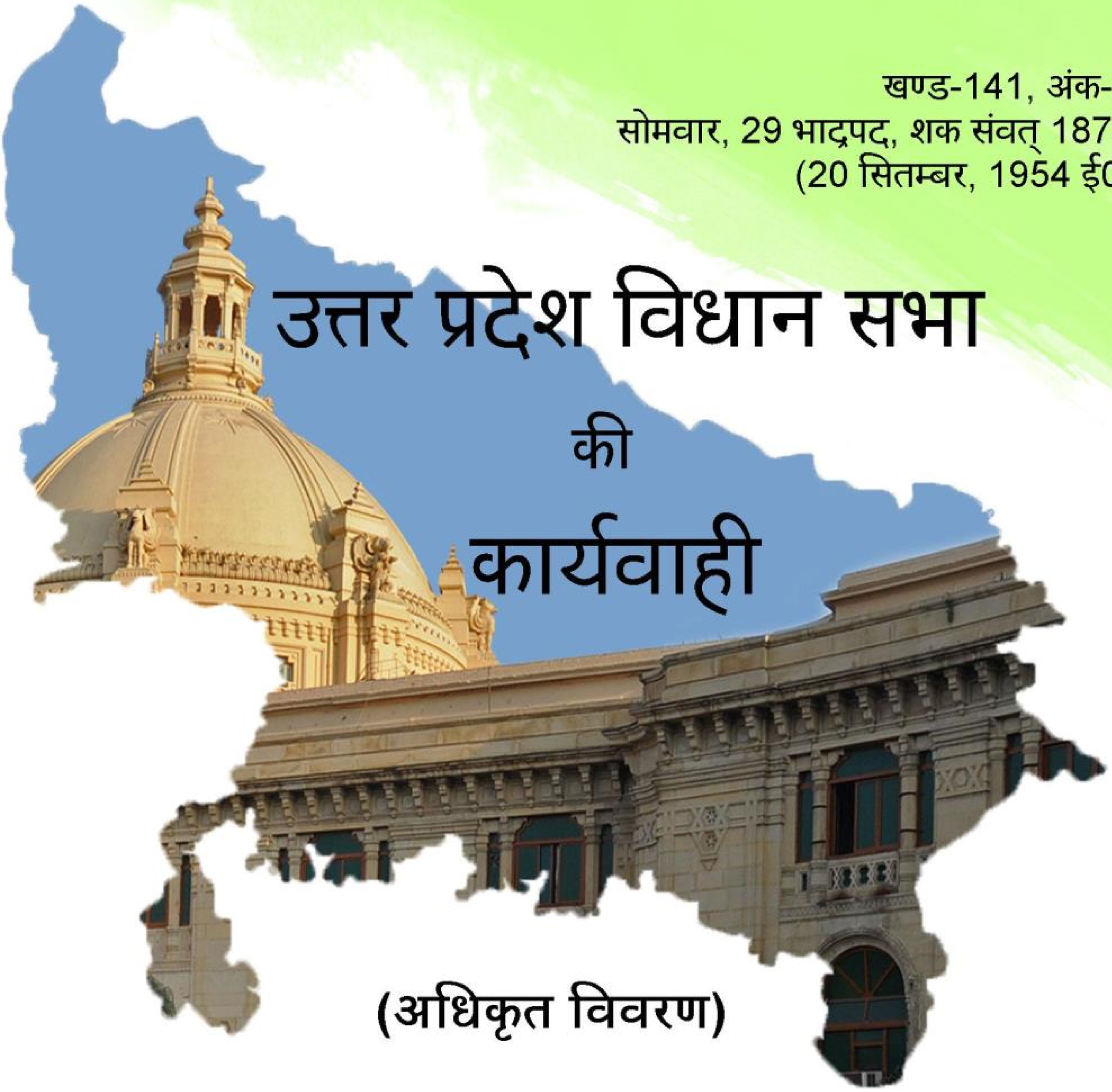

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबू नन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त,श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मुन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वंशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में समान भूमियों की मालगुजारी में भिन्नता

*१—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि एक ही तरह की भूमि की मालगुजारी या लगान की दरें समान नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

मालमंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी हां, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २४५ व २४६ में वह सिद्धांत दिये हुये हैं जिनके मातहत भूमिधरों वा सीरदारों की मालगुजारी कायम की गई है। जमींदारी विनाश से पहले लगान जमींदार वा काश्तकार आपस ही में तै करते थे। काश्तकारान शरह मुअय्यन का लगान दवामी बन्दोबस्त (permanent settlement) के बाद से अब तक न बढ़ाया गया है और न घटाया गया है। काश्तकारान दखीलकार का लगान १९१४ से पहले किसी साल में कायम हुआ होगा। यह बहुत मुमकिन है कि बहुत से काश्तकारान दखीलकार का लगान उन्नीसवीं सदी में कायम हुआ हो। काश्तकारान हकदार में बहुतों का लगान उस जमाने में कायम हुआ होगा जब कि गल्ला बहुतसस्ता बिकता था, यानी १९३१ से १९३९ तक और बहुतों का उस जमाने में जब गल्ला बहुत महंगा था, यानी १९३९ से लेकर १९५२ तक। क्योंकि लगान तै करने में गल्ले की कीमत किस्म जमीन, जमीन की मांग, नजराना रिश्तेदारी और आपस के ताल्लुकात वगैरा का खयाल किया जाता था, इसलिये एक ही किस्म की जमीन का लगान मुख्तलिफ हो सकता था और है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि-व्यवस्था अधिनियम के बनने से पहले जो विभिन्न प्रकार के काश्तकारान थे जैसे काश्तकारान शरह मुअय्यन, काश्तकारान दखीलकार और काश्तकारान हकदार इन सब का भेद इस अधिनियम में मिटा दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उनका रेट तो वही है जो पहले था। इस वक्त उनकी जगह वही काश्तकारान कायम हैं। उनके रेट में कोई तब्दीली नहीं हुयी है। अब जो मौजूदा विधेयक भवन के सामने है उसमें जिन लोगों का लगान ज्यादा था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब विभिन्न प्रकार के काश्तकारों के भेद मिटाकर केवल तीन प्रकार के काश्तकार भूमिधर, सीरदार और असामी ही सरकार रख रही है तो फिर मालगुजारी में जो विभिन्न प्रकार का भेद है उसको मिटाने के बारे में क्या सरकार निकट भविष्य में विचार करने जा रही है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस समय भी आपसी ताल्लुकात के ऊपर मालगुजारी में कमी-बेशी होती है ?

श्री चरणसिंह---आपसी ताल्लुकात का अब कोई सवाल नहीं है । अब तो गवर्नमेंट से सीधे संबंध हो गया है ।

श्री गेंदासिंह---मैंने सुना नहीं कि माननीय राजस्व मंत्री ने क्या कहा ?

श्री चरणसिंह---मैंने अर्ज किया कि आपसी ताल्लुकात की बिना पर जमींदार और काश्तकार के माबैन जो लगान तै हुआ था उसका असर पड़ा लेकिन अब तो यह प्रश्न नहीं उठता जो वह पहले से देते हैं वही दे रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या इस समय भी सरकार के जमाने में जोतने वाले के आपसी ताल्लुकों के कारण लगान में कोई असर पड़ता है ?

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, दरअसल फूडस्टफ और दूसरे किसानों की पैदावार को देखते हुये मालगुजारी बढ़ाने के लिये केस तो मौजूद है लेकिन क्योंकि हम जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में कमिटमेंट कर चुके हैं इसलिये नहीं बढ़ाया गया । जिन लोगों का लगान बहुत ज्यादा था यानी सर्किल रेट से दुगने से भी ज्यादा था, उनका कम जरूर किया जा रहा है । जिनका लगान कम है उनका अगर चे कि बढ़ा दिया जाय तो उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये लेकिन क्योंकि कमिटमेंट है इसलिये बढ़ा नहीं रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार जो तीन किस्म के काश्तकार रक्खे गये हैं उनके अनुसार ही तीन किस्म की मालगुजारी कायम करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---सरकार तो अपना इरादा बता चुकी है ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक ही किस्म की जमीन के हैरेडेटरी रेट्स दो जिलों में भिन्न-भिन्न हैं ?

श्री चरणसिंह---मालगुजारी के हैरेडेटरी रेट्स भिन्न नहीं हैं । वह तो जमीन की किस्म के मुताबिक जो यूनिवर्सल रूल्स थे उनके मुताबिक सैटिलमेंट आफीसर ने तय किये थे । सौइल क्वालिटी में भिन्नता की वजह से ही भिन्नता है ।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या हेरेडेटरी रेट्स की बिना पर एक एकड़ जमीन की किसी एकजिले में जो मालगुजारी है उसी प्रकार की जमीन की दूसरे जिले में २ एकड़ की मालगुजारी है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन काश्तकारों का लगान कम था सरकार ने उसको बढ़ा दिया है ?

श्री अध्यक्ष---जवाब दिया गया कि नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक ही प्रकार की भूमि के लगान में जो भिन्नता है, वह कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री चरणसिंह--कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा सकती।

नैनीताल तराई के ग्राम प्रतापपुर में धान के पौधों में विकार

****२---श्री बद्री नारायण मिश्र** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नैनीताल तराई में तहसील किच्छा के ग्राम प्रतापपुर में धान के पौधों में एक प्रकार की बीमारी पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसका क्या उपचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय सदस्य द्वारा प्रतापपुर ग्राम में तथा कथित बीमारी की सूचना सरकार को ३० अगस्त को प्राप्त हुई। प्रदेशीय कृषि रक्षा सेवा द्वारा ३१ अगस्त को प्रतापपुर तथा गंगापुर ग्रामों में २२० एकड़ धान के क्षेत्रफल का निरीक्षण किया गया। इस क्षेत्रफल में केवल ३२ एकड़ में धान के पौधे लाल होते हुये पाये गये। खेतों में पानी की ज्यादती के कारण धान टाइप २१ तथा हंसराज धानों में उक्त विकार पैदा हो गया था, किसी बीमारी के कारण नहीं। यह देखा गया है कि जिन खेतों में धान की फसल में यह विकार उत्पन्न हो गया था उनमें से पानी का बाहुल्य दूर करने से फसल फिर ठीक हो गई।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने इस बीमारी का पता लगाने की कोशिश की और अगर कोशिश की तो किनके जरिये ?

श्री चरणसिंह---बीमारी तो कोई थी नहीं, पानी ज्यादा भरा हुआ था उनमें यह जवाब में कहा गया है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ बस स्टेशन व वर्कशाप के भवनों के निर्माण पर व्यय

***१---श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण में १६,५१२ रुपया लगा है।

***२---श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ वर्कशाप के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आजमगढ़ वर्कशाप के निर्माण में कुल ९२,२०६ रुपया व्यय हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण में जो इतना रुपया व्यय हुआ है उससे कितने भवन बने हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बस स्टेशन पर एक बस स्टैंड, एक गाड़ियों के लिये शेड है, एक यात्रियों के लिये शैड है, एक लैटरिन और यूरिनल है, ५ दूकानें इत्यादि हैं, एक सहायक रिजनल मैनेजर का कार्यालय है, एक स्टेशन अध्यक्ष का आफिस है। वर्कशाप में अहाते की दिवालें हैं, फाटक है, उसके रखरखाव के लिये शेड है, गाड़ियों के रंगने के लिये शेड है, हल्के मरम्मत के लिये शेड है, भारी मरम्मत के लिये शेड है, इसके अलावा मशीन रूम, स्टोर, लोहारखाना। पुरजे, मरम्मत करने का कमरा है, सड़कें वगैरह बनी हैं, लैटरिन है, बाथरूम है। दोनों सवालों की तफसील यही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या इस बस स्टेशन में वह बस स्टेशन भी शामिल है जिसमें कि बरसात के वक्त में पानी लगा रहता है और यात्रियों को तकलीफ होती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसकी बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वर्कशाप का जो भवन बना है क्या इसके व्यय में उस वर्कशाप का भी रुपया शामिल है जो प्रबल वायु के वेग के कारण उड़ गया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मेरे खयाल में वह इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग की नीति यह है कि अगर कोई चीज वक्त मरम्मत या बीच में बनाते वक्त खराब हो जाती है तो ठेकेदार के कास्ट पर ही फिर उसको रिप्लेस और दुरुस्त कराया जाता है। यहां तक कि साल दो साल के बाद भी डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसके लिये ठेकेदार ही जिम्मेदार बनाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कितने भवन थे जो प्रबल वायु के वेग से उड़ गये थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---भवन नहीं थे, सिर्फ टीन के शेड थे। उसके जो खम्भे खड़े हुये थे वे खम्भे गिर गये थे।

जौनपुर जिले में सई और गोमती नदियों की बाढ़ से ज़मीन का कटाव तथा उसकी रोकथाम

*३---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सई और गोमती नदियों के कारण किन-किन ग्रामों में इस वर्ष के बाढ़ के कारण जमीनों का कटाव अधिक हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---उक्त वर्ष (१९५३) में सई नदी में बाढ़ के कारण तहसील मछलीशहर के ४५ ग्रामों, जिनकी सूची संलग्न है, में जमीन का कटाव अधिक हुआ था।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०१ पर।)

*४---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कटाव उपर्युक्त नदियों के कारण हुआ है उसको रोकने के लिये सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---गोमती और उसकी उपनदियों के दोनों तरफ बन लगाने की योजना सरकार ने चालू कर दी है और उसका काम अप्रैल, १९५४, से शुरू हो गया है। यह काम वन विभाग में हो रहा है।

*५---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके लिये कितना धन दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस योजना पर पांच लाख रुपया सालाना खर्च होगा लेकिन क्योंकि यह योजना दो नदियों (गोमती व राप्ती) से सम्बन्ध रखती है इसलिये यह अभी नहीं कहा जा सकता कि गोमती और सई के सिलसिले में कितना खर्च होगा।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सई के अतिरिक्त गोमती नदी से भी मेढ़ा लगायत सुतौली घाट तक के ग्रामों तक जमीन का कटाव अधिक हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कटाव के कारण ही योजना बनी है, कहां-कहां अधिक हुआ है इसकी छानबीन होगी तो पता चलेगा ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसकी छानबीन कब तक होगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी तो नक्शे बनाने का काम शुरू किया गया है कि कितनी जमीन जंगल विभाग में है और कितनी गांव समाजों के जंगल विभाग में है,कौन सी जमीनें काश्तकारों के कब्जे में हैं और किन-किन जमीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इन नक्शों के बनने में समय लगेगा, यह काम ऐसा नहीं है कि साल में १५ महीने में या दो बरस में हो जाय, समय लगेगा।

नैनीताल कचहरी के कर्मचारियों का नियंत्रण तथा उनकी अपीलों की सुनवाई

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल कचहरी में काम करने वाले कर्मचारियों (Establishment) का नियन्त्रण तराई भावर के ए० डी० एम० करते हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--- जिला नैनीताल की कचहरी में काम करने वाले कर्मचारियों (Establishment) का नियंत्रण ए० डी० एम०, नैनीताल करते हैं। तराई भाबर के लिये कोई पृथक ए० डी० एम० नहीं है।

*७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनीताल कचहरी के कर्मचारियों की वैभागिक अपीलों की सुनवाई कौन अधिकारी करते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---नैनीताल कचहरी के कर्मचारियों की वैभागिक अपीलों की सुनवाई श्रीमान् डिप्टी कमिश्नर साहब इन्चार्ज कुमायूं डिवीजन करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पिछले एक साल में ए० डी० एम० नैनीताल के जूरिसडिक्शन का चार्ज साल में ३ बार बदला गया है, ३ बार व्यवस्था में अदला-बदली हुई है ?

श्री चरणसिंह---दो बार बदला गया है, दूसरी बार तो अभी बदला गया है तो साल भर में तो एक ही बार बदला गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस व्यवस्था के बदले जाने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आपका यह प्रश्न नहीं था, आपने मूल प्रश्न में पूछा है कि नियंत्रण कौन करता है। इसलिये आप अन्य प्रश्न को परसू न करें, मैंने पहले इजाजत आप को दे दी थी, सिर्फ एक भिन्न प्रश्न पूछने की।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पिछले साल तक और इस साल की बदली से पहले भी क्या ए० डी० एम० तराई भावर ही यह काम करते थे ?

श्री चरणसिंह---नैनीताल के ए० डी० एम० यह काम पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। इत्तफाक से उस वक्त वह तराई भावर के ए० डी० एम० का काम और खास स्टेट के सुपरिंटेंडेंट का काम भी करते थे। इसी से उनको गलतफहमी हो गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि कर्मचारियों की अपीलों की सुनवाई भी ए० डी० एम० नैनीताल ही करते थे ?

श्री चरणसिंह---यह सही नहीं है।

जिला गोरखपुर में चकबंदी का कार्य

*८---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार ने १९४६-४७ में जिला गोरखपुर में कुछ जगहों की जोतों की चकबन्दी का काम कराया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

*९---श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह इस साल चकबन्दी का काम गोरखपुर जिले में कराने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस साल नहीं बल्कि अगले साल यह विचार है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर का वह हिस्सा जो कि चकबन्दी के मातहत आ चुका है वह जब अगले साल चकबन्दी होगी तो उसको वैसे ही रहने दिया जायगा या उसमें कोई रद्दोबदल होगा ?

श्री चरणसिंह---मेरी मालूमात के मुताबिक तो जो पिछली चकबन्दी वहां हुई थी वह खत्म हो गई और वह कायम नहीं रही है और उसमें बहुत से नकायस थे। वह लोगों ने मानी नहीं है अगर थोड़ी बहुत कहीं कायम है तो वह रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गोरखपुर का क्षेत्र क्यों नहीं लिया गया ?

श्री चरणसिंह---क्योंकि यह सवाल पहले नहीं पूछे गये थे।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जब पिछली मरतबा गोरखपुर में चकबन्दी रोकी गई थी तो वहां के किसान उससे बड़े असंतुष्ट थे और इसी कारण से चकबन्दी संतोषपूर्ण ढंग से नहीं हो सकी थी और इसीलिये वह रोकी गई थी ?

श्री चरणसिंह---वह तो एक पंचायती योजना बनी थी। उन दिनों बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक मेम्बर थे मिस्टर बेस। उनके नाम से यह योजना चल रही थी उसमें नुक्स थे इसीलिये वह चली भी नहीं।

*१०-१२---श्री जोरावर वर्मा---[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के बाढ़ क्षेत्र में टेस्ट वर्क तथा मजदूरों की हालत

*१३---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला के बाढ़ क्षेत्र में बरहज-गोठीनी सड़क मुसौला-भागलपुर सड़क और भाटपार पिन्डी सड़क पर काम करा कर वह लोगों को काम देने पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुसैला-भागलपुर सड़क पर तथा सलेमपुर-पिंडी सड़क पर जो भाटपार-पिंडी सड़क का एक भाग है टेस्ट वर्क चालू कर दिया गया है।

बरहज-गोठनी सड़क पर कोई टेस्ट वर्क नहीं खोला गया है, परन्तु यदि परिस्थिति की मांग टेस्ट वर्क खोलने की समझी जायगी तो उस सड़क पर भी काम चालू किया जायगा।

*१४---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या यह बात सच है कि इस क्षेत्र में लोगों को कोई काम न मिलने के कारण देश की विभिन्न जगहों के लिए लोग भाग रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग सदैव से कलकत्ता, बर्मा आदि जगहों पर जाकर नौकरी कर अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरहज-गोठनी एरिया बाढ़ एरिया है और वहां बहुत से आदमी बेकार हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बरहज-गोठनी सड़क पर जो टेस्ट वर्क खोला गया था वहां पर लेबरर्स मिले नहीं इसलिये वह टेस्ट वर्क चल नहीं सका और यह कहना कि बहुत आदमी बेकार हैं तो अगर बेकार हैं तो फिर टेस्ट वर्क चला क्यों नहीं? लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता होगी तो, जैसा कहा गया है, जरूर खोला जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में और भी कहीं टेस्ट वर्क चल रहे हैं?

श्री चरण सिंह---जी हां। बहुत सी जगह पर टेस्ट वर्क चल रहे हैं; देवरिया में कोई बारह या तेरह हजार आदमी रोजाना काम कर रहे हैं।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरहज-गोठनी घाट पर कोई टेस्ट वर्क नहीं खोला गया था, वह सत्य है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बरहज-गोठनी पर टेस्ट वर्क चालू किया गया लेकिन वहां कोई लेबरर नहीं आया, इसलिये वह टेस्ट वर्क चला नहीं। यह मैंने जवाब में पहले ही कह दिया था।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बरहज-गोठनी सड़क पर मजदूर इसलिये नहीं आये क्यों कि मजदूरी कम कर दी गई थी?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, इसलिये नहीं आये कि उनको जरूरत नहीं थी। मजदूरी कम नहीं की गई थी बल्कि बीच में बढ़ाई गई।

श्री बद्री नारायण मिश्र---चूंकि यह सड़क २५ मील लम्बी है तो उस पर यह कब खोला गया था और किस जगह पर खोला गया था?

श्री चरण सिंह---२८ अक्तूबर सन् १९५३ को जब माननीय सदस्य गालिबन तराई में थे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कितने दिनों तक टेस्ट वर्क चालू होने से कोई क्षेत्र अकाल क्षेत्र घोषित होता है?

श्री चरण सिंह---फेमिन कोड में जो बातें लिखी हुई हैं उनके मुताबिक तो टेस्ट वर्क्स वगैरह खुलने ही नहीं चाहिये और उनके दिमाग में जो फेमिन की बात है तो उसके मुताबिक फेमिन भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, फेमिन डिक्लेयर कहीं हो ही नहीं सकता।

श्री राजनारायण---क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि टेस्ट वर्क चालू करने के क्या सिद्धान्त हैं?

श्री चरण सिंह---फेमीन कोड में कई धारायें पढ़ने की माननीय सदस्य कृपा करें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन टेस्ट वर्कों पर कहीं श्रमदान से भी वह काम लेते हैं या नहीं?

श्री चरण सिंह---मजदूरी पर तो लोग आते ही नहीं हैं, श्रमदान का क्या सवाल है?

श्री राजनारायण---क्या माननीय राजस्व मंत्री को मालूम है कि टेस्ट वर्क में काम करने वालों को मजदूरी नहीं मिली? मजदूरी लेने पर लोगों को मार पड़ी और कुछ लोग मरे भी?

श्री चरण सिंह---यह इतना ही ग़लत है कि जैसे इस वक्त कहा जाय कि रात के १२ बजे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क पर जो मजदूर काम करते हैं उनको कितनी मजदूरी मिलती है?

श्री चरण सिंह---आज इतनी मजदूरी मिलती है एक पुरुष को कि जिससे २४ छटांक गल्ला सस्ते से सस्ता निकट के बाजार में खरीदा जा सकता है, स्त्री को इतनी कि जिससे सवा सेर गल्ला खरीदा जा सकता है और बच्चे को इतनी कि एक सेर गल्ला खरीदा जा सके तो गल्ले के भाव के साथ-साथ यह घटता-बढ़ता रहता है। फेमीन कोड में यह दर १८ छटांक, १६ छटांक और १४ या १२ छटांक थी जिसको हमने बढ़ा कर १६, २० और २४ छटांक कर दिया है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि देवरिया जिले में एक सुजान नाम का चमार पेश किया गया था कि जिसको एक क्लर्क ने बेंत मारे थे?

श्री चरण सिंह---एक मजदूर पेश किया गया था जिसकी बाबत कहा गया था कि इसको पीटा गया है लेकिन उसकी कमर पर जो निशान थे वह हफ्तों पहले सूख चुके थे अगर वहां किसी ने किसी वजह से वह निशान बनाये हों।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है उस क्लर्क ने स्वयं अपना कसूर माना है?

श्री चरणसिंह---मैंने अर्ज किया कि जो निशान बताये जाते हैं वह मार के नहीं थे और इसलिये उसके खिलाफ जो चार्ज थे उनको मंसूख कर दिया गया।

जिला फर्रुखाबाद के सरकारी कृषि फार्म तथा उनकी पैदावार और व्यय

*१५—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)— क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में सरकारी कृषि फार्म कहां कहां और कितने कितने एकड़ के हैं ?

*१६—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन फार्मों में से प्रत्येक में सन् १९५१–५२ तथा १९५२–५३ और १९५३–५४ में कितने रुपयों की पैदावार हुई तथा उन्हीं वर्षों में अलग अलग कुल व्यय कितना हुआ ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०२ पर)

तराई भावर में भूमिहीनों को भूमि वितरण तथा लम्बाचौड़ में पानी की कमी

*१७—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भमिहीनों के लिये जो ४,५०० एकड़ भूमि तराई भावर में अलग की गई थी वह सभी भूमि वितरण की गई है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से वितरण होने में रुकावट है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, कुछ भूमि बांटी जा चुकी है। कुछ बाकी है। बहुत से भूमिहीन व्यक्ति गर्मी के कारण जमीन लेने नहीं जा सके। उनको इस महीने के अन्त तक जमीन दिये जाने की आशा है। कुछ जमीन की पैमायश तथा नियोजन नहीं हो पाया है, इसलिये अब तक नहीं बांटी गई।

*१८—श्री खुशी राम—क्या यह सही है कि लम्बा चौड़ डी० क्लास की १३७ एकड़ भूमि पानी की कमी बता कर वितरण होने से रोकी जा रही है ? यदि हां, तो पानी का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां। १९५६–५७ के दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक ट्यूबवेल (tube-well)बनाने पर विचार किया जा रहा है।

*१९—श्री खुशी राम—क्या सरकार लम्बा चौड़ में सिंचाई के लिये पिपल पड़ाव खत्ते की नदी से वाटर वर्क्स मशीन या अन्य तरीके से पानी लाकर पानी की कमी को पूरा करने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार उत्तर प्रदेशीय भूदान समिति की सिफारिशों के अनुसार भूमिहीनों की सहायता के लिये यह ४,५०० एकड़ भूमि ट्रैक्टराइज कराने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—नहीं जा रही है।

श्री खुशी राम—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि अभी वितरण होने के लिये बाकी है वह कितने एकड़ों में है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १५–१६ श्री चिरंजीलाल पालीवाल ने पूछे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१,५०० एकड़ बांटी जा चुकी है। कुल जमीन ४,५०० एकड़ थी। तो इसमें से १,५०० एकड़ निकाल दीजिये, उतनी बाकी है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसी महीने के आखिर में जो भूमि वितरण होने की बात कही गई उसका मतलब सितम्बर से है या अक्तूबर से ?

श्री चरण सिंह---इस महीने का मतलब तो सितम्बर से ही हो सकता है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि जो साफ कराई गई है यह भूमिहीनों के लिये है या किसी और मतलब के लिये है ?

श्री चरण सिंह---यह भूमिहीनों के लिये है, साढ़े चार हजार देने का इरादा है, साढ़े सात एकड़ भूमि के हिसाब से ६०० आदमियों में।

श्री खुशीराम---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह भूमि आबाद करने के लिये पानी में विलम्ब है और जब तक पानी का प्रबन्ध न हो जाय तब तक बगैर पानी के फसल लगने वाले उन वास्तविक भूमिहीन लोगों को यह भूमि दी जा सकती है ?

श्री चरण सिंह---पहले केवल भूमि मांगी जा रही है। अब हमने भूमि दे दी है तो पानी की मांग हो रही है, मकानों की मांग हो रही है। तो इसके लिये हमारे पास पैसा नहीं है। पानी वगैरह के लिये रुपया मुहैया करना मुश्किल है। तो अगर ऐसे भूमिहीन मिल जायं जो हमसे और कोई मतालबा न करें तो हम तो स्वागत करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इस भूमि को तुड़वाने के हेतु यू० पी० सरकार को लिखा है और अपना एक आदमी इन्क्वायरी करने के लिये घटनास्थल पर भेजा है ?

श्री चरण सिंह---लिखा होगा तो अभी हमारे मंत्रालय में कागज होंगे, मेरी नोटिस में नहीं आया है। मुमकिन है माननीय मित्र के पास कागज आये होंगे।

श्री मही लाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूमि स्थानीय भूमिहीनों को दी जा रही है या दूसरे जिले के भूमिहीनों को भी दी जा सकती है ?

श्री चरण सिंह---अब स्थानीय वहां व्यक्ति होते तो भूमिहीन ही न होते। कुछ हटे हुए हैं, लेकिन पहाड़ के रहने वाले हैं।

श्री गेंदा सिंह---सरकार इन भूमिहीनों से किस कारण से रूठ गई है कि वह उसको जुतवाने नहीं जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--- मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने रूठने का शब्द इस्तेमाल किया, आप तो इंसिनुएशन कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि इन भूमिहीनों को इस बंजर तराई में बसने के लिये क्या-क्या सुविधायें देने जा रही है ?

श्री चरण सिंह---फिलहाल तो जमीन ही दी है और जमीन ही मांगी थी।

जिला हमीरपुर में नदी नालों से भूमि-क्षरण

*२०--श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को विदित है कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में धसान तथा बेतवा पंडवाहा नदियां और भैरा नाले वहां की जमीन को तेजी से काट रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उसको रोकने के लिये क्या उपाय सोच रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, प्रदेश में भूमि कटाव रोकने के लिये भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४, बन गया है। उसके प्रचलन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अधिनियम का प्रचलन भूमि कटाव समस्या की गहनता के अनुसार होगा।

*२१--श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त नदी और नालों के आसपास हजारों एकड़ जमीन ऊंची-नीची बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्धी बांध कर बुलडोजरों से उस जमीन को एक सी कर के खेती के योग्य बनाने पर भी विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां। उक्त क्षेत्र में बन्धी बांध कर तथा बुलडोजरों द्वारा जमीन को समतल करके खेती योग्य बनाने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भूमि संरक्षण अधिनियम का प्रचलन किस सन् तक हो सकेगा ?

श्री चरण सिंह--सन् ५५ तक उम्मीद करते हैं।

श्री श्रीपति सहाय---भूमि संरक्षण अधिनियम का प्रचलन किस ढंग से होगा ? जब गांव सभा दरख्वास्त देगी तब सरकार करेगी या सरकार स्वयं करेगी ?

श्री चरण सिंह---जैसा कि पहले प्रश्न के जवाब में कहा गया है, जैसी जैसी भूमि-कटाव की समस्या जिस जिस जिले में होगी वैसे वैसे ही उसको पहले या पीछे लिया जायगा। इरादा फिलहाल पहले ५, ६ जिलों को लेने का है जिसमें बुन्देलखंड का जालौन का जिला तो शामिल है लेकिन हमीरपुर जिला शामिल नहीं है। लेकिन जिन जिलों को लेने का विचार है उनमें भी काम तब शुरू होगा जब कि हमारे पास ट्रेंड आफिसर्स हो जायंगे। जैसा कि पहले एक सवाल के जवाब में बताया जा चुका है। हम एक ट्रेनिंग क्लास खोलने वाले हैं, आफिसर्स को ट्रेंड करने के लिये। उसके लिये कंटिजेंसी फंड से रुपया निकालने की कोशिश में हैं क्योंकि बजट में कोई प्राविजन है नहीं।

श्री गेंदा सिंह---क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिनियम के अनुसार किन-किन जिलों में कमेटी इस काम के लिये बना दी गई है ?

श्री चरण सिंह---अभी तो उसके प्रचलन की तैयारियां ही नहीं हैं। इसलिये हमने अभी कमेटी बनाना जरूरी नहीं समझा।

*२२--श्री बद्री नारायण मिश्र---[स्थगित किया गया।]

प्रान्त में टिड्डी दल से हानि तथा उसको रोकने के उपाय

*२३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को सूचना है कि जून के अन्तिम सप्ताह में टिड्डी दल ने प्रान्त के अनेक भागों में हमला किया था ? अगर हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त के किन-किन जिलों पर यह हमला हुआ था और प्रत्येक जिले से कितनी कितनी हानि की रिपोर्ट आई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या २३-२४ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

जून के अन्तिम सप्ताह में टिड्डी दलों ने इस प्रदेश के १८ जिलों में जिनकी सूची संलग्न है हमला किया था। इन टिड्डी दलों ने कपास, गन्ना, चरी, मूंग, मक्का व सांवा की फसलों तथा पेड़ों को हानि पहुंचाई। फसलों में हानि की मात्रा रुपये में एक आने से लगा कर ६ आने तक थी किन्तु पूर्ण विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

(देखिये गत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २०३ पर।)

*२४--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टिड्डी विनाश के कौन-कौन उपाय सरकार स्थायी एवं अस्थायी तौर पर कर रही है या करने का विचार है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार ने टिड्डी दलों के विनाश का कार्य प्रदेशीय स्तर पर सरकारी कीट विशेषज्ञ (Entomologist to Government) को तथा जिला स्तर पर जिलाधीशों को सौंप रखा है। कीट विशेषज्ञ इस कार्य को प्रदेशीय कृषि रक्षा सेवा (Plant Protection Staff) द्वारा जिसके इस प्रदेश में ३७ जिलों में केन्द्र व उपकेन्द्र हैं सम्पादित करता है। हर एक कृषि रक्षा केन्द्र व उपकेन्द्र पर टेक्निकल कर्मचारी तथा टिड्डियों के मारने के जहर व मशीनें रक्खी गई हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार द्वारा भी देश की सीमा पर (Coordinated Locust Control Scheme) के अधीन टिड्डियों को नष्ट करने का कार्य किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि जो टिड्डियों ने इन अनेक भागों पर हमला किया तो जो सरकार ने विनाश के उपाय निश्चित किये हैं उनके अनुसार उन टिड्डियों को मारने में किस हद तक सफलता मिली?

श्री चरण सिंह---पूरी सफलता मिली।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी उन १८ जिलों के नाम सदन के सन्मुख बताने की कृपा करेंगे जिन पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, इलाहाबाद, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और सुल्तानपुर।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये टिड्डियां कहां से आयीं और हमारे प्रदेश में किस ओर से घुसीं?

श्री चरण सिंह---पश्चिम से आयीं।

श्री राम दास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों में अब भी टिड्डियां बाकी हैं?

श्री चरण सिंह---जो टिड्डियां थीं वह उड़ा दी गयी थीं, बच्चे मार दिये गये थे लेकिन लाखों, करोड़ों की तादाद में आयी थीं मुमकिन है कुछ रह गयी हों।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---जब ये टिड्डियां पश्चिम से आयीं तो मुजफ्फरनगर के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं आयी, क्या मंत्री जी कलेक्टर साहब से जानने की कृपा करेंगे?

श्री चरण सिंह—उनका जोर मेरठ में ही खत्म हो गया था। वहां ४५,००० एकड़ जमीन पर बैठी थीं और नुक्सान हुआ जबकि सूबे में और जो १७ जिले हैं उनका कुल रकबा मिलाकर भी ४५,००० एकड़ नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि जो जिले माननीय मंत्री जी ने बताये इनके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट सरकार नहीं मंगा सकी है, तो क्या सरकार अब मंगाने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—अगर उनकी रिपोर्ट माननीय विकल जी के पास आयी हो तो मुझे भेज दें मैं उनका बहुत एहसानमन्द होऊंगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में टिड्डियों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ है ?

श्री चरण सिंह—अभी तक की सूचना के अनुसार मालूम नहीं है। हो सकता है कि हवाई कोप रह गया हो और जमीन पर न बैठी हों।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व मंत्री जी के जिले में ही ज्यादा टिड्डियां क्यों आयी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर बतलायेंगे कि यह पहाड़ों की तरफ से ही टिड्डियां क्यों आयी हैं, इसका क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी के पास मुजफ्फरनगर के जिले में टिड्डियों के प्रकोप की और उससे फसल को नुकसान होने की रिपोर्ट जिलाधीश से आयी है ?

श्री चरण सिंह—अगर अभी हाल में आठ या दस दिन के अन्दर टिड्डियां आयी हों,तो मेरे पास अब तक रिपोर्ट नहीं आयी है। और अगर वहां के माननीय मित्रों को इसकी जानकारी है कि वहां टिड्डियां जरूर आयी हैं तो अब मैं इसकी तहकीकात करवा लूंगा।

*२५–२७—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२८–२९—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—[स्थगित किये गये।]

*३०—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—[स्थगित किया गया।]

*३१–३३—**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला बाराबंकी)—[स्थगित किये गये।]

*३४–३६—**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

खाम भावर कोटद्वारा, गढ़वाल के पटवारियों का वेतन

*३७—**श्री चन्द्र सिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—क्या यह सत्य है कि खाम भावर कोटद्वारा गढ़वाल में जो पटवारी काम करते हैं, उनका वेतन पहाड़ के अन्य पटवारियों से कम है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

*३८—श्री चन्द्र सिंह रावत—क्या यह सत्य है कि खाम भावर कोटद्वारा गढ़वाल के पटवारियों का वेतन क्रम मैदानी इलाके के पटवारियों से भी कम है ? यदि हां, तो इस विभिन्नता का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, अभी तक इस बात का आखिरी फैसला नहीं हो सका है कि इन पटवारियों का वेतन क्या होगा।

*३९—श्री चन्द्र सिंह रावत—क्या सरकार निकट भविष्य में खाम भावर के पटवारियों का वेतनक्रम बढ़ाने या पहाड़ी व मैदानी इलाकों के पटवारियों के बराबर करने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसा प्रश्न ३८ के उत्तर से मालूम होगा यह मामला विचाराधीन है।

श्री चन्द्र सिंह रावत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि विचाराधीन की ज्यादा से ज्यादा जो अवधि है वह कितनी होगी ?

श्री चरण सिंह—लामियाद ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खाम भावर के पटवारियों को इस समय क्या क्या वेतन और सुविधायें मिलती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—खाम भावर में वेतन की दर २५-१-४० है और उनको टी० ए० दिया जाता है जो कायदे के मुताबिक है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार खाम भावर के पटवारियों और पहाड़ के पटवारियों के संबंध में जो नियम और कायदे हैं उनको बदलने का भी विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—जिन पटवारियों की बाबत यह सवाल है उनके नियम बदलने पर तो विचार कर ही रही है जिसके लिये जवाब में कहा जा चुका है कि विचाराधीन है लेकिन बाकी अगर आपका मतलब और पहाड़ से है तो उस पर विचार नहीं कर रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि इस पर विचार हो रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने कार्यकाल में वह इस पर विचार कर लेंगे या नहीं ?

श्री चरण सिंह—यह तो सन् ५७ में बताया जा सकेगा।

मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैक्टरों व प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये सहायता (सब्सिडी) अनुपलब्ध

*४०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ ई० में सरकार ने कुल कितनी सहायता (Subsidy) मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैक्टरों व प्राइवेट ट्यूबवैलों के लिये दी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इन वर्षों में ट्रैक्टर और प्राइवेट ट्यूब वेलों के लिये कोई सहायता (subsidy) मुजफ्फरनगर में नहीं दी गई ।

*४१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—इस सहायता द्वारा कितने ट्रैक्टर अभी तक खरीदे गये और कितने ट्यूबवेल लगाये जा चुके हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो तकावी सरकार ने ट्रैक्टरों के लिये दी थी क्या वह उसको भी सबसिडी ट्रीट करेगी ?

श्री चरण सिंह---ट्रैक्टरों के लिये जो तकावी दी गई है उसका कोई भी जुज सबसिडी के तौर पर नहीं माना जायगा।

*४२---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किया गया।]

हाकिम परगना का हेडक्वार्टर, निवास तथा यात्रा-भत्ता

*४३---श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल हाकिम परगना लोगों को अपने-अपने तहसील के सदर मुकाम पर कितने दिन और कितने दिन जिला के सदर मुकाम पर रहने के लिये आदेश है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हाकिम परगना लोगों को यह आदेश है कि वे प्रतिकर अधिकारी की हैसियत से प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सप्ताह में २ दिन तहसील में उपस्थित रहें।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो दिनों के लिये टी० ए० और डी० ए० कितना एस० डी० ओज० को दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह---नियमों के अनुसार मिलता है।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या इस टी० ए०, डी० ए० के खर्चे को देखते हुये सरकार तहसील पर एस० डी० ओज० को हेड क्वार्टर रखने की आज्ञा देने जा रही है ?

श्री चरण सिंह---एस० डी० ओज० यदि तहसील हेड क्वार्टर पर रह सकें तो बहुत अच्छी बात है और सरकार इसको अच्छा भी मानती है और कई जगहों पर एस० डी० ओज० को हेड क्वार्टर बनाने की इजाजत भी दे दी गई है और रहते भी हैं लेकिन मुश्किल यह है कि इसमें रुपये की भी जरूरत होगी और मकान बनाने के लिये मैटीरियल की भी जरूरत होगी जो अभी आसानी से उपलब्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब तक सरकारी भवन बनें तब तक किराये के मकानों में क्या कठनाई है ?

श्री चरण सिंह---एक तो मिलते भी नहीं है और कोई मिलते हैं तो उपयुक्त ढंग के मिलते नहीं है। एक तो ऐसी जगह चाहिये जिसमें अदालत हो सके और दूसरे ऐसी जगह हो जहां पर हवालाती रखे जा सकें।

श्री अब्दुल मुईज खां---क्या जिस स्थान पर पिछले वर्ष नई तहसील की इमारत बन चुकी है, वहां पर एस० डी० ओ० को मुस्तकिल तौर से रहने की इजाजत दी जायगी ?

श्री चरण सिंह---तहसील की इमारत बनी है तो तहसीलदार तो वहां रहेगा ही। इससे एस० डी० ओ० के रहने से तो कोई वास्ता ही नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी कर के बतलायेगी कि उसने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि तहसील के सदर मुकाम पर जो हाकिम परगना रहें वह उसी मुकाम के मुकदमें वहां करें, बाहर के मुकदमें वहां न लें ?

श्री चरण सिंह---तहसील में जाते हैं तो तहसील के हाकिम तो होते ही हैं। बाहर के मुकदमों का क्या सवाल होता है ?

प्रदेश में गाय-भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, उनके कार्य तथा व्यय

*४४—श्री श्रीचन्द्र—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाय-भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र कहां-कहां इस समय खुले हुये हैं और सरकार का इनके अतिरिक्त और कहां-कहां इन केन्द्रों को खोलने का विचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस समय प्रदेश में ४७ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र नत्थी विवरण-पत्र के पहले कालम में दिये हुये स्थानों पर हैं। इस वर्ष ४ और केन्द्र खोले जायेंगे, इनका स्थान अभी निश्चय नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २०४–२०७ पर।)

*४५—श्री श्रीचन्द्र—उपरोक्त प्रत्येक केन्द्र का व्यय आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक १९५२–५३ और १९५३–५४ में क्या-क्या था और इन वर्षों में इन केन्द्रों में कितना कार्य किया गया और उसमें क्या सफलता मिली ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो सूचना उपलब्ध है वह नत्थी विवरण-पत्र में दी हुई है। बाकी सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा। एकत्र हो जाने पर वह माननीय सदस्य की मेज पर किसी दूसरी बैठक में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ४ केन्द्र कब खोले जायेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो इसी साल अक्तूबर में बोर्ड की बैठक होगी, उसमें निश्चय किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें जो आंकड़े व्यय के दिये हुये हैं इसमें आवर्त्तक और अनावर्त्तक, क्या-क्या व्यय अलग-अलग हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सूची में दिया हुआ है कि १,५८,६६० रुपया, ८ आना ६ पाई आवर्त्तक और २,४४,९९३ रु०, १० आना दूसरे वर्ष का आवर्त्तक व्यय हुआ। यह दो आंकड़े हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संख्या २३ से ४७ तक जो आय-व्यय का लेखा नहीं है वह कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो कहा गया कि वह आंकड़े अभी एकत्रित नहीं हो पाये हैं। अगली बैठक तक वह चाहेंगे तो मिल सकेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि कृत्रिम गर्भाधान प्राकृतिक गर्भाधान से ज्यादा खर्चीला पड़ता है ?

श्री चरण सिंह—शुरू में।

आगरा क्षेत्र में रोडवेज की आय-व्यय तथा आगरा सिटी बस सर्विस

*४६—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा क्षेत्र में रोडवेज का गत तीन वर्षों में आय और व्यय क्या रहा है ?

*४७—क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि आगरा सिटी बस सर्विस कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इन प्रश्नों से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर दे दी जायगी।

रोडवेज विभाग से सरकार को लाभ

*४८--श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५३-१९५४ में रोडवेज विभाग से सरकार को कितने रुपये का लाभ हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की आय और व्यय का लेखा अभी तक आडिट नहीं हुआ है, परन्तु अनुमान किया जाता है कि करीब २२ लाख रुपये की बचत सरकार की हुई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज में सारा कितना रुपया लगा है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--पौने चार करोड़ के क़रीब है जिसमें डेढ़ करोड़ रुपया अभी खजाने में जमा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की गाड़ियों पर रोड टैक्स और इंस्पेक्शन फी नहीं ली जाती है और पेट्रोल पम्प पर जो पेट्रोल लेते हैं उस पर सेल्स टैक्स भी नहीं लिया जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--रोडवेज वह सब टैक्स अदा करती है जो दूसरी वेहिकिल्स करती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस वर्ष २२ लाख की जो सम्भावित आमदनी है वह रूट्स और बसों की ज्यादा संख्या देखते हुये पिछले वर्ष के मुकाबले में कम क्यों है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बहुत अफसोस है कि पिछले सालों से आमदनी कुछ ज्यादा ही है। कम नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी कर के फरमायेंगे कि यह जो आमदनी हुई है इसमें सड़कों की दुरुस्ती में कितना सर्फ करने जा रहे हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इससे कहीं ज्यादा रुपया सड़कों की मरम्मत में सर्फ किया जायगा।

जिला बस्ती में टेस्टवर्क निधि से बना बांध

*४९--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में राप्ती नदी के किनारे-किनारे कितना लम्बा बांध पिछले टेस्ट-वर्क की निधि से बना और उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह--पिछले टेस्ट वर्क्स के द्वारा जिला बस्ती में राप्ती नदी के किनारे दो बांध बने जिनकी लम्बाई तथा व्यय का विवरण इस प्रकार है :

नाम बांध	लम्बाई	व्यय
	मील	रु०
१--पनघटिया बांसी बांध	१६	९२,५५९
२--बिलौहां नौगों बांध	७	२३,१८३

नोट--तारांकित प्रश्न ४८ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछा।

नहर सिंचाई कर की वसूली

*५०—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फ़तेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जुलाई क अन्त तक राज्य का कितना प्रतिशत नहर सिंचाई कर वसूल हो चुका है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस वर्ष जुलाई के अन्त तक राज्य का ८९.०७ प्रतिशत नहर सिंचाई कर वसूल हुआ।

*५१—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्व वर्ष जुलाई के अन्त तक कितने प्रतिशत राज्य का नहर सिंचाई कर वसूल हो चुका था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पूर्व वर्ष जुलाई के अन्त तक ७३ प्रतिशत नहर सिंचाई कर वसूल हो चुका था।

*५२-५४—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

अल्प पूर्चित तारांकित प्रश्नों को कार्यसूची में न रखने पर श्री राजनारायण द्वारा आपत्ति

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, हमने शार्टनोटिस क्वेश्चन दिया था, देवरिया में कमिश्नर की रिपोर्ट और जगन्नाथ जी की उपस्थिति के बारे में और सेक्रेटरिएट में सारी फाइल है।

श्री अध्यक्ष—संभव है हमारे यहां अड़ गया हो। दो-तीन दिन से मैं स्वयं नहीं देख पाया।

श्री राज नारायण—३ दिन का समय शार्ट नोटिस क्वेश्चंस के लिये होता है। अगर शार्ट नोटिस क्वेश्चन की तरह ट्रीट न किया जाय तो कम से कम सूचना तो मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप मेरे दफ्तर में आ जायंगे। जो कुछ सुभीता हो सकता है वह आप को दे दिया जायगा।

श्री राज नारायण—आज का प्रोग्राम क्या है ?

श्री अध्यक्ष—पहले मेज पर जोत चकबन्दी नियम रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, १९५३, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो रूल्स हैं उन पर हमें यह अधिकार है संशोधन देने का और सदन में विवाद करने का।

श्री अध्यक्ष--क्या अधिनियम में यह है कि सदन में आने के बाद उन पर विचार होगा और तब वे स्वीकृत होंगे ? राजस्व मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री चरण सिंह--गालिबन है। ठीक नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानता हूं कि और भी ऐसे रूल्स सदन में पेश हुये हैं। इसके लिये जितना समय आप दे सकेंगे उचित ही होगा। मुझे यह सूचना भेज दी जाय कि कलां तारीख के कार्यक्रम में इनको शामिल कर लिया जाय। इनके लिये एक या दो रोज का समय देना उचित होगा।

*उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४
†खंड २४ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मुझे यह निवेदन करना है कि अगर आज भूमि व्यवस्था अधिनियम पर वादविवाद को आप नियमित नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आज भी १२ बजे तक वह समाप्त न हो सके। इसलिये मैं निवेदन यह करूंगा कि जो खास खास संशोधन हों उनको पहले ले लें, उन पर अच्छी तरह से लोग अपनी राय का इजहार कर दें। बाद में जो धारायें हों उनको एक आदमी पेश कर दें और एक दो मिनट में उनका जवाब भी हो जाय। इसलिये हम चाहते थे कि इस संशोधन विधेयक पर सब से बड़ा क्लाज है अधिवासियों से सम्बन्धित। उसे पहले ले लिया जाय और उसी तरह से कुछ बनारस में १३५६ और १३५७ फसली के सम्बन्ध में संशोधन हैं।

श्री अध्यक्ष--आप का प्रस्ताव यह है कि पहले अधिवासियों के सम्बन्ध में संशोधन ले लिया जाय। उसके बारे में राजस्व मंत्री का कोई सुझाव हो तो वह बतला सकते हैं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--माननीय राज नारायण जी अगर अधिवासियों से सम्बन्धित संशोधन को पहले चाहते हैं तो उसे पहले ले लिया जाय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस रोज यह बात तै हुई थी कि दो दिन के अन्दर यह विधेयक समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--यह तो वह भी कहते हैं कि कहीं रात न हो जाय।

श्री चरण सिंह--जो संशोधन वह पहले चाहते हैं उनको पहले लिया जाय लेकिन मेरा सुझाव यह है कि ६ बजे तक संशोधन पर विचार हो और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हों उन पर गिलोटिन कर दिया जाय और उसके बाद अधिक से अधिक १ घंटा थर्ड रीडिंग के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--किस समय तक आप समाप्त करना चाहते हैं ? ८ बजे तक ?

श्री चरण सिंह--६ बजे के बाद मामूली संशोधन रह जायेंगे। गिलोटिन करने की नौबत जब आयेगी तो थोड़े संशोधनों पर आयेगी और जो बहुत मामूली होंगे। वे आध घंटे में निपट जायेंगे। दो आधे घंटे में गिलोटिन हो जायगा। साथ ही मैं यह भी अर्ज कर दूं कि एक घंटा थर्ड रीडिंग के लिये काफी होगा लेकिन आज के दिन की कार्यवाही का

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†१८ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

आखिरी समय में ८ बजे रखना चाहता हूं । अगर गिलोटिन आधा घंटे में खत्म हो जाय तो डेढ़ घंटे बहस हो जाय और अगर ७ बज कर ५ मिनट पर गिलोटिन पूरा हो जाय तो ५५ मिनट बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष---तो आप यह चाहते हैं कि ६ बजे तक बहस रहे और उसके बाद मैं स्वयं संशोधन लेना शुरू कर दूं और राय लेता जाऊं। आप राज नारायण जी का यह तरीका भी स्वीकार करते हैं कि खास खास संशोधनों को पहले ले लिया जाय । तो इन दोनों तरीकों पर चल कर नियत समय में कार्य पूरा हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि जो राजस्व मंत्री जी ने कहा है मैं उससे सहमत हूं कि किसी प्रकार से आज इसको समाप्त कर लिया जाय लेकिन मैं यह चाहता हूं कि २४ क्लाज जो यह चल रही है उसको पहले लिया जाय और उसके बाद अधिवासी का विषय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---हर एक क्लाज को पूरा लिया जायगा किसी क्लाज का टुकड़ा नहीं लिया जायगा। जो क्लाज ली जायगी उसको पूरा करने के बाद दूसरी क्लाज ली जायगी।

राजा वीरेन्द्र शाह---मेरा सुझाव यह है कि ६ बजे तक यह विवाद समाप्त होने के बाद फिर यह फौरन् ७ बजे समाप्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आपने ६ बजे तक तो विवाद के लिये रखा है । उसके बाद एक घंटे में मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं ? हो सकता है कि कुछ ज्यादा समय लग जाय या कम ही लगे।

श्री राजनारायण---हम इस बात को आप के ऊपर छोड़ते हैं कि जिस प्रकार से आप उचित समझें उस तरह से इसको कर दें। सब से महत्वपूर्ण क्लाज अधिवासी संबंधी है और उसके बाद लगान सम्बन्धी क्लाज है। तो पहले अधिवासी को लेलें और फिर उसके बाद लगान सम्बन्धी ले लें। हम और द्वारका प्रसाद जी इस एक घंटे के अवकाश में बैठ जायेंगे और फिर जो तय होगा उसको आप के ऊपर छोड़ देंगे कि जिस तरह से आप उचित समझें बांट दें । फिर गिलोटिन हो जाय। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं कि ८ बजे का समय निर्धारित किया जाय। हो सकता है कि हम ६ बजे ही समाप्त कर दें या उससे भी पहले कर दें।

श्री अध्यक्ष---यह तो कोई ऐसी बात नहीं है जो न मानी जाय। मैं इसको कर दूंगा । मैं इस बहस के क्रम को देख लूंगा कि कैसे प्रगति हुयी है उसी हिसाब से समय को फिक्स कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, अभी कुछ दिन हुये माननीय गृह मंत्री ने वायदा किया कि जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है इन पर बहस होने के लिये कोई दिन वह निर्धारित करेंगे। मगर ४, ५ दिन हो गये हैं इस पर कुछ नहीं हुआ है । जो बिजनेस रूल्स कमेटी बनायी गयी है उसके बारे में भी आप ने कोई अभी तक घोषणा नहीं की कि वह कब से अपना कार्य आरम्भ करेगी ।

श्री अध्यक्ष---पहले आप इसको समाप्त कीजिये तब कुछ फुरसत मिलने पर सोचने का मौका मिले। १२ बजे रात तक तो यहां पर आप बैठक चलाते हैं, इससे समय नहीं मिल पाता है। यह काम खत्म होने के बाद वह चीजें ली जायंगी ।

अब इसके विषय में जो विवाद का समय है उसकी प्रगति को देख कर आखिरी समय मुकर्रर कर दूंगा। ५ बजे या ५ बजे तक यह विवाद का समय समाप्त हो जायगा फिर मैं सीधे संशोधनों पर राय लेना शुरू कर दूंगा।

* राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड २४ के जो संशोधित हुआ है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। अगर मैं इस धारा २४ को यहां पर पढ़ता हूं तो समय बहुत लगेगा और यह जो निर्धारित समय है उसमें कमी हो जायगी। इस धारा २४ के जरिये सरकार यह चाहती है कि जो धारा १४२ जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की है उसके जरिये से सरकार ने भूमिधर को अधिकार दिये थे, वे अधिकार वापस ले ले। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं।

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १४२ इस प्रकार है—

"१४२—इस अधिनियम के निदेशों पर उपाश्रित रखते हुए भूमिधर को ऐसी सब भूमि पर, जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन में चाहे उसमें उसका उपयोग कर सके।"

लेकिन श्रीमान् जी यह जो संशोधन का खंड २४ है उसके द्वारा यह अधिकार लिया जा रहा है। जब जमींदारी अबालिशन बिल पास हुआ था तो उस समय मैं इस पक्ष में न था कि भूमिधर बनाये जायं लेकिन जब सरकार ने प्रान्त के लोगों को प्रोत्साहन दे कर भूमिधर बनाये तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी बिना पर सरकार उन अधिकारों को लेना चाहती है। श्रीमन्, अगर इसमें देखा जाय तो इस खंड में यह लिखा है कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक के जो भूमिधर या जमींदार होंगे उनकी जमीन अगर ३ साल तक खाली रही तो कलेक्टर उनको नोटिस दे और उसको ले ले। मेरा कहना है कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे। अभी सरकार ने कृषि आय-कर और भूमि संरक्षण बिल पास किये, उन सबको देखते हुये हमें सरकार कोई कारण नहीं बता सकी है कि प्रान्त में कितनी जमीन खाली पड़ी रही कि जिसकी वजह से सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगा रही है। जब सरकार ने भूमिधरों को अधिकार दिये हैं तो सरकार को उनको मौका देना चाहिये। सरकार ने हमको नहीं बताया कि कितनी ऐसी खाली जमीन प्रान्त में पड़ी हुई है जिसके कारण प्रान्त को हानि हुई है। मैं समझता हूं कि इस क्लाज का असर २५ प्रतिशत काश्तकारों से अधिक पर नहीं पड़ सकता। इसके अतिरिक्त कृषि आय-कर और भूमि संरक्षण बिल के अनुसार कोई भी काश्तकार अपनी जमीन को पड़ा नहीं रख सकता, सब लोग अपनी जमीन को जोतेंगे ही क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा दिये गये हैं कि बिना जोते वे लोग रह ही नहीं सकते। यह संशोधन ज्यादातर उन लोगों के लिये है जिन्होंने अपनी बड़ी जोत की जमीनों को ट्रैक्टरों के द्वारा तोड़ा है। तो जब उन्होंने पैसा लगाया है तो वे उसको पड़े नहीं रख सकते। इसलिये मेरा विचार है कि सरकार को जो यह भय है वह निरर्थक है। जहां तक इस बात का सवाल है कि सीरदार के लिये धारा १८७ में इस बात की पाबन्दी लगायी गयी है कि अगर वह दो साल तक किसी जमीन को खाली रखता है तो कलेक्टर को नोटिस दे कर उसको ले लेने का अधिकार है लेकिन मैं आप के जरिये से सरकार को कहना चाहता हूं कि भूमिधरों को आपने कुछ अधिकार दिये हैं उनका आपको ख्याल रखना चाहिये क्योंकि उन्होंने यह अधिकार पाने के लिये ही आपको इतना रुपया दिया है और उन्होंने इस ख्याल से सरकार को रुपया दिया था कि उनको जो हक़ है वे महफूज रहेंगे। सेन्टर के कृषि मंत्री का आज व्याख्यान निकला है जिसमें उन्होंने कोआपरेटिव फार्म्स बनाने तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज को कायम करने पर बहुत जोर दिया है। अब जब आप ऐसे फार्म्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसा क्लाज नहीं रखना चाहिये जिससे कोई आशंका बनी रहे। इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस क्लाज को निकाल दिया जाय नहीं तो बड़ा नुक्सान होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जो राजा साहब का यह ख्याल है कि गवर्नमेंट के किसी कमिटमेंट या पहले वचन के विरुद्ध यह संशोधन पड़ता है तो उनका यह ख्याल निराधार है और जो कानून की धारा उन्होंने पढ़ कर सुनाई वह यह है कि किसी भी प्रकार इस्तेमाल करें। वह दो ही तरह से इस्तेमाल कर सकता है, खेती के सम्बन्ध में या किसी उद्योग-व्यवसाय के संबंध में। तो अगर गैर कृषि काम के सम्बन्ध में भी इस्तेमाल करता है तब भी उस पर यह धारा लागू नहीं होती। इसमें साफ लिखा है कि जब उसका डिक्लेयरेशन कलेक्टर द्वारा होगा और यदि वह कह देगा कि हम इसको अनएग्रीकल्चरल परपज़ के लिये इस्तेमाल करते हैं तो उस पर लागू नहीं होगा। ऐग्रीकल्चरल परपज़ के लिये उसे इस्तेमाल करने का अधिकार है लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं करता है तब सवाल उठता है कि क्या किया जाय। कानून में इस्तेमाल करने का ही अधिकार है चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल करे।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय जानते ही हैं कि किसानी में जमीन को परती रखना भी एक जरूरी कार्य है।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने कानून में जो रुकावट की बात बतलायी कि कानून में ऐसा लिखा है या गवर्नमेंट ने वादा किया था यह बात गलत है। कानून में खेत को खाली करने की बात कहीं नही कही गयी है। अब जैसा कि उनका यह कहना है कि जमीन खेती में थोड़ी बहुत खाली भी रखनी पड़ती है, मैं उनसे सहमत हूं। एक-एक साल के लिये खाली रखनी पड़ती है और खास कर के बुन्देल-खंड के इलाके में जहां क्राप रोटेशन होता है वहां तो दो-दो साल तक खाली रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन साधारणतया एक साल या एक फसल ही खाली रखने की जरूरत पड़ती है। हमने यहां रखा है कि तीन साल से ज्यादा कोई अपने खेत को खाली नहीं रख सकता है। अगर तीन साल तक कोई खाली रखता ही है अगर किसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो उसको ६ महीने का फिर मौका देते हैं। लिहाजा इस बिना पर कोई शिकायत नहीं की जा सकती कि गवर्नमेंट ने कोई वादा किया था और वह जमीन जब्त की जा रही है। जमीन जब्त भी नहीं की जा रही है बल्कि उसकी तरफ से किसानों को आबाद किया जायगा। वह जमीन का मालिक रहेगा और किसान जो उसकी तरफ से आबाद किये जायेंगे वे उसको लगान देते रहेंगे। अब उसकी क्या शरायत हों, क्या मुद्दत हो, यह सब नियम के जरिये तय किया जायगा और यह तफसील की बातें हैं।

श्रीमन्, जहां तक राजा साहब ने यह कहा कि जमीन खाली पड़ी ही नहीं है तो मैं उनकी इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि कई लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी है जो कि होल्डिंग का जुज बनी हुई है। अगर वह खाते का हिस्सा नहीं होती तो गवर्नमेंट में वेस्ट कर के हम उनको पंचायतों को दे दिये होते लेकिन वे होल्डिंग के पार्ट्स हैं और अनकल्टीवेटेड हैं इसलिये गांव समाज के कब्जे में नहीं आये। अगर मेरी याददाश्त धोका नहीं दे रही है तो ६० लाख एकड़ के करीब ऐसी जमीन है जो अनकल्टीवेटेड है और जो होल्डिंग का जुज बनी हुई लेकिन मैं ६० लाख एकड़ की बाबत अभी डेफिनिट नहीं हूं क्योंकि आंकड़े मैंने मंगाये हैं लेकिन लाखों एकड़ हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब ने यह कहा है कि जब उसको टैक्स देना पड़ता है तो वह खाली तो रखेगा ही नहीं। यह बात नहीं है, टैक्स ऊपर वालों पर कुछ बढ़ा है लेकिन वह तो उसी रकबे पर पड़ेगा जो मजरुआ या कल्टीवेटेड लैंड है। मान लीजिये कि किसी के पास ५०० एकड़ का खाता है और उसने ४०० एकड़ पर काश्त की और बाक़ी १०० एकड़ खाली रखा तो टैक्स केवल ४०० एकड़ पर ही पड़ेगा। जितना कि जेरकाश्त रक़बा है उसी पर पड़ेगा। इसलिये ऐसा नहीं है कि टैक्स के कारण से लोग मजबूर होंगे क्योंकि वह खाली तो रखा ही जा सकता है। इसलिये गवर्नमेंट की मन्शा जो है वह

जनता के हित में है और वह यही है कि जमीन खाली न रहे । जो ऐग्रीकल्चर इन्कमटैक्स पड़ेगा वह तो उसी पर पड़ेगा जितने पर खेती होगी लेकिन अगर कोई खाली रखेगा तो यह धारा लागू हो जायगी जिसको पिन्सर या पैन्थर मूवमेंट कहते हैं कि आप जमीन खाली न रखिये और जहां तक हो सके उसको काश्त में रखिये और अगर खाली रखते हो और वह भी ३ साल से ज्यादा रखते हो तो यह सेक्शन लागू हो जाता है और फिर भी ६ महीने का समय दिया जायगा और उसके बाद जमीन का क़ब्ज़ा ले लिया जाता है जैसा कि लैंड यूटीलाइजेशन ऐक्ट में था । तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या शिकायत हो सकती है ।

राजा साहब ने कहा कि रोटेशन के लिये जमीन खाली रखनी पड़ती है । हमने इसीलिये १२ १/२ एकड़ का हिसाब रखा है कि कम से कम उतनी तक तो रख सकते हैं । मान लीजिये कि किसी का २०० एकड़ का खाता है तो अगर हम उसमें से रोटेशन के अलावा जो खाली रहना चाहिये वह ८ फीसदी करार दे देते हैं तो मतलब यह होता है कि १६ एकड़ तो वैसे ही खाली रह सकती है और रोटेशन में खाली रहने वाली फिर और रह जाती है, वह इसमें नहीं आयेगी । इसमें तो केवल यह है कि एक रकबा ३ साल तक खाली पड़ा रहा है और ऐसा रकबा पहाड़ की तलहटी के जिलों के जो इलाके हैं वहां है कि जहां हजारों एकड़ के खाते हैं । १००–२०० एकड़ पर काश्त हो रही है और बाक़ी खाली पड़ा है उनके लिये यह खास तौर से है । अगर वह काश्त में रखते हैं तो यह लागू ही नहीं होगा । अगर ३ साल तक खाली पड़ा रहेगा तो कलेक्टर ६ महीने का नोटिस देगा और फिर भी खाली रहेगा तब वह उससे निकलेगा । यह अनकल्टीवेटेड एरिया जो होल्डिंग्ज में है वह ६२ लाख एकड़ के करीब है यानी इतना रक़बा खाली पड़ा है । मैं समझता हूं कि किसी भी सज्जन की राय में इतना बड़ा रकबा किसी सूबे में खाली रहना उचित नहीं है । इस ६२ लाख एकड़ में शायद वह रक़बा भी है जो रोटेशन में शामिल है, मुझे भी यह रक़बा ज्यादा मालूम होता है । मैंने यह कहा है कि इन आंकड़ों को एग्जामिन किया जाय । मान लीजिये कि यह ४० लाख एकड़ है, २० लाख एकड़ है या ५ लाख एकड़ ही है तब भी कोई वजह नहीं है कि जिनके पास यह खाली पड़ी है वह उसको इस्तेमाल न करें । वह करते हैं तो करें वर्ना स्टेट को इन्टरवीन करने का अधिकार होना चाहिये और इस तरह की खाली जमीन को यूटिलाइज करना चाहिये ।

राजा वीरेन्द्र शाह––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन पट्टे पर उठायी जायगी तो वह असामी इजेक्ट भी हो सकेंगे या नहीं ?

श्री चरणसिंह––यह कहना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है कि २० साल के लिये उठाई जाय, आने वाले समय में देखा जायगा कि इसके बारे में क्या लेजिस्लेशन होता है ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––(श्री राज नारायण से) अब आप कौन सा लेना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण––३९ ख में अधिवासी वाला संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष––तो अब ये बीच के खंड बाद को लिये जायेंगे ।

नया खण्ड ३९–ख

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)––अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि यह असल में कोई संशोधन नहीं है बल्कि विधेयक के अन्दर एक विधेयक सा है । तो उसमें हर कोई संशोधन लावेंगे या कोई व्यवस्था होगी क्योंकि हर एक विषय पर संशोधन हो सकता है । इसलिये पहले उस पर विचार कर लें तो उत्तम होगा ।

श्री अध्यक्ष--यह जो संशोधन पर संशोधन हैं इनको एक-एक कर के लूंगा और उसके बाद उन पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद जैसा संशोधित रूप होगा उसके ऊपर वोटिंग हो जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--संशोधन पर संशोधन तत्काल लिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--संशोधन पर संशोधन तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वह उसमें शामिल हैं।

(एक क्षण के अनंतर)

(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) अगर आप उचित समझें तो आप पूरा न पढ़ कर खुलासा उसका सारांश कह दें। अपने भाषण में उसका सारांश कहते चले जांय, क्योंकि इस संशोधन को पूरा पढ़ने में तो आध घंटा योंही लग जायगा। अन्य सदस्य तो अपना संशोधन पढ़ कर ही पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। (कोई आवाज विरोधात्मक नहीं आई)। मैं भी एक ही बार इसको पढ़ूंगा।

श्री चरण सिंह--अगर आप आज्ञा दें तो मौर्य जी की तरफ से मैं कह दूं।

श्री अध्यक्ष--आप ही की तरफ से तो वह कह रहे हैं। आप स्वयं ही कहिये।

[श्री चरण सिंह--खंड ३९-क के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ३९-ख के रूप में रख दिया जाय--

उ० प्र० अधिनियम १,१९५१ में नये अध्याय ९-क का बढ़ाया जाना।

३९-ख--मूल अधिनियम के अध्याय ९ के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय ९-क के रूप में रख दिया जाय--

"अध्याय ९-क

अधिवासियों को सीरदारी अधिकारों का प्रदान

उस भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम तथा स्वत्व का हस्तगतीकरण जो अधिवासी के कब्जे में हो।

२४०-क--उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसी भूमि में जो, उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसके कब्जे में समझी जाती थी, किसी क्षेत्रपति (land holder) के सब अधिकार, आगम और स्वत्व इस प्रकार निर्दिष्टदिनांक से (जिसे आगे चलकर निश्चित दिनांक कहा गया है), समाप्त हो जायंगे और उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, सब भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(२) राज्य सरकार के लिये वैध (lawful) होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जारी करे, जो निर्दिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब निदेश ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

धारा २४०-क के अधीनअधिकार, आगम तथा स्वत्व को हस्तगत करने के परिणाम।

२४०-ख--धारा २४०-क के अनुसार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर, इस अधिनियम के अध्याय २ तथा ९ में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर, तद्-विषयक (to which the notification relates) क्षेत्र में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे--

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निश्चित दिनांक (appointed date) से ठीक पहले के दिनांक पर, अधिवासी था या समझा

[ ]यह भाग श्री अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार सदन में पढ़ा नहीं गया था।

गया था, निश्चित दिनांक से उस भूमि का, जिसका उल्लेख धारा २४०–क में किया गया है और जो उसी रूप में उसके कब्जे में है, सीरदार बन जायगा और उसको ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसे सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अनुसार सीरदारों को प्राप्त हैं या उन पर आरोपित किये गये हैं।

(ख) (१) धारा २४०–क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अधिवासी द्वारा निश्चित् दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये देय ऐसे सब लगान जो क्षेत्रपति को देय होते यदि उक्त धारा के अधीन उक्त भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम और स्वत्व को हस्तगत (acquire) न किया गया होता, राज्य सरकार में निहित होंगे और उसी को देय होंगे न कि क्षेत्रपति को, और इस खंड के निदेशों के विपरीत यदि कुछ दिया जाय तो देनेवाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा :

(२) यदि निश्चित दिनांक (appointed date) के पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract)के अधीन कोई लगान उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये क्षेत्रपति को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) या अभित्यक्त (released) हो गया हो तो वह लगान ऐसे अनुबन्ध या संविदा के रहते हुए भी राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रपति से वसूल किया जा सकेगा और वह वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुए धारा २४०–ङ के अधीन क्षेत्रपति को दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि में से काट कर वसूल किया जा सकेगा ;

(ग) धारा २४०–क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में मालगुजारी की सभी बकाया, जो निश्चित दिनांक के पूर्व किसी भी अवधि के लिये क्षेत्रपति से प्राप्य (due from) हो, ऐसे क्षेत्रपति से वसूल की जाने योग्य रहेगी ;

(घ) किसी भूमि में इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्रपति के अधिकार, आगम, और स्वत्व किसी दीवानी या माल न्यायालय की किसी डिग्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेंगे, और निश्चित दिनांक पर वर्तमान कोई कुर्की अथवा ऐसे दिनांक के पूर्व कुर्की के लिये दी गयी कोई आज्ञा, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ ई० की धारा ७३ के निदेशों को बाधित न करते हुए निष्प्रभाव हो जायगी ;

(ङ) किसी ऐसे रुपये के लिये जो धारा २४०–क में अभिदिष्ट भूमि के बन्धक से सुरक्षित (secured) हो या उस पर भार–रूप (charged) हो, कोई दावा (claim) जो निश्चित दिनांक से पहले क्षेत्रपति द्वारा किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने निश्चित दिनांक से पहले

[श्री चरण सिंह]

उपगत (incurred) किया हो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई दशा को छोड़कर ऐसी भूमि या ऐसे अधिवासी के विरुद्ध जो खंड (क) के अनुसार सीरदार बन गया हो, व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable) ; और

(च) इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :

(क) धारा २४०—क में अभिदिष्ट भूमि के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार जो समय विशेष पर प्रचलित विधि द्वारा नियमित होगा, और

(ख) निश्चित दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार और वे, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार, प्राप्त हो; और

(छ) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद और व्यवहार (proceedings) जो निश्चित दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों और निश्चित दिनांक के पूर्व ऐसे किसी वाद या व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखने वाली सब कार्यवाहियां रोक दी जायंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिग्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा, किसी वाद—ऋणी (judgment debter) की उसके खाते से बेदखली द्वारा निष्पादित नहीं की जायंगी।

क्षेत्रपति को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार।

२४०—ग—प्रत्येक क्षेत्रपति, जिसके धारा २४०—क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अधिकार, आगम अथवा स्वत्व उक्त धारा के अधीन हस्तगत किये जायं, आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर विवरण-पत्र

२४०—घ—धारा २४०—क के अधीन भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम और स्वत्व हस्तगत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(क) क्षेत्रपति का या क्षेत्रपतियों के नाम ;

(ख) यदि धारा २४०—क में अभिदिष्ट भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ;

(१) क्षेत्रपति (land-holder) की सीर या खुदकाश्त, या काश्तकारी शरह मुअय्यन के रूप में अभिलिखित थी ; अथवा

(२) धारा १८ के खंड (घ) में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग में आने वाले व्यक्ति के खाते के अन्तर्गत थी, या

(३) धारा १९ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग में आने वाले व्यक्ति के खाते के अन्तर्गत थी,

तो उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों के अनुसार आकलित (computed) लगान।

(ग) यदि धारा २४०—क में अभिदिष्ट भूमि खंड (ख) में लिखित भूमि से भिन्न थी, तो उसके काश्तकार द्वारा ऐसी भूमि के लिये उक्त दिनांक को देय लगान ; और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

अधिवासी के क्षेत्रपति को देय प्रतिकर।

२४०-ङ—धारा २४०—ग के अधीन क्षेत्रपति को देय प्रतिकर निम्नलिखित होगा :—

(१) यदि क्षेत्रपति अथवा उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी (predecessor-in-interest) धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर था तो:—

(क) धारा २४०—घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दसगुनी धनराशि, और उसी के साथ,

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान, यदि कोई हो, जो उसे अध्याय ३ से ५ तक के निदेशों के अनुसार देय हों ;

(२) यदि ऐसा क्षेत्रपति निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर शरह मुअय्यन काश्तकार था या धारा २४०—घ के खंड (ख) के उपखंड (२) में अभिदिष्ट व्यक्ति था, तो उक्त धारा के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की बीस गुनी धनराशि ;

(३) यदि ऐसा क्षेत्रपति निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खंड (१) या (२) में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न भूमिधर था, तो

(क) धारा २४०—घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दसगुनी धनराशि, और

(ख) उक्त धारा के खंड (ग) में अभिदिष्ट लगान की दसगुनी धनराशि ;

(४) यदि ऐसा क्षेत्रपति अथवा उसका स्वत्व, पूर्वाधिकारी (predescessor-in-interest) निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २४०—घ के खंड (ख) के उपखंड (३) में अभिदिष्ट व्यक्ति था, तो धारा २४०—घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दसगुनी धनराशि

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि यदि खंड (३) के उपखंड (क) या खंड (४) के अधीन देय धनराशि ऐसी भूमि के लिये उसके काश्तकार द्वारा निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान के पांच गुने से कम हो, तो देय धनराशि उक्त लगान के पांच गुने के बराबर होगी।

[श्री चरण सिंह]

विवरण का प्रारंभिक प्रकाशन ।

२४०-च---धारा २४०-घ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध क्षेत्रपति को भेज दी जायगी ।

आपत्तियों को प्रस्तुत करना ।

२४०-छ---स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के विरुद्ध, उसके प्रकाशन के दिनांक से एक महीने के भीतर नियत रीति से प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

आपत्तियों का निस्तारण ।

२४०-ज---(१) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, प्रतिकर अधिकारी धारा २४०-छ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, फरीकों की सुनवाई करके, नियत रीति से आपत्तियों का निस्तारण करेगा ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति :

(क) यह हो कि वह भूमि, धारा २४०-क की उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस सम्बन्ध में विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके उसे धारा २३४-क के साथ पठित धारा २२९-ख की अधीन उस भूमि के सम्बन्ध में वाद के निर्णय का अधिक्षेत्र रखने वाले न्यायालय के पास निस्तारण के लिये अभिदिष्ट करेगा और तत्पश्चात् ऐसे वादों की सुनवाई और निस्तारण के सम्बन्ध में सभी निदेश ऐसे अभिदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों की वह वाद (suit) है ;

(ख) ऐसी हो जिसमें आगम का प्रश्न अन्तर्गस्त हो (involves a question of title) और ऐसे प्रश्न को किसी समर्थ न्यायालय ने पहले से निर्णीत न किया हो तो प्रतिकर अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण---इस बात से कि कोई व्यक्ति अधिवासी है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि इस खंड के प्रयोजनों के लिये आगम का प्रश्न उठता है ।

(३) डिस्ट्रिक्ट जज उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न का नियत रीति से निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अंतिम होगा ।

कलेक्टर के पास अपील ।

२४०-झ---(१) किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रतिकर अधिकारी की धारा २४०-ज के अधीन प्रतिकर की धनराशि से सम्बद्ध आपत्ति की निर्णायक आज्ञा से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा ।

विवरण का अंतिम प्रकाशन ।

२४०-ञ---(१) यदि धारा २४०-च के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय अथवा यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं और अन्ततः निस्तारित हो जायं तो विवरण यथावश्यक संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायगा । उक्त विवरण पर प्रतिकर अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मोहर लगायेगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया गया विवरण अंतिम होगा ।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध क्षेत्रपति को निःशुल्क दी जायगी।

प्रतिकर का भुगतान।

२४०–ट—(१) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, धारा २४०–झ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में वर्णित प्रतिकर नकदी में एक-मुश्त अथवा वार्षिक किस्तों में—

(क) जो धारा २४०–ङ की उपधारा (२) तथा (३) में अभिदिष्ट मामलों में १० से अधिक न होंगी, तथा

(ख) धारा २४०–ङ की उपधारा (१) तथा (४) में अभिदिष्ट मामलों में, ५ से अधिक न होंगी,

जैसा नियत किया जाय, दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रतिकर का भुगतान किस्तों में नियत किया जाय तो प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त उसका ६१/४ प्रतिशत भी दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उसी क्षेत्रपति को दिया जायगा जिसके नाम का इन्दराज अंतिम प्रतिकर विवरण में हो और यदि प्रतिकर के भुगतान से पूर्व क्षेत्रपति की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विविध प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा २४०–ङ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार भुगतान योग्य प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान, अध्याय ४ और ५ के निदेशों के अनुसार दिये जायेंगे।

इस अध्याय के निदेश इवैक्युई प्रापर्टी पर लागू नहीं होंगे।

२४०–ट—इस अध्याय की कोई भी बात इवैक्युई प्रापर्टी पर लागू नहीं होगी।

नियम बनाने का अधिकार

२४०–ड—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) धारा २४०–ख के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित लगान तथा अन्य देय धनराशियों के हिसाब लगाने का ढंग ;

(ख) इस अध्याय के अधीन स्थगित वाद और कार्यवाहियों का निस्तारण ;

(ग) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा २४०–घ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा ;

(घ) रीति जिसके अनुसार प्रतिकर अधिकारी धारा २४०–ज के अधीन समर्थ न्यायालय अथवा डिस्ट्रिक्ट जज को आपत्तियां अभिदिष्ट करेगा ;

[श्री चरण सिंह]

(ङ) उन क्षेत्रों में जहां मौरूसी दर अवधारित न हों, उसके अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत;

(च) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन मामलों में, जिनके निमित्त यहां पर विशेष निदेश नहीं किया गया है, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के निदेशों की प्रवृत्ति ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में उन मामलों में देय शुल्क जिनके लिये यहां पर विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी (authority) के कर्त्तव्य तथा उक्त अधिकारी अथवा आधिकारिकी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी से अन्य अधिकारी अथवा आधिकारिकी को कार्यवाहियों का संक्रामण (transfer)

(ट) इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में जिनके निमित्त विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों या नियत किये जायं ।"[

श्रीमन्, इसका मंशा यह है कि जिस भूमि पर अधिवासी लोगों का हक है उसमें क्षेत्रपति होगा अर्थात् उनके लैण्डहोल्डर्स का हक गवर्नमेंट ऐक्वायर कर लेगी, हस्तगत कर लेगी और गवर्नमेंट उन लैन्डहोल्डर्स को ख्वाह वह टेनेन्ट्स इन चीफ रहे हों या पुराने जमींदार रहे हों उनको अपनी तरफ से मुआविजा दे देगी जैसी जमींदारी अबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स के अधिवासी वाले चैप्टर की योजना है। उसके मुताबिक ऐसे भूमिधरों को जिन्होंने दसगुना देकर भूमिधरी का हक हासिल किया है अपने लगान या मौजूदा मालगुजारी का १५ गुना पाने का हक हासिल था । मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा । मान लीजिये एक पुराना काश्तकार असली है, एक जमीन का लगान अपने जमींदार को २१ रुपए देता था और उसने शिकमी को जमीन उठायी हुई थी । मान लीजिये ५० रुपए एकड़ पर अब यह २१ रुपए देनेवाला काश्तकार अगर भूमिधर बना तो २१ रुपए का दसगुना यानी २१० रुपए दाखिल किया । तो मौजूदा ऐक्ट की स्कीम यह है कि वह २१ का १५ गुना दाखिल करेगा, अधिवासी अगर भूमिधरी का हक हासिल करता है १० गुना देकर वह क्षेत्रपति बरकरार हो गया । जो भूमिधर होगा पुराना असली वह पांच गुना और देगा उसको लगान का यानी २१ रुपए का पांच गुना देगा, १०५ रुपए देगा । यह उसको १५ गुना वापस कर दिया जायगा, दसगुना जो पहले दाखिल कर चुका है वह दे दिया जायगा और पांच गुना यह उसको काश्तकारी के हक का मुआवजा और जो वैसे जमींदारों के अधिवासी हैं तो उनको ५ गुना तो मिलेगा मुआवजा हक का, कल्टीवेटरी राइट्स का कंपेंसेशन, क्योंकि जमींदार की सीर की बाबत मालगुजारी देता था, लगान नहीं देता था जैसे काश्तकार असली लगान देता था तो इसलिये उसकी हेरीडेटरी राइट्स का वह ५ गुना देगा और जो भूमिधर दसगुना जमा करके बना था उसको दसगुना वापस हो रहा है और जो सीर के अधिवासी हैं तो उस क्षेत्रपति को इस पांच गुने के अलावा बतौर हक मिल्कियत के मुआबिजा रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट मिलेगी । जैसे

कि जमींदार की और काश्तकारी थी उसका हक मिल्कियत ले लिया गया, काश्तकार सीरदार बना दिये गये तो उसकी जमीन का उसको मुआवजा दे दिया गया था ।

मैं फिर इसको दोहराने की कोशिश करूंगा । दो तरह के भूमिधर हैं एक तो जमींदार से भूमिधर हुए अपनी सीर खुदकाश्त पर तो उनको मुआविजा मिलेगा प्रतिकर का अनुदान और पांच गुना मिलेगा उनको सीर के हक का, स्टैचुयरी राइट्स या हेरीडेटरी राइट्स का और जो दसगुना देकर बने हैं उनको वह दसगुना वापस हो जायगा और उनको लगान का पांचगुना मिलेगा । यह मौजूदा कानून की स्कीम थी । यह मुआवजा था । अब जैसा कि बिल पेश है उसमें पहले अधिवासी केवल भूमिधर बन सकता था अब हमने उनको सीरदार भी बनने की तजवीज इस बिल के अन्दर रक्खी थी । तो सीरदार बजाय १५ गुना देने के पांचगुना देकर बन सकता था । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जितने अधिवासी हैं मेरा अनुमान है कि उनमें से ७५ फीसदी अधिवासी सीरदार के मातहत हैं और २५ फीसदी भूमिधर के हैं । १८, १७ फीसदी रकबा ऐसा है कि जो सीरदार और खुदकाश्त का था और जो सीरदारी और भूमिधरी में आ गया है, तो उनके अधिवासी हैं और ऐसे काश्तकार असली जिनके पास अपनी जमीन खुदकाश्त के लिये नहीं थी और फिर भी वह भूमिधर बना दिये गये हैं ऐसे २४ फीसदी होंगे । तो २० से २५ फीसदी रकबे के जो अधिवासी आज हैं वह भूमिधरी के हैं और बाकी ७५ से ८० फीसदी तक अधिवासी सीरदारी के हैं । तो बिल की स्कीम यह है कि पहले भूमिधर बनने का मौका नहीं था, अगर था तो १५ गुना अपने क्षेत्रपति को लगान का जमा करना पड़ता था अब हम उनको ५ गुना दाखिल करा के उनको सीरदार बनने का मौका दे रहे हैं । यह बिल की स्कीम है । लेकिन यह जो संशोधन है यह उससे बिल्कुल अलग स्कीम है एक तरीके से । उसमें तो अधिवासी परचेज आउट करता था भूमिधरी और सीरदारी के हक को और सीरदार खजाने में रुपया जमा करता था वह लायबिल टु एजेक्टमेंट होता था इसमें गवर्नमेंट लैन्ड लार्ड्स के राइट्स को एक्वायर कर रही है उस जमीन में जिसमें कि अधिवासी आबाद हैं । तो पहला क्लाज जो आपके संशोधन का है उसका मंशा यह है कि जमीन गवर्नमेंट एक्वायर करे और उसके बाद उन अधिवासियों को, सबको गवर्नमेंट सीरदार एक नोटीफिकेशन से डिक्लेयर कर देगी । पहले जो मुआवजा मिल रहा था जमींदार को और काश्तकारान असल को उससे दूना मुआवजा मिलेगा । लेकिन मुआवजे देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी और अधिवासी से कोई ताल्लुक न होगा । जिस तरह अब सीरदारों से गवर्नमेंट आप ही लगान वसूल कर रही है और जो मुनाफा जमींदारों को होता था मालगुजारी देने के बाद वह मुनाफा अब गवर्नमेंट के पास बचेगा, उसमें से गवर्नमेंट ४० साल तक जमींदारों को मुआविजा दे देगी । इसी प्रकार अधिवासियों से सीधे लगान वसूल करेगी जो अपने क्षेत्रपतियों को, साबिक काश्तकारान असली को, या जमींदारान को दे रहे थे और गवर्नमेंट अपने पास से जैसे जमींदारों को प्रतिकर का अनुदान दे रही है इसी तरह से इन क्षेत्रपतियों वगैरह को जिनकी सीर में गैर दाखिलकार काश्तकार थे उनको मुआवजा अपने आप दे देगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या रकम होगी ?

श्री चरणसिंह—सब बतलाता हूं जरा सा इत्मीनान रखिये । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अब तक हक काश्तकारी का मुआविजा पांचगुना उस लगान या मालगुजारी का था जो कि अब भूमिधर सरकार को दे रहे थे या पहले जमींदारों को दे रहे थे । अब वह पांचगुने के बजाय १० गुना होगा हैरीडेटरी रेट्स का । हमारे यहां जो लगान है, जो कि काश्तकारान दे रहे हैं जमींदारों को, वह हेरीडेटरी रेट्स पर ही आश्रित था कहीं उससे कुछ कम नहीं उससे कुछ ज्यादा, लेकिन उसका औसत जो जाकर पड़ता है वह लगभग हैरीडेटरी रेट्स के ही पड़ता है तो अब तक की स्कीम में यह था । कोई शख्स औक्यूपेंसी टेनेन्ट था उसका लगान जो और काश्तकारान लगान देते थे उनसे कम होता था, ४ आने, २ आने कुछ कम होता था । तो यह जो लगान दे रहे हैं यह लोग भी पांच गुना पाते और जो लोग ज्यादा लगान दे रहे थे वह लोग भी पांचगुना पाते । जो लोग ज्यादा लगान दे रहे थे उनको मुनाफा कम होता था तो उनको

[श्रीचरण सिंह]

तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा और जो लोग कम मालगुजारी देते थे गवर्नमेंट को वह भी पांचगुना पाते और उनको मुनाफा ज्यादा हो रहा था। तो उनको मुआवजा कम मिलता। मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिये मैं काश्तकार असली हूं मेरा ४ रुपया फी एकड़ लगान है, औक्यूपेंसी टेनेन्ट का, सारे सूबे में यही चार रुपए का औसत पड़ता है मान लीजिये मेरे पास में जो दोस्त बैठे हैं या हैरीडेटरी टेनेन्ट थे या स्टेट्यूटरी टेनेन्ट थे, दखलकार या मौरूसी काश्तकार थे। इनका लगान होगा ७ रुपया एकड़। ६ रुपए एकड़, ७ रुपए एकड़ बैठता है। ७ रुपए मान लिया जाय तो ७ जरब ५ बराबर ३५। और इन्होंने जो अधिवासी को जमीन दी हुयी थी वह १२ रुपए एकड़ पर दी हुयी थी और मैंने भी १२ रुपया एकड़ पर दी हुयी थी मान लो। मैं दखीलकार होने के नाते कम लगान दे रहा था और यह हैरीडेटरी काश्तकार होने के नाते ज्यादा लगान दे रहे थे। इन्होंने भी अधिवासी को दे रखी थी, और मैंने भी देखी थी, दोनों ने १२ रुपए पर दे रखी थी। तो जो मौजूदा ऐक्ट है, बिल की जो स्कीम थी वह यह थी कि आपको ७×५ रुपया मिलेगा और मुझे ४×५ यानी २० रुपया मिलेगा। जबकि १२ में से ४ घटाया तो ८ रुपया सालाना मुनाफा मुझे होता था और १२ में से ७ रु० घटाया तो ५ रुपया मुनाफा इनको होता था। तो ८ रुपए वाले को २० रुपया मुआवजा पड़ा और ५ रुपए वाले को ३५ रुपए तो जो ऐक्ट की स्कीम है, बिल के अन्दर जो स्कीम है उसमें यही इनइक्वेटी थी। अब हमने यह किया है कि हेरीडेटरी रेट्स जो कि बन्दोबस्त के वक्त कायम हुए और जमीन की हैसियत देखकर कायम हुए तो उसका ५ गुना नहीं बल्कि १० गुना मुआवजा गवर्नमेंट अपने पास से देगी। जो भूमिधर हैं उनको इसके अलावा हक मिल्कियत का मुआवजा और अनुदान इस ऐक्ट के मातहत मिलेगा और जो फिक्सड रेट्स टेनेन्ट्स हैं, शरह मुअय्यन काश्तकार हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है क्योंकि वह इंटरमीडियरी की तरह से नहीं आते। लेकिन क्योंकि हक इन्तकाल उनको हासिल था इसलिये शरह मुजय्यन काश्तकार को और दवामी पट्टेदार या इस्तमरारी पट्टेदार या और भी जो काश्तकार थे जिनको हक इंतकाल हासिल था उनको दफा १८ के मातहत एकदम भूमिधर करार दे दिया गया था। लेकिन उनको कोई मुआविजा नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को और दूसरे काश्तकारों को जिनको कि अपने खाते को मुन्तकिल करने का हक हासिल था राइट आफ ट्रांसफर हासिल था, और वह भूमिधर बने औटोमेटिली बिना कुछ दिये हुए और उनकी जमीन पर अधिवासी था, तो अधिवासी वाली जमीन जब ऐक्वायर की जायगी तो उनको हेरीडेटरी रेट्स का २० गुना मुआवजा मिलेगा, लगान का नहीं। क्योंकि लगान कम था। लगान का अगर दे दो मुआविजा कम बैठता है। मान लो श्री बेचन राम जी गुप्त हैं, फिक्सड रेट टेनेन्ट्स हैं, और एक एकड़ फिक्सड रेट टेनेन्सी है और उन्होंने अधिवासी को दी हुई है।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में जो समय है मैं समझता हूं कि चूंकि आपने संशोधन अभी पढ़ा नहीं, इसलिये दस मिनट का समय बच गया जो समझ लीजिये आपको अधिक मिल गया और १० मिनट आपका समय पहिले ही नियत था इनको मिलाकर अपना समय आप २० मिनट समझ लीजिये, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। इतने ही में खत्म करना है। इसी तरह से जो लोग संशोधन पेश करने वाले हैं वह भी चूंकि पढ़ेंगे नहीं, छोटा मोटा हो तो कोई बात नहीं। तो उनके लिये भी थोड़ा समय बढ़ा देने में मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं है। ५ मिनट के बजाय ७ मिनट दे दूं, उनको भी तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह---५ के बजाय ७ मिनट देने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने में तो १० मिनट से ज्यादा समय लगता।

श्री अध्यक्ष---अभी १० मिनट ही हुए हैं, १० मिनट और आप बोल लें।

श्री चरणसिंह---मैं इतने ही में बोल लूंगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मान लो एक फिक्सड रेट टेनेन्ट है, शरह मुअय्यन काश्तकार हैं, इनका लगान औसतन ४ रुपया फी एकड़ पड़ता है या भूमिधर हो गये। बेचन राम जी का नाम क्यों लिया जाय मेरे सामने माननीय राजनारायण जी बैठे हुए हैं मान लीजिये राज नारायण जी के पास १५० एकड़ शरह मुअय्यन जमीन है तो फी एकड़ ४ रुपया लगान औसतन बनारस डिवीजन में फिक्सड रेट टेनेंट्स का था जो कि अपने प्रोप्राइटर को देते थे। कहीं दो है, कहीं ढाई है, कहीं साढ़े चार रुपया है लेकिन साढ़े सात लाख एकड़ कुल रकबा है फिक्सड टेनेंट्स का और ३० लाख रुपया वह लगान देते थे तो ४ रुपया एकड़ ही पड़ता है। तो अब सीधे भूमिधर हो गये। इनकी जमीन अगर अधिवासी के पास है तो इनको २० रुपया मिलेगा हैरीडेटरी रेट का जो इनकी जमीन का होगा। ४ रुपया जो अब मालगुजारी दे रहे हैं, उसका २० गुना नहीं, बल्कि ६ रुपया बनारस और जौनपुर की तरफ औसतन हैरीडेटरी रेट है। तो २० × ६ बराबर १२० रुपया इस तरह से इनको मिलेगा और जो खाली सीरदार हैं उनके पास केवल हक काश्तकारी है, जो कि आज शिकमी के पास है तो उनको १० गुना हैरीडेटरी रेट का मिलेगा। तो इस तरह से श्रीमन्, मुआवजा दुगना और कुछ केसेज में दुगने से भी ज्यादा पड़ता है। जो मौजूदा स्कीम थी उससे तिगुने से भी ज्यादा पड़ता है कुछ काश्तकारों को तिगुना मिला है मसलन काश्तकार, दखीलकार और साकितुलमिल्कियत काश्तकारों को जो मिलता है उससे तिगुने, चौगुने तक के केसेज हो सकते हैं। दुगना तो प्रायः सबको मिलेगा। लेकिन ऐसे भी काश्तकार हो सकते हैं जिन्होंने इस लड़ाई के जमाने में जमीन ली तो उन्होंने बहुत ऊंचे लगान पर जमीन ली और सर्किल रेट के या हैरीडेटरी रेट के दुगने से ज्यादा लगान उन्होंने दिये। तो श्रीमन्, जैसा कि एक संशोधन का जिक्र आ चुका है दफा २४६ में जो किया जा रहा है उसकी मंशा यह है कि आज जितने भी सीरदार हैं उन सबका लगान अगर दुगने से ज्यादा है तो दूना कर दिया जायगा। इस तरह के काश्तकार हैं जिन्होंने जमीन लड़ाई के जमाने में ली है तो उनको भी हैरिडेटरी रेट का दसगुना मिलेगा। हो सकता है कि एक आध केस ऐसे हों जिन काश्तकारों का लगान हैरिडेटरी रेट से दूने से ज्यादा हो तो उनको इतना फायदा नहीं हुआ जितना और सीरदारों तथा भूमिधरों को हुआ। हमने शर्त कर दी है कि अगर लगान दूने से ज्यादा है तो हियरडेटरी रेट का किसी भी सूरत में लगान ५ गुने से कम नहीं होगा।

श्रीमन्, मैं एक मिसाल देना जरूरी समझता हूं, मान लो मैंने सन् १९४४ में एक जमीन ली। उस समय उसका हियरडेटरी रेट ६ रुपए था लेकिन मुझे १६ रुपए फी एकड़ मिली। लेकिन जो बिल की स्कीम है अगर उसका अधिवासी था तो १६ × ५ यानी ८० रुपए पाता। लेकिन जो मौर्य जी का संशोधन है उसमें ६ × २ यानी १२ रुपए या ६ × १० यानी ६० रुपए होता तो ऐसे केसेज में हियरेडेटरी रेट का दस गुना या पंच गुना से कम पड़ सकता था, लेकिन हमने अहतियात के तौर पर एक धारा ऐसी रखी है उसमें ऐसी शर्त है कि अगर मौजूदा लगान पंचगुने से ज्यादा है तो किसी भी सूरत में हैरेडेटरी रेट से दस गुने से ज्यादा नहीं होगा अगर है तो ५ गुने से ज्यादा नहीं दिया जायगा।

श्रीमन्, इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जैसा कि यह खयाल था कि यह अधिवासी ५ गुना नहीं दे पायेंगे तो एक तो इसके मुताल्लिक गलतफहमी थी कि अपने लगान का पंचगुना या १५ गुना देना पड़ेगा। श्रीमन्, यही गलतफहमी थी अपने लगान का नहीं देना था, बल्कि क्षेत्रपति के लगान का ५ गुना या १५ गुना देना पड़ता। वह बहुत थोड़ी तादाद थी। ज्यादातर ५ गुना देकर सीरदार बन सकते थे और १५ गुना देकर भूमिधर बन सकते थे। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि बेदखली का इमकान मुश्किल से एक फीसदी है। जिनके पास डेढ़ एकड़ दो एकड़ जमीन है और उनको जमीन का ही सहारा है तो १०० जगह से इंतजाम करता लेकिन क्षेत्रपति के लगान का ५ गुना जरूर अदा कर देता। आज जो क्षेत्रपति को लगान मिल रहा है वह औसत दुगुना या ढाई गुना पड़ता है। सीरदार जो मालगुजारी दे रहा है वह अधिवासी से दुगुनी से लेकर ढाई गुनी है और कहीं कहीं तिगुनी भी है तो अगर किसी शख्स को अपने क्षेत्रपति के लगान का पांच गुना देना है तो मतलब यह हुआ कि अपने लगान

[श्री चरण सिंह]

का दुगना देना है। १०,२० प्रतिशत ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रपति लगान का चौगुना या पंचगुना दे रहे हैं तो उनको तो केवल एक साल का ही देना पड़ रहा है। मेरा अपना अनुमान तो यह था कि इससे किसी की बेदखली नहीं होगी। फिर भी एक इमकान था कि हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत पड़ जाय, लेकिन अब जो स्कीम है इससे किसी की बेदखली का सवाल ही नहीं रहता है। एक तो फायदा यह है और दूसरा फायदा यह है कि पंचगुने या दस गुने के दाखिल करने के लिये जो आते तो राज कर्मचारियों का काफी समय जाता और स्टाफ मुकर्रर करने में, छोटे छोटे एरिया में, समय ज्यादा लगता। एक बात मैं भूल गया कि बेदखली की बात यहां भी नहीं थी और ६ महीने का मौका तो जहां कांसालिडेशन होता वहां होता, वरना कोई मियाद नहीं होती। ६-७ साल तक का मौका लोगों को देने का था।

दूसरी बात यह थी कि इस स्कीम में हम सब झंझटों से बच जाते हैं कि ५ गुना लेना, जमा करना, फिर रसीद देनी, सनद देनी, इस झंझट से बच गये। एकदम एक स्ट्रोक आफ पेन से सब लोग सीरदार हो गये। तो इस तरह से जो ये तीन चार साल लगते उससे और हमें जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थीं उससे बचे और तीसरा फायदा यह है कि तीन चार साल जो और लगते हमारी भूमि व्यवस्था को सरल बनाने में वह आज ही अक्तूबर में बन जायगी।

लोग कहते थे कि चतुर्वर्ण हैं। माननीय राजनारायण जी और उनके दोस्तों को चतुराश्रम और चतुर्वर्ण पर जो खेलने का मौका मिलता था, तो श्रीमन्, वह केवल दो ही वर्ग रह गये भूमिधर और सीरदार। असामी तो नहीं के बराबर है। एक तो समाज की शिफ्टिंग या टेम्पोरेरी कैरेक्टर की जो जमीन है उसमें तो आसामी रहेगा ही, उसका कोई इलाज नहीं है और एक असमर्थ भूमिधर और सीरदार जो हैं उनके असामी रहेंगे उसका भी इलाज नहीं है। वैसे केवल दो ही वर्ग रह जाते हैं। पहले तीन थे, अब दो ही रह जाते हैं तो अब बहुत जल्दी से और आसानी से हमारा लैन्ड टेन्योर सिस्टम और ज्यादा सिम्पलीफाई हो जायगा। चौथा फायदा यह है कि इसमें जब तक यह मामला फाइनली तय नहीं होता पुराने जमींदार और पुराने काश्तकार असली और उनके शिकिमियों का आपस का रिशता स्टैबिलाइज नहीं किया जाता, तब तक गांवों में टेंशन, बेदखली, लेखपाल पर जोर, झूठ बोलने की गुंजाइश, मुकदमेबाजी और लाठी पौंगा, यह सब होगा। अर्थात् एक अनसरटेंटी बनी हुयी है। कहीं जहां अधिवासी या उनके दोस्त अहबाब बहुत मजबूत हुए तो वह दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर यह था कि उनके जो क्षेत्रपति थे वह उसको बेदखल करने की कोशिश करते थे और जो गरीब अधिवासी थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि अदालतों में जाकर स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। वह अनसरटेंटी जो कई साल तक बनी रहती वह आज ही खत्म हो जाती है।

श्रीमन्, इसी जैल में समझ लीजिये यह पांचवां इंडिपेंडेंट फायदा यह है कि आज जो पुराने काश्तकार थे उनका और पुराने जमींदारों का रिश्ता खत्म हुआ। जब लोग रिआया कहलाते थे, मजदूर कहलाते थे और उस फ्यूडल सिस्टम में अपने मकानों तक के मालिक नहीं थे, उनकी भी बेड़ियां पहले कट चुकी थीं, लेकिन यह अधिवासी बंधा हुआ था पुराने क्षेत्रपति से। वह देखता था कि अमीन मालगुजारी वसूल करने आया, पुराने काश्तकार से और जमींदार से, लेकिन वह बाट जोह रहा था कि वह दिन कब आयेगा जब मुझ से भी वह सीधे मालगुजारी लेगा। तो अधिवासी जिस दिन की बाट जोह रहा था और गवर्नमेंट और स्टेट से सीधा सम्बन्ध जोड़ना चाहता था वह उसका सपना पूरा हुआ। और छठा फायदा यह है कि क्षेत्रपतियों से, उससे अब दूना मुआविजा मिल रहा है किसी किसी केस में ढाई गुना और तिगुना मुआविजा मिलेगा और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी। गवर्नमेंट धीरे धीरे पुराने सीरदारों को ५ साल के अन्दर और पुराने भूमिधरों को १० साल के अन्दर और अगर देने की गुंजायश उसक पास हुई तो एक मुश्त मुआविजा दिला देगी। कुछ ऐसे गरीब

सीरदार भी थे जिनके पास कुल दो एकड़ जमीन थी और आधा एकड़ अधिवासी को दी थी। तो अगर उसकी जमीन बेदखल हो जाती तो ढाई एकड़ जोत सकते थे। लेकिन हमने इन अधिवासियों को बेदखल करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वह सीरदार भी ग़रीब था। उसके लगान के पांचगुना की बाबत यह कहा जाता था और मैं समझता हूं कि काफ़ी जस्टीफ़िकेशन इस बात का था कि यह मुआविज़ा कम है लेकिन अब वह मुआविज़ा दुगुना, तिगुना हो जायगा। तो यह स्कीम बहुत सोचने विचारने के बाद पेश की गयी है और अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि यह सदन बहुत खुशी के साथ इसको मंजूर करेगा।

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—एक ज़रा निवेदन मैं कर दूं कि जो मेरा संशोधन है इसमें अगर आप ऐसा कर लें कि जो कालीचरण टंडन जी के संशोधन हैं ११२-छ और ११२-ञ पर यह दोनों संशोधन मुझे स्वीकार हैं, तो ये दोनों संशोधन मेरे संशोधन में जोड़ कर अगर रख दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं मान लेता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने ही इनको मूव कर दिया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो उन पर अलहदा से भाषण नहीं होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के संशोधन के खंड २४०-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

> "२४०-क—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ होने के पश्चात् ऐसी भूमि में जो किसी अधिवासी के क़ब्ज़े में थी या उसके कब्ज़े में समझी जाती थी किसी क्षेत्रपति के सब अधिकार, आगम और स्वत्व इस प्रकार उक्त दिनांक से समाप्त हो जायेंगे और उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है सब भारों से मुक्त राज्य में निहित हो जायेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मुख्य अर्थ तो यह है कि इसमें जो माननीय मौर्य जी का संशोधन है वह यह कहता है कि कोई तिथि निश्चित करेंगे और उस तिथि को निश्चित करने में ऐसा हो सकता है कि किसी खास क्षेत्र के लिये कोई तिथि निश्चित की जाय। मेरा यह संशोधन है कि यदि माननीय राजस्व मंत्री जी के कथनानुसार यह इस प्रदेश के अधिसवासियों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला विधेयक है फिर वह समूचे राज्य भर में एक साथ लागू हो जाय और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि ऐसा इरादा तो नहीं है कि कहीं लागू किया जाय और कहीं न लागू किया जाय तो फिर मैं समझता हूं कि अगर यह अस्पष्टता हो तो उसे स्पष्ट कर दिया जाय। यह बात सही है कि सरकार का इरादा अधिवासियों को राहत देने का है और फिर आगे चल कर कहीं कहीं भी अधिवासियों को और किस तरह से राहत देने की जरूरत है वह बतलाया गया है और उसे हम और भी बतलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस संशोधन से केवल इतना ही मतलब है कि हम समूचे प्रदेश भर में एक साथ इसको लागू कर दें। यह बात भी सही है कि इसके पहिले जो पुराने अधिनियम में इस बात की गुंजाइश की गयी थी कि अधिवासियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

की बेदखली न होने पाये उसमें सरकार ने इस बात का अधिकार अपने हाथ में रखा था कि यदि सरकार चाहे तो किसी क्षेत्रपति के लिये घोषित कर दे और तब आठ एकड़ से कम के वह क्षेत्रपति अपने अधिवासियों को बेदखल कर दें।

लेकिन राज्य सरकार ने इस अधिकार का कभी प्रयोग नहीं किया। लोगों के मन में एक इनसीक्योरिटी बनी रहती है कि कभी भी सरकार इस तरह का अधिकार प्रयोग कर सकती है और मुझे मालूम भी है कि काफी जोर सरकार के ऊपर पड़ा है किसी खास क्षेत्रपति के लिये कि वह ऐसे अधिकार का प्रयोग करे और इसी लिये इतना जोर पड़ा है क्योंकि अधिनियम में इस प्रकार की गुंजायश थी और अगर अधिनियम में इस प्रकार की गुंजायश न होती तो इस प्रकार का जोर न पड़ता। अगर सरकार का कोई इरादा इसको लागू करने का नहीं है और राज्य भर के अधिवासियों के लिये इस कानून के लागू करने में कोई कठिनाई नहीं दिखायी देती है तो फिर मैं समझता हूं कि अधिवासियों के लिये यह अच्छी बात है और सरकार के लिये भी लाभदायक है अगर इसे समूचे सूबे भर में एक मरतबा लागू होने दें। इतना ही कह कर मैं राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर राय क़ायम करें जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि उनका कभी ऐसा इरादा नहीं है कि किसी जगह पर यह कानून लागू किया जाय और किसी जगह पर न लागू किया जाय। इसलिए वह अपनी सम्मत्ति दे दें तो बड़ी आसानी होगी और सदन का बहुत समय बच जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय गेंदा सिंह जी मानेंगे कि जहां जहां अधिवासी हैं, जमींदारी विनाश कानून जहां लागू है वह तो अधिवासी हैं और उन्हीं को सीरदारी का अधिकार मिलेगा। अब इसको जानते हुये भी उनको यह सन्देह है कि जहां सरकार पर जोर पड़ेगा उसी क्षेत्र में यह लागू होगा और वहां सीरदारी का अधिकार अधिवासियों को नहीं देगी। इसी प्रकार जमींदारी विनाश अधिनियम में जो धारायें रक्खी गयी थीं और इसी तरह के शब्द रक्खे गये थे तब भी यही एतराज किये गये थे यह सरकार जमींदारी का खात्मा नहीं करना चाहती और जिस क्षेत्र में सरकार चाहेगी उसी में खत्म करेगी। सरकार कहती कुछ है और करना कुछ और चाहती है। उस वक्त भी इसी तरह की निर्मूल आशंकायें हमारे विरोधी दल की तरफ से कही गईं, लेकिन वह शंका निर्मूल साबित हुई। क्या सरकार की यह मंशा हो सकती है कि कुछ क्षेत्र के अधिवासी सीरदार बना दिये जायं और कुछ क्षेत्र के अधिवासियों को सीरदार न बनाया जाय? इस तरह की बात कहना मैं समझता हूं कि एक ऐसी बात कहना है कि जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं उसी के प्रति शंका प्रकट करना है। इसीलिये २५० के ऊपर जो शिकमी थे उनको हमने पहले ही सीरदार का हक़ दे दिया, तो ढाई सौ के नीचे के जो काश्तकार हैं उनको सीरदार का हक़ न दें यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। एक काश्तकार ने क्या अच्छाई की कि हमने उसे सीरदार बना दिया और दूसरे ने क्या बुराई की कि हम उसे सीरदार न बनायें? हम चाहते हैं कि जितने अधिवासी हों सब सीरदार हों। मगर यह हमारी ड्राफ्टिंग की बात है। हम उन क्षेत्रों को अपने सेफगार्ड के लिये इसी ढंग पर रखते हैं। इससे हमारे मित्र को आशंका न होनी चाहिये कि कुछ अधिवासियों को हम सीरदार बनाने से छोड़ देंगे और किसी क्षेत्र में बना देंगे। देवरिया में माननीय गेंदा सिंह जी का जोर पड़ने पर अधिवासियों को सीरदार बना देंगे और दूसरे जिलों में नहीं बनायेंगे यह बात नहीं है। हमारे सामने सभी अधिवासी एक समान हैं और सभी को एक समान रूप देंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---कोई वजह नहीं बतलाई।

श्री चरणसिंह---लीगल एडवाइजर का कहना है कि गवर्नमेंट को बिलों में इस किस्म का अधिकार लेना चाहिये जिसके जरिये गवर्नमेंट बारी बारी से नोटिफिकेशन ईश्यू कर सके। लैंड एक्वीजीशन में भी इसी तरह का अधिकार लिया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---कम से कम लीगल ऐडवाइजर की ऐसी सलाह न माना कीजिये जो समझ में न आती हो।

श्री गेंदा सिंह---मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। इस विधेयक में भी शुरू में ही इस तरह का अधिकार लिया है कि पूरा विधेयक कुछ अंश में लागू हो, कुछ अंश में न लागू हो।

श्री अध्यक्ष---आप विश्वास इस बात का दिला सकते हैं।

श्री चरण सिंह---इरादा है, लेकिन वायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि राजस्व मंत्री के संशोधन में खंड २४०-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"२४०-क-उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ होने के पश्चात् ऐसी भूमि में जो किसी अधिवासी के क़ब्ज़े में थी या उसके क़ब्ज़े में समझी जाती थी किसी क्षेत्रपति के सब अधिकार, आगम और स्वत्व इस प्रकार उक्त दिनांक से समाप्त हो जायेंगे और उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है सब भारों से मुक्त राज्य में निहित हो जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री गेंदा सिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के संशोधन के खंड २४०-क की पंक्ति ४ व ५ में वाक्य "किसी अधिवासी के क़ब्ज़े में थी या उसके क़ब्ज़े में समझी जाती थी" के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :---

"किसी अधिवासी के क़ब्ज़े में थी या उसे क़ब्ज़ा में अधिवासी के रूप में रखने का अधिकार समझा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बड़ा सीधा सा शाब्दिक संशोधन है। सरकार का भी मन्शा यह है कि जो लोग ऐसा अधिकार रखते हों उस समय के वह अधिवासी ह और सीरदार होने के अधिकारी हैं तो फिर इस बात को स्पष्ट करने के लिये यह बात रखी गयी है कि यह तो आगे की बात है। इस समय अगर यह झगड़ा पैदा हो कि उस वक्त उसको अधिवासी होने का हक़ था या नहीं, तो वह इस समय भी झगड़ा खड़ा हो तो वह अपने को शुद्ध कर सके कि वह उस समय अधिवासी था। आज यह समझा जाय कि वह अधिवासी होने का हक़दार था। तो फिर उसको यह अधिकार हो कि वह अधिवासी हो सकता है। केवल इतनी सी बात है। मैं समझता हूं कि इतने सादे से संशोधन पर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजस्व मंत्री जी ने इसको पहले ही देख लिया हो तो अच्छा है नहीं तो वह इस समय इसको देख कर स्वीकार कर लें। यदि इसमें कोई दिक्क़त या कठिनाई इस विधेयक में आने वाली हो तो वे मुझको बतलाने की कृपा करें कि इससे यह कठिनाई पैदा होगी। मैं अगर सही समझूंगा तो इसको वापस लेने के लिये तैयार हो जाऊंगा। मैं पहले भी ऐसा करता यदि राजस्व मंत्री जी ने इरादा तो किया लेकिन वायदा नहीं किया। अगर वायदा ही कर देते तो मैं उसको भी वापस ले लेता। इसी वजह से मुझको उस पर स्टिक करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि इसको स्पष्ट करने की वह कृपा करें, जिससे मैं भी कुछ समझूं कि यह संशोधन उचित है या नहीं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री गेंदा सिंह ने जिस जगह संशोधन रक्खा है वह इस प्रकार रक्खा है "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिवासी था या समझा गया था" अधिनियम के अनुसार अधिवासी तीन क़िस्म के हो सकते हैं। एक तो वह जिनका शिकमी के तौर पर इन्दराज था, लेकिन काबिज नहीं थे। दूसरे वे जिनका नाम बाद में इन्दराज में निकाल दिया गया हो और लगातार काबिज हों। तीसरे वह जब कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि ५ साल तक बेदखल न किया जाय, उसके बाद बेदखल कर दिये गये। सरकार ने जो संशोधन रखा है वह इन तीनों दशाओं के लिये उपयोगी नहीं है। इसलिये यह जो कमी रही जा रही है उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के बाद जब लोगों को अधिकार मिलने लगे तो जमींदारों को आशंका हुई और उन्होंने अनेक प्रकार की धांधली करने की कोशिश की कहीं ऐसे शिकमी न रह जायं जिनको बाद में भी कुछ अधिकार मिल सकता हो, इस आशंका से उन्होंने लोगों को तरह-तरह से परेशान कर के आने वाले अधिकारों से उनको वंचित रखने का प्रयत्न किया। क्योंकि यह एक महत्व पूर्ण विषय है इसलिये कानून द्वारा अथवा नियमों द्वारा इन तीनों दशाओं के अधिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जितने भी अधिवासी हैं, जो लोग खेत जोतते हैं, उनको अधिकार दिया जाना चाहिये, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देहातों में हमारे जो गरीब किसान हैं ५९, ६० और ६१ की सालों में लोगों ने पटवारियों से मिल कर, उनको पैसा दे कर उनके खेतों में अपना नाम लिखवा लिया। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें कोई धांधली न हो सकती हो क्योंकि इस संशोधन के द्वारा आप सिस्टर के लड़के को भी हक़ देने जा रहे हैं। अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो बड़े पेंच में फंस जायेंगे और बहुत से गरीबों को हैरेस कर के उनके खेतों को लिखवा लेंगे। गांवों और तहसीलों में बड़ा अंधेर होता है, लोगों को परेशान किया जाता है। वकील अगर वे रखना चाहते हैं तो उनकी फीस बढ़ी हुई होती है। पहले मुख्तार होते थे वे दो दो रुपये में काम कर देते थे। मुख्तारों की परीक्षा फिर से रख दी जाय तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि पुराने मुख्तार रहे नहीं। वकील ज्यादा मेहनताना लेते हैं जिससे गरीब किसानों को मुसीबत उठानी पड़ती है। मैं बहुत साफ़ कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट थारोली, इत्मीनान के साथ इस पर विचार करे और तब कोई फैसला दे। मैं माननीय माल मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत ही सही और ठोस कदम उठाया है। किसानों के हित के लिये और अधिवासियों के हित के लिये जोकि निहायत नादेहन्द हैं और जिनकी मजदूरी की वजह से और इन छोटे खेतों की वजह से ही जीविका चल रही थी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह उन लोगों के लिये एक सुन्दर मौका दे और जिसके हित की बात सोची जाय तो पूर्ण रूप से उसके हित की बात सोची जाय, आधी बात न सोची जाय तथा घपले वाली बात न रखी जाय। मैंने इस तमाम विधेयक को देखा है और देखने की कोशिश की है। तो मैं यही चाहता हूं कि इसमें किसी को फंसान न होने पावे, काम बहुत क्लीअर होना चाहिये जिससे गरीबों का भला हो। जो हमारा मिशन है उस मिशन की पूर्ति होनी चाहिये। यह न हो कि फंसने वाली बात हो जिससे किसान पीटा जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जिन बातों को मैंने बतलाया है उस पर सरकार अमल करे।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के सामने माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खड़ा हुआ हूं। २४०—क में है कि "किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसके कब्जे में समझी जाती थी।" और माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है कि "किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसे क़ब्जा में अधिवासी के रूप में रखने का अधिकार समझा जाय।" इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अधिवासी है, अगर आज वह काश्तकार है या अधिवासी बनाने का हक़ है तो जैसा कि संशोधन मौर्य जी ने प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक हम यह देखेंगे कि भविष्य में जो अधिवासी बनने वाले होंगे उनको कोई भी हक़ नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है अगर उसको मान लें तो भूत-भविष्य सब के लिये यह बात हो जायेगी और ऐसे आदमी को अधिकार अधिवासी होने पर मिलेगा। साथ ही साथ यह भी देखा जाय कि हमारे प्रदेश में इस वक्त करेक्शन आन्दोलन चल रहा है और हर जिले में जितने पटवारी या माल विभाग के कर्मचारी हैं वे सब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने लोगों का कब्जा जिस जमीन पर है उसका ठीक तरीके पर कब्जा लिखा जाय लेकिन सचमुच अगर देखा जाय तो बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिनका पहले कब्जा था और जो अपने हल बैल से जोत रहे थे लेकिन आज जब कब्जा लिखाने का वक्त आया तो बहुत से लोगों के कब्जे खत्म किये जा रहे हैं। इस तरीके पर यह समझना है कि अधिक काश्तकार जैसा कि यह संशोधन और यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है, उसकी खबर पाकर यह कोशिश करते हैं कि जितने हमारे शिकमी व अधिवासी हैं उनके नाम किसी तरह से कागजात से निकल जायं। तो इस तरह का आन्दोलन जब सरकार ने शुरू किया तो उसके साथ साथ काश्तकारों का भी आन्दोलन चल रहा है और काश्तकार पटवारियों से मिल कर यह कोशिश कर रहे हैं कि सचमुच जिनका हक़ है और जो अपने खेत को जोत रहे थे उनका क़ब्जा कागजात से निकल जाय। इस तरह से हमें यह भय है कि हो सकता है कि वे लोग जिनको सचमुच अधिवासी करार देने का हक है या जिनको सीरदारी हक़ प्राप्त है, अगर मौर्य जी के संशोधन पर निर्भर करते हैं तो उनको भविष्य में मौका नहीं मिलेगा लेकिन अगर माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लेते हैं तो हर एक को मौका मिलेगा कि अगर किसी को अधिवासी का हक़ है तो वह उसे भविष्य में प्राप्त कर सके। अगर यह संशोधन माना जायगा तो मैं समझता हूं कि उससे किसी को कष्ट नहीं होगा और उसका अधिकार पूर्णतया उसे प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय गेंदा सिंह जी कोई बात करते हैं तो जो वह भाव प्रकट करते हैं तो उन भावों की हम क़द्र करते हैं और वह साफ़ कह देते हैं कि मेरी कानून से वाकफियत नहीं है लेकिन भाव यह है। तो बात उनकी ठीक है लेकिन अगर कोई कानून जानने वाला कानूनी तरीके पर भी वही ग़लती करता है तो उसकी बात असंगत है और उससे मैं इत्तफाक नहीं करता। माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि आइन्दा कोई भविष्य में अधिवासी हो, आइन्दा तो कोई हो ही नहीं सकता जो आज अधिवासी है वह सब सीरदार बनाये गये। माननीय शिवनारायण कह गये कि भेद भाव न हो। तो जितने अधिवासी हैं वह सब सीरदार बनाये जा रहे हैं। मेरा माननीय गेंदासिंह जी से, जिन्होंने संशोधन उपस्थित किया है निवेदन है कि वह कहते हैं कि भाव मेरा वही है। मेरे शब्दों से वही बात निकलती है। अगर उनके शब्द मान लिये जायं तो उनका आशय यह है कि जो किसी अधिवासी के क़ब्जे में थी या उसे क़ब्जा में अधिवासी के रूप में रखने का अधिकार समझा जाय। इससे दूसरे लोगों को भ्रम हो गया "कि आइन्दा भी समझा जायगा" तो वह बात तो है नहीं। मेरा जो संशोधन २४—क है उस में साफ लिखा है कि "ऐसी भूमि जो उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसके क़ब्जे में समझी जाती थी।" यानी "डीम्ड टु हैव बीन इन हिज पजेशन" यानी जो भी कानूनी तरीके पर उसके क़ब्जे में समझी जाय। किसी ने अगर जबरदस्ती क़ब्जा ले लिया हो बेदखल कर दिया हो तो दिनांक से पहले का भी माना जायगा यानी वही जो दिया है कि "डीम्ड टु हैव बीन इन हिज पजेशन" तो जो भाव

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

माननीय गेंदा सिंह जी का है वह तो यहां पहले से मौजूद है और कानूनी अल्फाज में अपनी जगह पर ठीक है लेकिन उनके अल्फाज ठीक ढंग के नहीं हैं और जो वह चाहते हैं वह पहले से मौजूद हैं। आइन्दा के लिये किसी बात की जरूरत नहीं है और जो है वह ठीक है। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि वह इसको वापस कर लें।

श्री शिवनारायण—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो जिस खेत को जोतता है वह उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा?

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के खंड २४०—क की पंक्ति ४ व ५ में वाक्य "किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसके कब्जे में समझी जाती थी" के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :—

"किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसे क़ब्जा में अधिवासी के रूप में रखने का अधिकार समझा जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जब माननीय कमला सिंह जी सदन में बैठे हैं तब श्री गेंदा सिंह जी क्यों पेश करना चाहते हैं।

अधिष्ठाता—नहीं, वह दोनों आदमियों के नाम से है इसलिये दोनों में से कोई मूव कर सकते हैं।

*श्री गेंदासिंह—थोड़ी सी गलती हो गयी कि मेरा नाम आप ने नहीं कहा था और मैं खड़ा हो गया लेकिन मेरा नाम था इसलिये मैं खड़ा हो गया और कोई गुस्ताखी तो मैंने नहीं की।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के खंड २४०—क, का भाग २ निकाल दिया जाय।

जो माननीय मौर्य जी का संशोधन है उसमें से मैं चाहता हूं कि यह हिस्सा निकाल दिया जाय :—

"राज्य सरकार के लिये वैध (lawful) होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में, अभिदिष्ट विज्ञप्ति समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जारी करे, जो निदिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब निदेश प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके भविष्य में लागू होंगे।"

इसी हिस्से को मैं चाहता हूं कि निकाल दिया जाय। इस पर थोड़ी बातचीत पहले भी हुई है लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। यदि सरकार का इरादा साफ है कि वह किसी इलाके को छोड़ने वाली नहीं है और माननीय मौर्य जी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि गेंदा सिंह जी के दबाव में तो देवरिया में तो लागू कर दें और वहां के अधिवासी लाभ उठायें और दूसरे जिले में ऐसा दबाव न पड़ने के कारण ऐसा अधिकार नहीं देंगे तो जब यह बात है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसके अतिरिक्त खंड २ में यह गुंजायश है कि इस कानून के किसी अंश को किसी क्षेत्र में लागू करे या न करे, सरकार को यह अधिकार है यानी पूरा अधिनियम लागू करे या न करे उसको पूरा अधिकार है। तो यह अधिकार तो सरकार को पहले से मिले हुये हैं हालांकि हम उसके हामी नहीं हैं कि सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अधिकार रहे। लेजिस्लेचर ने एक फैसला दिया है और सारे प्रदेश के लिये कानून बनाया है और समूचे राज्य भर के लिये एक प्रकार का कानून खेती बाड़ी के लिए बनाना चाहती है। फिर वैसी हालत में इस तरह के कानून बनाये जायं और हर जगह के लिये इस तरह के अधिकार लिये जायं यह हम समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो। सरकार का बराबर यह कहना कि उसका इरादा बिलकुल साफ है तब फिर इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है ? मैं तो यह समझता हूं कि इससे विधेयक में खबसूरती बढ़ जायगी, कुछ शब्द कम हो जायंगे, कुछ कागज, कुछ स्याही कम हो जायगी और माननीय मौर्य जी की मेहनत कम हो जायगी और माननीय सदन को यह विश्वास हो जायगा कि यह सब जगह एक साथ लागू होने जा रहा है। मैं माननीय मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की गुंजायश कानून के रखने के बाद क्या उन पर इस प्रकार के दबाव नहीं डाले जा सकते वरना इससे लाभ क्या है ? एक अलाभ तो यह है जो मैंने बताया कि दरबारदारी हो सकती है। जिन मेम्बरों या जिस इलाके के लोग को ऐसा कराने से लाभ होगा वह जरूर माननीय मौर्य जी पर दबाव डालेंगे कि यह कानून वहां पर न लागू कियाजाय। और क्या तब माननीय मौर्य जी जनता के हित का ध्यान छोड़ कर कुछ थोड़े से लोगों के हितों का ध्यान रख कर कानून को वहां पर लागू नहीं होने देंगे। नहीं तो फिर और एक मुसीबत मोल ले लें, दो चार आदमियों को असंतुष्ट करें और बेकार की तकलीफ बुला लें। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है ? अगर यह मतलब नहीं है तो क्या मतलब हो सकता है ? क्या मैं यह समझूं कि माननीय मौर्य जी को दरबारदारी से कुछ ज्यादा मुहब्बत हो गई है, वह तो दारुलशफा में रहते हैं और अगर वह दरबारदारी करायंगे तो हम लोग भी वहीं रहते हैं, देखेंगे और समझ लेंगे कि वह दरबारदारी करा रहे हैं। या फिर यह हो सकता है कि कहीं अधिवासी को हक़ दिलाना चाहती है सरकार और कहीं नहीं चाहती। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आखिर यह मामला किस तरफ जा रहा है ? यह मामला बनारस में है, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और देवरिया आदि में यह मामला है और यह मैं कहता हूं कि आपको बहुत तंग करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दरबारदारी की गुंजायश को आप निकाल दीजिये। यह मैं एक दोस्त की तरह से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा न करेंगे तो एक मुसीबत आ जायगी। हम तो जो सही बात है हमेशा उसी के लिये कहते रहेंगे और इसीलिये मेरी यह प्रार्थना है।

श्री कमला सिंह—टाइम बचाने के लिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस मौजदा विधेयक के ही शुरू में क्षेत्रों का जिक्र आया है इसलिये यहां रखने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू में जो आया है वह तो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार पूरे विधेयक की बात है और वह एक लिखने का ढंग है। वह इसमें रक्खा गया है जो हर जगह के लिये, पूरे विधेयक के लिये है। लेकिन चूंकि अधिवासी को एक विशेष अधिकार यहां सीरदार का दिया जा रहा है तो इसमें वह सब बातें जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में जिस ढंग पर रक्खी गयी थीं, जिस ढंग पर उसमें क्षेत्र के नोटिफिकेशन की बात थी, जिस ढंग पर उसमें कंम्पेन्सेशन देने की बात थी, उसी आधार पर और उसी ढंग पर सारी चीजें रक्खी गयी हैं और चूंकि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक जो ढंग था और जो भी कंम्पेन्सेशन वगैरह की बात थी, जिस ढंग पर वह मामला मुस्तकिल हो चुका है हाई कोर्ट में भी जा कर के और वह चीज अपनी जगह पर कायम रह सकी है तो वह एक ढंग है और उसी ढंग पर, जिनको माननीय गेंदा सिंह जी दफा ४ में देखेंगे, जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में हमने इसमें रखा है। हमारे लीगल एडवाइजर्स की भी यही राय है कि इसमें उसी ढंग पर रखना चाहिये कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, क्यों कि यहां भी कंपेन्शेसन देने का सवाल पैदा होता है जैसा कि भूतपूर्व जमींदारों

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

को कंपेन्सेशन दिया गया। तो यह एक प्रोसीजर, जो कि हमार एक दफा आन्दाजा हुआ है और जो निश्चित हो चुका है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई रद्दोबदल की जरूरत नहीं थी और न है। वैसे मंशा तो हमारा साफ है। हम यह चाहते हैं कि जितने अधिवासी हैं वह सब एक साथ ही डिक्लेयर कर दिये जायं कि सब सीरदार हो गये। यह बात भी माननीय माल मंत्री ने कह दी थी कि इस विधेयक के साथ ही हम डिक्लेयर कर देते लेकिन कानूनी सलाहकारों की राय है कि कुछ थोड़ी सी दिक्कत ऐसा करने में इसमें पड़ जायगी। यानी कानून बनने के चाहे हम घंटे भर बाद ही करें, एक या दो दिन बाद करें लेकिन साथ करने में थोड़ी सी कानूनी अड़चन पड़ सकती है, उस पर कई काम्पलीकेशन्स हो सकते हैं तो इसलिये हमने यह रखा कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उसको जारी करने में कोई देर करने की जरूरत नहीं है लेकिन वह कानून बनने के बाद ही होना चाहिये। तो कंम्पेन्सेशन देने की जहां तक बात है और जिन क्षेत्रों को, वह सब हमने जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार ही रखा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारा इरादा भी साफ है। तो इसको निकालने और न निकालने के बारे में, अगर हमको निकालने से कोई दिक्कत पड़ सकती है तो हम क्यों झंझट में पड़ें? जैसा है वैसा रख दें। हमारे उसे न रखने और रखने से अगर इरादे में तब्दीली होती माननीय गेंदा सिंह जी को अगर यही विश्वास होता कि हमारा इरादा कुछ और है तो जरूर इस बात पर इसरार करते। लेकिन बात यह है कि अगर यह बात न होती तो यह सारी बातें आती क्यों? इसलिये हमारा इरादा है कि वह जो जमींदारी विनाश की बात है वह इसमें रखी गयी है। मुझे आशा है कि आप स्वीकार करेंगे।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के खंड २४०-क का भाग (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा एक संशोधन है अगर वह हो जाय तो अच्छा है, क्योंकि वह इनके (श्री कमला सिंह) संशोधन पर असर डालेगा।

अधिष्ठाता---मैं जरा देख लूं। (कुछ ठहर कर) मैं समझता हूं कि राजनारायण जी का संशोधन पहले ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह मैं आप से पहले निवेदन कर दूं कि जिस तरह से माननीय राजस्व मंत्री जी को अध्यक्ष महोदय ने आधे घंटे का समय दे दिया था और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी हमारे संशोधन की अपेक्षा कर रहे थे कि यही आयेगा तो हमने इसी के लिये रिजर्व रखा था। तो आप कृपा करके हमारा वह समय ऐड करते जाइयेगा। श्रीमन्, हमारा संशोधन है ---

माननीय मौर्य जी जरा ख्याल कर के देखें शायद उनके पास कापी न पहुंची हो कि प्रस्तावित धारा २४०-ख के उपखंड (क) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिये जायं सीरदार की जगह भूमिधर बन जायं और इसके फलस्वरूप सीरदार के स्थान पर आगे भी जहां आवश्यकता हो 'भूमिधर' मान लिया जाय।

अधिष्ठाता---राजनारायण जी से मैं पूछना चाहूंगा कि 'सीरदार' तो शायद ज्यादा जोरदार है 'भूमिधर' से। पहले के संशोधन २३५ में 'भूमिधर' और 'सीरदार' था तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने 'भूमिधर' को निकाल कर 'सीरदार' रखा।

श्री राजनारायण---यह सही है। इस संशोधन की कमियों, त्रुटियों और खामियों को आप भी उतना समझ रहे हैं जितना हम लोग समझते हैं इसीलिये आप ने केवल एक संकेत करके राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कर दिया। श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री का

जो अधिवासी को सीरदार बनाने का विधेयक प्रस्तुत हुआ इसके बारे में क्रान्तिकारी कदम की व्यवस्था यहां पर बतायी गयी मगर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर यह क्रांतिकारी कदम हो तो वह तभी हो सकता है जब कि अधिवासी को भूमिधर बनाया जाय। पहले के कानून में पहले अधिवासी को सीधे भूमिधर बनना था बीच में सीरदार की बात नहीं आती थी। मगर राजस्व मंत्री जी ने जो भूमिधर बनने की जगह सीरदार बनाने की व्यवस्था की यह व्यवस्था शायद अब ट्रेजरी बेंच के लोग समझते हों कि क्रांतिकारी है मगर मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में यह प्रतिक्रियावादिता का भी प्रतिक्रियावादी है । और श्रीमन् क्योंकि भूमिधर को सब तरह का अधिकार है, वह अपनी जमीन दे सकता है, बेच सकता है निकाल सकता है , जो चाहे कर सकता है, सीरदार को वह राइट नहीं है । और सीरदार को भूमिधर से कितना कम अधिकार है । जिसके बारे में इस सदन में बार-बार चर्चा हो गई है कि चाहे वह होम डिपार्टमेंट हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो हर डिपार्टमेंट में तनिक भी सहूलियत , तनिक भी सुविधा तभी आज के किसान को मिल सकती है जब कि वह भूमिधर हो। बिना भूमिधरी के उसे कोई सहूलियत और सुविधा मिलने वाली नहीं है। अब सीरदार बना कर के उससे दस गुना लेने की लालच माननीय राजस्व मंत्री जी को है क्योंकि सीरदार दस गुना देगा तो फिर भूमिधर होगा। अब उस दस गुने को क्यों लेना चाहते हैं माननीय राजस्व मंत्री जी । यह जरा मौर्य जी हमको बतायें और श्रीमन्, जरा सा देखा जाय, आगे चल कर के इन्हीं के लिए प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान इसके भी तीन विभाग हो गये हैं जिसके बारे में अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने चर्चा की और माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक चर्चा की कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो चातुर्वर्णय और चतुर्ष्यवस्था की बात भूमि व्यवस्था में करने का सरकार पर लांछन करती है, इसको हम मिटा देना चाहते हैं। तो श्रीमन्, यह द्विवर्ण की बात क्यों रख रहे हैं। सीरदार क्यों बना रहे हैं ? एक ही वर्ण बना दें। अधिवासियों को सीधे सीधे भूमिधर बना दिया जाय और जरा तर्क को श्रीमन्, आप देखें कि इस सरकार ने यहां पर तो एक समां बांध दिया कि अधिवासियों को कुछ देना नहीं होगा, वह तो जो सीरदारों को जो मिलता वह गवर्नमेंट अपने पास से दे देगी। ऐसा लगता है लोगों को सुनने में कि यह सरकार बड़ी उदार हो गयी है और जो ५ करोड़ वाला रुपया मिलेगा उसको सरकार अपने पास से जो पुराना किसानों का गला काटकर के दस गुना लिया है उसमें से दे देगी जो कि भूमिधरों को ५ गुना देकर सीरदारों को मुआविजे के रूप में हक मिलता। मगर ऐसी बात है नहीं । बात तो यह है कि श्रीमन्, जो अधिवासी आज लगान दे रहा है वह लगान आगे वह बराबर देता रहेगा, जो वह अपने क्षेत्रपति को देता वह देता रहेगा राज्य सरकार को और कितने समय तक देता रहेगा उसको कहीं पर नहीं बताया गया है ।

अधिष्ठाता—माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि जब वह जितनी रक़म उसके कम्पेंसेशन की है, उतना दे देगा तो बन्द हो जायगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय चरण सिंह जी की बात आप समझते हैं। आप इस समय माननीय अध्यक्ष की सीट पर हैं। "खग जाने खग ही की भाषा"। हम तो उसको समझ ही नहीं सकते। और जब अगर श्रीमन्, वही बात सही माने में है तो इस विधेयक में क्यों न उसे लिखा जाय ? हमको माननीय मौर्य जी बराबर समझा रहे हैं, कि हममें यकीन करो, हममें विश्वास करो। हम माननीय मौर्य जी में विश्वास करते हैं, माननीय मंत्री जी में विश्वास करते हैं। मगर यह शंका ही क्यों पैदा हो ? कानून की धारा इतनी साफ होनी चाहिये कि जिस व्यक्ति की जो मंशा हो, उसकी पूर्ति धाराओं से हो। माननीय गेंदा सिंह जी को तो वह कह देते हैं कि उनके भाव बड़े पवित्र हैं मगर वह कानून नहीं जानते, इसलिये ऐसा कहते हैं। मगर अगर उनके भाव ऐसे हैं तो उनको कानून की धारा में भी उन भावों को बराबर प्रतिबिम्बित करने के लिये साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा।

[श्री राजनारायण]

माननीय राजस्व मंत्री जी तो कह देते हैं। मगर उनके कहने से ही तो वह होता नहीं। बनारस स्टेट के किसानों की मुसीबत को आप भी श्रीमन्, हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि श्रीमन् आपका भी संशोधन सदस्य की हैसियत से आगे आने वाला है और आप ५६ और ५७ की जगह ५९ रखवाना चाहते हैं। तो कितने किसानों का गला कटेगा इसको भी तो देखा जाय। माननीय मंत्री जी दो वर्ण बना रहे हैं। उसको एक ही रहने दें। अब भूमिधर या सीरदार या असामी इन भागों में खेतिहरों को बांटने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक खेतिहर को जो अधिकार मिल सकता है वह भूमिधरी का अधिकार है। तो भूमिधरी का अधिकार जिस खेतिहर को नहीं मिलेगा वह अपने अधिकार से वंचित रहेगा। इसलिये आज सीधा सीधा उनको भूमिधर का अधिकार दिया जाय। सरकार की ओर से दलील दी जाती है कि हम मुआविजा कैसे देंगे। अभी माननीय अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि माननीय चरण सिंह जी ने ऐसा कहा था। माननीय चरण सिंह जी ने बनारस की मीटिंग में, तमाम तीन घंटे का लेक्चर हुआ था, कहा कि २३४ में कोई बेदखल नहीं होगा। लेकिन बनारस के किसान उजड़ गये। बनारस की औरतों ने किसानों को बेदखल कर दिया कहने और करने में फर्क है मंत्री जी या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जो कुछ भी कह दें अगर वह कानून की भाषा से मेल नहीं खाता है तो उनकी घोषणा कोर्ट में नहीं मानी जायंगी। कोर्ट तो जो बारीकी ऐक्ट में होंगी या वकील कहेंगे उसी पर चलेगी। वजनदार बात तो वही हो सकती है जो कानून की कसौटी पर सही उतरे। चरण सिंह जी कहा करते हैं कि हमारे लीगल एडवाइजर ने हमें यह सलाह दी। लीगल ऐडवाइजर ने सलाह दी इसलिये लागू कर दें तो ठीक नहीं होगा और वह आपके लीगल ऐडवाइजर की सलाह थोथी निकली। अभी हाल ही में आपने स्पेशल पावर ऐक्ट अपने लीगल ऐडवाइजर की सलाह से लागू कर दिया जिसके फलस्वरूप ३,००० आदमी गिरतार हो गये लेकिन वह आपका ऐक्ट इल्लीगल करार दे दिया गया। इसलिये जैसे आपके आजकल के लीगल ऐडवाइजर्स हैं उनसे समाज का कल्याण कैसे होगा। अगर सही माने में यह सलाह दी है जैसा कि माननीय मौर्य जी कह रहे हैं तो मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वह दबाव में करते हों या किसी और वजह से करते हों। उनको सलाह सही देनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं २४०-ख (क) पढ़ता हूं। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो अधिवासी सीरदार हो जायगा वह क्षेत्रपति को जो लगान देता था वह सरकार को कितने साल तक दिया जायगा। यह कहीं नहीं लिखा है। अगर सरकार से कहा जायगा तो कह देंगे कि ऐसा कर देंगे बाद में। इसीलिये माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि सरकार अपने हाथ में अंकुश रखना चाहती है। घोड़ा उसी जगह भगेगा चाहे पंच कुछ भी फैसला कर दें, पानी वहीं बहेगा चाहे पंच फैसला कुछ भी करें। वही हमारी सरकार चाहती है। प्रतिकर के तीन भाग हैं। एक तो वह जो धारा २४०-ख (क) में दिये हैं दसगुनी धनराशि वाले हैं। यदि माफीदार और शरह मुअय्यन काश्तकार हैं उनका बीस गुना और दस गुना और दस गुना वह भी बीस गुना इस तरह तीन तरह के भूमिधर और अधिवासी हैं जिनके ऊपर मुसीबत आ रही है। यह मुसीबत आप क्यों ला रहे हैं। आप तो समदृष्टि रखते हैं। आप सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं। फिर आप इस तरह से पग-पग पर क्यों प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। दलील के लिये दलील बहस के लिये बहस यह खूनी की सफाई हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीधी सम्मति प्रगट हो और सरकार बतला दे कि कब तक वह अधिवासियों से लगान लेगी। वह अनिश्चित काल के लिये उनसे लगान लेने जा रही है तो फिर उनको भूमिधरी के अधिकार देने में सरकार को क्या हिचक है। सरकार अपने हाथ में ताकत ले रही है कि अधिवासी सरकार को देय लगान देते चले जायं। आगे चलकर श्री मौर्य जी कुछ और कहेंगे हम एक शर्त रखना चाहते थे कि देय लगान सर्किल रेट से अधिक न हो। हमारा संशोधन एक यह है कि जो आपका सरकिल रेट है उससे ज्यादा लगान अधिवासी राज्य सरकार को न दे। मेरा स्पष्ट मत है कि सर्किल रेट से अधिक अगर अधिवासी राज्य सरकार लगान में पैसे देता है तो अधिवासी के साथ जुल्म है, ज्यादती है। यह सरकार की मंशा के विरुद्ध

है जो राजस्व मंत्री जी मौर्य जी समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं। अगर उस मंशा को रखना है और विधेयक को क्रांतिकारी रखना है। इस समय राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं बड़ी खुशी की बात है। उनको हमारा संशोधन मान लेना चाहिये कि सीरदार की जगह भूमिधर रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह---मुझे यह डर है कि अगर हम यह कर भी देंगे तब भी क्रांति नहीं होने की क्योंकि आपकी राय में जब क्रांति होगी जब कांग्रेस खत्म हो जायगी।

श्री राजनारायण---उन्होंने यह कहा कि हमारी क्रांति तब होगी जब कांग्रेस की सरकार खत्म होगी। वह तो हमने परसों कहा था कि कंगाली, कांग्रेस पार्टी और करोड़ पंथी, इन तीनों का एक साथ है। उन्होंने ठीक ही कहा क्योंकि सही मानों में उन्होंने अपने आपको पहचाना और यह समझा कि सही मानों में कांग्रेसी सरकार खत्म हो जायगी तभी कल्याण होगा। पहले अधिवासियों को भूमिधर बनने का अधिकार था। लेकिन अब सीरदार के स्थान पर ही उसे अटकाया जा रहा है और उस पर लगान रहेगा वही जो वह क्षेत्रपति को देता है और उसकी अवधि भी निर्धारित नहीं है कि कितनी अवधि तक उससे लिया जायगा। यह उनके पक्ष में जायगा या विपक्ष में, केवल एक चीज हो सकती है कि उनकी बेदखली रुकेगी मगर यह तो आज सरकार कर सकती है बिना एक पैसा लिये। उनका लगान सर्किल रेट के आधार पर ले सकती है।

(इस समय ३ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। यह अधिवासियों को सीरदार बनाने का विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है। इसमें बहुत सी खामियां और कमियां रह जायंगी और यह दोषपूर्ण रहेगा अगर उनको भूमिधर नहीं बनाया जायगा, यदि सारे सूबे में सीरदार भूमिधर एक साथ नहीं बन जायेंगे, यदि अधिवासियों को सर्किल रेट से ज्यादा राज्य सरकार को लगान देना होगा। अगर राज्य सरकार उनसे ज्यादा लगान लेती है तो वह एक गलत काम करेगी। जब राजस्व मंत्री जी ने समझ लिया कि कहां मर्म स्थान था, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो राजस्व मंत्री जी उदारता का डंका पीटते हैं और दूसरी तरफ उसके सिर पर इस लगान के बोझ को लादना चाहते हैं। वह इतना ही देगा यानी सर्किल रेट से दूना देगा। अगर वह लड़ता नहीं है तो आज एक-एक एकड़ में अधिवासी के ६० रुपए और १०० रुपए के देने की हमें जानकारी है और अधिवासी जोत रहे हैं। जब तक लगान कम नहीं होगा तब तक उनको सरकार को उतना ही लगान देना पड़ेगा।

श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन यह है राजस्व मंत्री जी से क्योंकि इस समय राजस्व मंत्री जी प्रसन्न अवस्था में हैं यद्यपि वह चित्त के दुर्बल हैं लेकिन जब वह प्रसन्नता की अवस्था में रहते हैं तो अच्छा काम कर जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने चित्त की दुर्बलता को छोड़ें और असली और सही मानों में हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता माननीय राज नारायण जी के संशोधन का विरोध करता हूं और इसके लिये यह दलील देता हूं। संस्कृत में एक श्लोक है कि:---

"अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः।
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति"

जो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनको तो मनाया जा सकता है, जो लोग विशेषज्ञ होते हैं उनको भी मनाया जा सकता है लेकिन जो इस घमंड में चूर रहते हैं कि वह बहुत कुछ जानते हैं उनको कभी नहीं मनाया जा सकता, ब्रह्मा भी नहीं मना सकता। हमारे नेता जी, विरोधी दल हैं, इसी कोटि में आते हैं। मैं यह उम्मीद करता था कि इधर से कोई बहुत ऊंचा संशोधन आवेगा और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है कम से कम उसका

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

समर्थन उस ओर से किया जायगा लेकिन उसके विपरीत दूसरी ही आवाज उधर से सुनाई पड़ती है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने एक कलम की नोक से सारे अधिवासियों को सीरदार और भूमिदार बना दिया, इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया, जिसके लिये मुबारकवाद मिलना चाहिये था, धन्यवाद मिलना चाहिये था। वह तो नहीं हुआ बल्कि हमारे नेता महोदय, विरोधी दल के उठे, उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रियावादी से भी प्रतिक्रियावादी विधेयक हो गया। मैं नहीं समझता कि वह किस तर्क के आधार पर ऐसा कहते हैं कि जितने अधिवासी हैं सब को सीधे-सीधे भूमिधर बना दिया जाय, सीरदार बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आप से एक सवाल करता हूं और बहुत सीधा सवाल है। अभी हमने कई लाख भूमिधरों को आज एक दूसरी कोटि का भूमिधर बनाया और उन से १० गुना लिया। अगर हम अधिवासियों से बिना प्रतिकर लिये भूमिधर उनको ब ा देते हैं त: हम कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और यह हम कैसे कर सकेंगे ? १० गुना जिनसे लिया क्या हम उनको उनका रुपया वापस करदें ? एक भूमिधर से तो १० गुना लेकर उसको भूमिधर बनाया और एक के लिये कहते हैं कि बिना कुछ लिये दिये उनको भूमिधर के टाइटिल से विभूषित कर दिया जाय, तो ऐसी सूरत में सरकार किस पोजीशन में आयेगी ? सरकार क्या जवाब देगी यदि भूमिधर कहने लगें कि एक को तुमने बिना पैसा लिये भूमिधर बनाया तो हमसे क्यों लिया गया ? हमारे जो नेतागण हैं, जो मित्रगण हैं वह उस समय उनसे कहेंगे और उभाड़ेंगे कि तुम्हारी मांग सही है, सरकार बिलकुल गलत कर रही है और इस प्रकार उनको एक मसाला मिलेगा हमारे खिलाफ जाने का और लाल झंडे लेकर हमारे खिलाफ एक बवन्डर उठाने का तो आप अपनी बहस की झोंक में, विरोध की झोंक में भले ही यह कह जायं, मैं तो इस पर जाता नहीं। मैं विवश होता हूं यह कहने के लिये कि जब मैं उनकी बातों की असंगतता को देखता हूं जो वह गलती में पेश कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह केवल विरोध के लिये ही बातें कहते हैं। सीधी सी बात है, तो माननीय राजस्व मंत्री जी की मैं ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की सारी जनता भूरि भूरि प्रशंसा करेगी, तहेदिल से धन्यवाद देगी कि भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करके, मैं तो यहां तक कहने का साहस करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री का नाम भूमि व्यवस्था सुधार के इतिहास में अमर अक्षरों में लिखा जायगा कि उन्होंने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया कि लाखों परिवारों को भूमि का मालिक एक झटके में, एक लमहे में बना दिया जिसके लिये जनता उम्मीद लगाये बैठी थी।

मुझे याद है कि जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक यहां पेश हुआ था तो हमारे समाजवादी भाई कहते थे कि एक दिन में जमींदारी खत्म की जा सकती है। और जब आज हम एक विधेयक के द्वारा सारे अधिवासियों को सीरदार बना देते हैं, भूमिधर बना देते हैं तो उसको यह कहते हैं कि यह क्रांतिकारी कदम नहीं है। उसको यह प्रतिक्रियावादी से प्रतिक्रियावादी कदम बताते हैं। यह जो उनकी सूझ है उसके विषय में मैं क्या कहूं, गोसाईं जी का एक दोहा है उसका पहला शब्द मैं नहीं कहूंगा :—

...हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं विरंचि सम ,
फूलहिं फरहिं न बेत यद्यपि सुधा वर्षहिं जलद ।

अंत में माननीय राजस्व मंत्री जी को पुन: तहेदिल से मुबारकवाद दूंगा, कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि आज लाखों आदमियों का भाग्य हमारा यह विधेयक रातों रात बदल देगा। इन बधाई के शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन का विरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय व्रज भूषण मिश्र के साथ चाहता तो मैं भी यही था कि माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूं और इसमें शक नहीं

कि उनका नाम आगे आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा लेकिन यह भी आने वाला इतिहास बतायेगा कि जो माननीय मंत्री जी विधेयक उपस्थित कर रहे हैं उसमें कितनी खराबियां हैं। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा सरकार का ख्याल है कि अधिवासियों को हम सीरदार बना देंगे और उनको सिर्फ दूना लगान पड़ेगा और उसके साथ वह कह रहे हैं कि वह बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं मालूम पड़ता कि कौन मेहरबानी कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जनरल भाषण में कहा था जिन्होंने ४ रुपए के १४,२५ और ५० रुपए तक वसूल किये हैं उनको भी माननीय मंत्री जी सर्किल रेट का दूना लेकर फिर से देने जा रहे हैं। तो क्या यह न्याय है? जो आलरेडी ले चुका है उसको भी फिर से दिया जा रहा है और इतने पर भी दावा यह है कि हम बड़ी रिआयत करने जा रहे हैं। यह तो खुशी बात है कि जितना मंत्री जी देना चाहते हैं उसका न जाने कितने गुना वह आलरेडी वसूल कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी को कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि आपको चाहिये तो यह था, जैसाकि आपने महसूस किया कि जमींदारों ने इतना अन्याय किया है इसलिये मजबूरन आपको उस ऐक्ट में संशोधन लाना पड़ा कि जो अधिवासियों से रुपया वसूल कर चुके हैं उनको तो देने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि मैं माननीय नेता विरोधी दल की यह बात तो नहीं मानता कि उनको भूमिधर मान लिया जाय क्योंकि अगर ऐसा माना जायगा तो वह बात पैदा हो सकती है जो माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने कही है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो दुगुना सर्किल रेट दे रहे हैं उनके लिये कोई दलील उनके पास नहीं हो सकती है कि वह उनके साथ रिआयत कर रहे हैं। उनको सर्किल रेट वसूल करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इतना तो कहा कि जिनको ज्यादा लगता था उनका दुगुना लगान कर रहे हैं लेकिन यह नहीं सोचा कि जो सर्किल रेट से कम दे रहे हैं उनके लिये क्या दवा है। हमारे यहां ब्रिटिश सरकार या उससे पहले जो मुस्लिम सरकार थी उन्होंने अपने पेटेन्ट आदमी बना रखे थे ताकि वह राजकीय कामों में हमेशा मदद करें और जिन्होंने जन विरोधी शक्तियों को मदद देकर भारतवर्ष को गुलाम रखने में सहायता दी उनको लगान की माफी मिली हुई थी। इसके लिये माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। उनके लिये भी कम से कम सर्किल रेट तो लगायें ही होते। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी के इस उलाहने का तो मुझे सचमुच अफसोस है कि मैंने बधाई नहीं दी। मैं ऐसा समझता हूं कि बड़ी सस्ती बात हो जाती कि मैं सिर्फ बधाई दे कर इस बात को छोड़ दूं। मैं इतना तो जरूर सोचता हूं कि जो पहले विधेयक में स्वरूप था उससे अधिवासियों की बड़े पैमाने पर बेदखली हो जाने का डर था। और उसका विरोध हमने जितनी ताकत हम लोगों की थी सारी ताकत लगा कर के किया। सरकार ने उसे स्वीकार किया और कम से कम उस बेदखली वाली व्यवस्था को निकाल दिया। यह सरकार ने अपना कर्तव्य पालन किया, अगर सरकार अपने कर्तव्य का पालन करे तो वह बधाई की पात्र है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुशी से उसको बधाई देता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ सरकार का भी कोई कर्तव्य है उसको हम उसे याद दिलाना चाहता हैं और हमारा भी कर्त्तव्य है उसका भी पालन करना चाहते हैं। हमारा कर्त्तव्य यह है कि सरकार को अगर कोई बात न सूझी हो क्योंकि चिराग के नीचे अंधेरा रहता है तो कम से कम राजनारायण जी ने दूसरा चिराग दिखा दिया जिससे कि वह नीचे की जमीन देख ले। यह काम करके राजनारायण जी ने बिलकुल कर्तव्य का पालन किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह मंशा नहीं है कि सारे राज्य भर में किसान एक श्रेणी में आयें? अगर यह मंशा न हो सरकार की तो मैं समझता हूं कि सिर्फ चिराग ही नहीं दिखाना पड़ेगा कुछ और भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार यह चाहती है सबके सब जोतने वाले किसान एक ही श्रेणी में आ जायं तो फिर मैं समझता हूं कि राजनारायण जी का यह संशोधन रखना उपयुक्त है, उचित है, समय के माफिक है। सरकार यह चाहती है कि सब लोग भूमिधर हो जायं। इसी लिये चाहती है कि एक ही एहतियाजी कार्यवाही करती है, भेदभाव करती है काश्तकारों में। भूमिधर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

को कर्जा पाने में आगे रखती है, बन्दूक पाने में उसको आगे रखती है, मालूम नहीं उसके साथ क्या-क्या पक्षपात करती है। मैं यह भी कहूंगा कि वह शादी विवाह में भी आगे रहेगा, बेचारे सीरदार की शादी होने में दिक्कत होगी, भूमिधर की शादी होने में आसानी इसलिये होगी कि उसको आसानी से कर्जा मिल जायगा, वह जेवर खरीद सकेगा, कपड़े ज्यादा खरीद सकेगा। सरकार उसको ऊंची हैसियत पर ले जाना चाहती है।

माननीय राजनारायण जी ने याद दिलाया कि आज माननीय राजस्व मंत्री जी के मुताबिक १५ लाख परिवार वालों की माली हालत बढ़ जाय तो क्या बुराई है। यही तो याद दिला रहे थे फिर सरकार ने आखिर अधिवासियों की बेदखली रोकने के लिये, अधिवासियों को तरक्की देने के लिये अधिवासी को सीरदार बनाया। तो मैं कहता हूं कि बारबार हम को क्यों मौका देते हैं कि हम सरकार से लड़ें झगड़े नहीं तब तक सरकार अधिवासियों या जमीन जोतने वाले के लिये कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती है। स्वस्थ विरोधी दल इसी लिए जरूरी है कि सरकार अगर कोई गलती करती है तो हम उसको रोकें। इसीलिये हम सरकार से कहते हैं कि अधिवासी को भूमिधर बना दीजिये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार आज नहीं तो कल सोचेगी कि उनको भूमिधर बना दें। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को भूमिधर बनाने की आवश्यकता है और जो २१ लाख एकड़ जमीन बना चुके हैं, भूमिधर बनाने के बाद उनकी माली हालत अच्छी हो जायगी। मैं जल्दी कर रहा हूं। माननीय मौर्य जी कभी कभी ऐसी बात सोचा करते हैं कि शायद उनकी कोई कमजोरी की बात खुल जायगी जिससे बड़ी दिक्कत होगी। मैं उनकी कमजोरी की बात खोलना ही नहीं चाहता। मैं अपने कर्त्तव्य की बात कहता हूं।

अन्त में यही कहना चाहता हूं अगर इस देश में कोई आदर्श भूमि-व्यवस्था लानी है तो यह भेदभाव नहीं रहना चाहिये जितने जमीन जोतने वाले हैं उन सब की हैसियत एक हो जाय। मैं यह नहीं कहता कि सबके पास बराबर हो जाय, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि जमीन औसतन लोगों के पास हो। ऐसा न हो कि एक के पास तो बहुत अधिक भूमि हो और दूसरे के पास इतनी कम हो कि उसका खाना-पीना न चल सके। इसीके साथ साथ जो जमीन जोतें वे सारे के सारे जोतने वाले एक ही श्रेणी में रहें। उनके लगान में भेदभाव न हो। जमीन की हैसियत से तो लगान में फर्क हो सकता है लेकिन एक ही हैसियत की हो तो लगान में फर्क न होना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कहीं-कहीं तो २५, ३० रुपए एकड़ तक मालगुजारी है। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री इसको जरूर साफ करेंगे कि २५, २० रुपये हैं या नहीं, लेकिन जवाब देते वक्त रामपुर रियासत को याद रक्खेंगे कि वहां की मालगुजारी कितनी है। यह मालगुजारी इस कदर बढ़ी हुयी है कि किसान तबाह हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है भले ही ब्रजभूषण मिश्र जी यहां राजनारायण जी के संशोधन का विरोध करें लेकिन भीतर से खुश हैं कि हमने इस तरह का प्रस्ताव रक्खा। भीतर से उनका कहना है कि हम इस तरह का प्रस्ताव रक्खें और वह उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन यहां इस तरह की बात सुनकर बड़ा अफसोस होता है। आज नहीं तो कल यह बात आपको माननी होगी। राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाय, हम नहीं चाहते कि कांग्रेस जीवित रहे। हम तो जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन यह बात सही है कि हम आपको वहां नहीं रखना चाहते। आप वहां न बैठ कर यहां आकर बैठें और हम वहां बैठें ताकि २, ४ वर्ष हम देश के सामने कुछ करके दिखावें। कांग्रेस जीवित रहे। कम्युनिस्ट भी जीवित रहे लेकिन सरकार ऐसी रहे जो किसानों की हमदर्द हो, उनको लेकर चलें जिससे देश की तरक्की हो। अब आप यह उलाहना नहीं देंगे कि हम कांग्रेस को जीवित नहीं रखना चाहते।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि मुझ में और राजनारायण जी में इस सम्बन्ध में कुछ भीतरी बात है। मैं इससे इंकार करता हूं। मेरी कोई बात इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रगट करना चाहता हूं कि आज कल इस प्रदेश की जैसी आर्थिक परिस्थिति है उसको देखते हुए सब अधिवासियों को तत्काल भूमिधर बना देना यह श्रेयस्कर या कल्याणकारी नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा। इस समय अधिवासी जो सीरदार हैं उन्हें भूमिधर बना देंगे तो उनको सत्ता सब प्रकार हस्तान्तरित की जायगी जैसे कि एक संस्कृत की कहावत है "पुनर्भूषिको भव" "काशस रिफार्मर आलवेज सक्सीड्स" (सावधानी से चलने वाला सुधारक सर्वदा सफल होता है।) सरकार ने जो यह कल्याणकारी कदम उठाया है वह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कैसे यह कहा जा सकता है कि अधिवासियों को भूमिधर बना दिया जाय। भूमिधर भी उसी घाट उतरेंगे जिस घाट जमींदार उतरे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी यह इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि विरोधी दल के भाई जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं उसमें किसानों का कल्याण निहित नहीं है, लेशमात्र हित भी नहीं है। केवल विरोध के लिये विरोध कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी चाहते हैं कि इन शिकमियों को एकदम भूमिधर बना दिया जाय। तो हमारे कानून की जो स्कीम है उसके मातहत जो पहले काश्तकार थे वह एक दम सीरदार हो गये। अब उनके लिये रास्ता खुला हुआ है कि वह भूमिधर बनें या न बनें यह उनकी मरजी पर निर्भर करता है। काश्तकार तो सीरदार बने और काश्तकारों के जो काश्तकार थे शिकमी व भूमिधर बन जायं यह बिलकुल नामुनासिब ही नहीं है बल्कि जो हमारे कानून की स्कीम है यह उसके विरुद्ध पड़ता है। यह उसमें एक विरोध आजाता है।

दूसरी बात यह है कि जो स्कीम है उसका मतलब यह है कि सीरदार और भूमिधर में कुछ फर्क माना गया है। आप यह चाहते हैं कि सीरदार को भूमिधर बना दिया जाय। जो पहले सीरदार हैं उनको भूमिधर बना दिया जाय। श्री गेंदासिंह जी ने यह सवाल परसों भी उठाया था और उसका मैंने जवाब दिया था कि जहां तक खेती करने वालों के अधिकार का ताल्लुक है वह तो उनको दिये गये लेकिन इन दोनों का फर्क मैंने उनको बताया था। देखना यह है कि जमींदारों के लिये मुआविजा कहां से आये। लोगों को पहले जो अधिकार दे रखे थे उनमें जो मुनाफा होता था वह जमींदारों की जेब में जाता था अब वह गवर्नमेंट के पास आयगा। उसमें गवर्नमेंट ने ४० साल में मुआविजा जमींदारों को देना तय किया है। तो जो आदमी भूमिधर बनना चाहे तो उसके लिये मालगुजारी कम हो जायगी। पूरी मालगुजारी की उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है मय अबवाब के। भूमिधर का लगान आधा हो जाता है उसी से वह मुआविजा दिया जायगा। तो वह मुआविजा आखिर कहां से आयेगा? वह किसानों के पास से ही तो आयेगा क्योंकि किसान ही हमारे साधन हैं जिससे रुपया मिल सकता है उस टैक्स का बोझ किसानों पर ही पड़ता है वही हमारी जनता को कांस्टीट्यूट करते हैं। जमीन लेकर उनको मुआविजा देना तय किया है तो फिर वह वहां से आवे? इसी वजह से यह सेल्फ पेमेंट करने की किस्म बनायी गयी कि वह अपनी मालगुजारी आधा कराने के लिये १० गुना दाखिल करें। उन लोगों का सबसे बड़ा अधिकार यही है कि उनकी मालगुजारी आधी कर दी जाय इसी वजह से जो भूमिधर बनता है वह १० गुना देता है। वह यह फायदा उठाता है कि उसकी मालगुजारी आधी हो जाती है। अगर सब सीरदार भूमिधर बनते हैं तो फर्क क्या होगा। वह मुआविजे का फर्क होगा। यह नहीं हो सकता है कि इन लोगों की मालगुजारी आधी कर दी जाय क्योंकि मुआविजा तो इन लोगों के पास से ही आना है। अगर वह नकद नहीं देते हैं तो फिर वह किस्त के तौर पर देते रहें। यह एक बुनियादी चीज है जो कि मैंने सीरदार और भूमिधर के फर्क की बतायी और जिसको राजनारायण जी और गेंदासिंह जी जानबूझ कर भूल जाते हैं क्योंकि उनके लिये यह ठीक नहीं बैठता है कि किसी बात को तसलीम करें। भूमिधर और सीरदार में क्यों अन्तर रखा गया है और वह किस कारण से उसको वह भूल जाते हैं। सीरदार और भूमिधर में कोई अन्तर नहीं है सिवाय इसके कि मालगुजारी को आधा कर देने का अधिकार वह खरीद लेता है अपने उस १० गुना को दाखिल करने के बाद उन

[श्री चरण सिंह]

काश्तकारों के सीरदार को भूमिधर बनाना बिलकुल गलत है और कोई भी समझदार आदमी इस बात की सिफारिश नहीं करेगा कि इन लोगों को एकदम भूमिधर बना दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि दो किस्म के किसान हैं और उन किसानों के लिये कोई खाई नहीं खुदी हुयी है कि वह इसी कानून से दूसरी तरह हासिल करें। सीरदार चाहे तो आज भूमिधर बन सकता है। जो भूमिधर पहले बने हैं वह खुद १० गुना देकर बने हैं। पहले जो सीरदार हैं उनके दिल में कोई जेयलसी नहीं हो सकती है। उसका साथी पड़ोसी कोई भूमिधर अगर हुआ है तो वह जानता है कि वह १० गुना देकर भूमिधर बना है। उसने इसलिये १० गुना दिया है कि मुआविजा देना है चाहे वह नकद दे या किस्तों में। तो इस किस्म का कोई सवाल नहीं है यह तो गवर्नमेंट से सीधे ताल्लुक रखने का सवाल है इसमें कोई अन्तर नहीं है और सीरदार आज भूमिधर के लिये अपना प्रमोशन करा सकता है, अपग्रेड करा सकता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है, इसमें कोई रुकावट नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि लगान दुगुना ही देना पड़ता है। लगान नहीं घटा। मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज कर देना चाहता हूं जैसा मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि जिन लोगों का लगान दुगुने से ज्यादा है उनको हम घटा रहे हैं। जिन लोगों का लगान सरकिल रेट से ६ रुपया आता है और हेरेडटरी रेट से वे १५ रुपया दे रहे हैं तो वे अपना लगान १२ रुपया करा सकते हैं। यह अधिकार सीरदार की तरह ही अधिवासी को दिया जा रहा है कि वह भी अपने लगान को सरकिल रेट से दुगुना तक करा सकता है। मेरा अनुमान है कि कम से कम ६० फीसदी और हो सकता है, ८० फीसदी नहीं तो ७०–७५ फीसदी अधिवासी औसतन ढाईगुना लगान दे रहे हैं और हमारी इस स्कीम से ७०–७५ फीसदी लोग अपना लगान घटाने के मुस्तहक होंगे और उसके अधिकार वहीं होंगे जो सीरदार के हैं। अब सवाल यह किया जाता है कि सरकिल रेट का लगान क्यों नहीं रखा जाता लेकिन सवाल यह नहीं है बल्कि यह होना चाहिये कि आज जिन लोगों का दुगुने से कम है उनका दुगुना किया जाय लेकिन हम बढ़ाना यों नहीं चाहते कि हम कह चुके हैं कि हम किसी की मालगुजारी नहीं बढ़ायेंगे। पुराने वक्त में जब कि यह मालगुजारी या लगान मुकर्रर हुये थे यानी सन् ३७ के आसपास उस वक्त भाव बहुत कम था, ऐसे भी लगान हैं जो १९१३ या इससे भी पहले मुकर्रर हुये हैं तो आज उलहना यह तो दिया जा सकता है कि दुगुना लगान क्यों नहीं किया जाता है लेकिन यह उलहना नहीं दिया जा सकता कि घटाया क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम उसको बढ़ा नहीं सकते। यह बहुत अच्छा है किसी को बिलकुल लगान न देना पड़े, किसी आदमी को कोई टैक्स ही न देना पड़े। क्या ही अच्छा होता यदि किसी आदमी को कोई कर, कोई महसूल या कोई टैक्स ही न देना पड़े लेकिन अगर गवर्नमेंट को चलाना है, लोगों को लाभ पहुंचाना है तो उसके लिये रुपया लोगों से ही आना चाहिये। इसलिये देखना यह है कि जो लोग ४-४, ५-५ गुना लगान अब तक दे रहे थे उनका लगान घटा कर दुगना किया जा रहा है, यह काम तो अच्छा है, इसका तो स्वागत किया गया है लेकिन यह दलील नहीं निकलती कि दुगने से और कम कर दिया जाय उससे तो केवल यही एक नतीजा निकल सकता है कि जिनका दुगने से कम है उनका भी दुगना कर दिया जाय। मैंने सुबह भी यही अर्ज किया था कि उसके लिये बहुत सी दलीलें हैं कि जिनका लगान बहुत कम है उसको ढाई गुना और तीन गुना तक किया जा सकता है लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे हाथ बंधे हुये हैं हम मालगुजारी बढ़ा नहीं सकते, घटा बेशक सकते हैं। और इससे ७५ फीसदी अधिवासी मुस्तफीद होंगे।

कहा यह गया कि गवर्नमेंट लोगों की हालत को सुधारना चाहती है। फिर लगान क्यों नहीं घटाया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लगान के घटाने से हालत सुधरेगी नहीं। किसी भी मुल्क में टैक्सों के कम करने से या माफी से हालत सुधर नहीं सकती। हम कैसे चाह सकते हैं कि हमारे यहां ट्यूबवैल्स भी बनें, अस्पताल भी बनें, सड़कें भी बनें,

और स्कूल भी बनें लेकिन टैक्स घटाया जाय । कहने के लिये ठीक है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वे हर तरह की अनर्गल बातें कह सकते हैं, गैर जिम्मेदारी की बातें कह सकते हैं । लेकिन जब देश आजाद होता है तो टैक्स के बढ़ने से जब कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, टैक्स के देने से कोई देश गरीब नहीं होता । शर्त यह है कि उस टैक्स को ठीक तरीके से खर्च किया जाय और अपने देश के अन्दर खर्च किया जाय । अगर कहीं खर्चा गलत हो रहा हो या फजलखर्ची हो रही हो तो बतलाया जाय, उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे यह दलील नहीं निकाली जा सकती कि टैक्स बिलकुल न लिया जाय । असल में बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे माननीय गेंदा सिंह व श्री राजनारायण जी के साथ एक माने में मदर्दी है और वह यह है कि यह मुश्किल है कि इस स्कीम के बनने के बाद वे क्या कहेंगे लोगों से जाकर ? जितने भी विरोधी लोग हैं, वे हुए और उन्हीं के किस्म के और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर लाल झंडा है अब उन लोगों के लिये देहात में जाकर कुछ कहने के लिये बाकी नहीं रहेगा सिवा इसके कि अब इनक्लाब तो तब होगा जब कांग्रेस मिट जाय । वे समझते हैं कि अब लोगों के पास जाकर उनको कहने के लिये कोई बात नहीं रहेगी । उपाध्यक्ष महोदय, शिकमी को अभी तक ये लोग बहकाते रहे, वे लोग बहकाते रहे जिन्होंने खुद अपने शिकमियों को बेदखल कर दिया, वे काश्तकारों से जाकर कहते थे कि देखो गवर्नमेंट क्या है जिस तरह से पुराने जमींदारों के जमाने में तुम लोग लगान देते थे उसी तरह से अब भी लगान दे रहे हो । यह बात अब इस संशोधन के जरिये खतम हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब एक आदमी की जिन्दगी या किसी पार्टी की जिन्दगी दूसरे को गालियां देने और मुखालिफत में ही महदूद रहती हो और वह मुखालिफत का गलत या सही मौका भी उनके साथ से ले लिया जाय तो मैं जानता हूं कि उस आदमी को कितनी परेशानी पैदा होती है, तो वह परेशानी उनको पैदा हो सकती है । माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि हम तो हेल्दी अपोजीशन का काम करते हैं, हम तो चिराग दिखला रहे हैं । मैं आपके जरिये माननीय गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि चिराग जो दिखलाता है उसके चिराग के नीचे भी अंधेरा होता है । तो दूसरे को आप मशाल दिखला रहे हैं लेकिन उसके नीचे भी अन्धकार है । फिर हेल्दी अपोजीशन के माने यह होते हैं कि अगर वह अपोजीशन कभी गवर्नमेंट का रूप धारण करे तो वह खुद उस पालिसी के अनुसार काम करे जिस पालिसी का प्रतिपादन उसने बतौर अपोजीशन के क्रिटिसिज्म के द्वारा किया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि वे भूमिधर बन जायें, अगर वे भूमिधर बन जायेंगे तो भी जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी मालगुजारी बिलकुल माफ की जाय, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बातें उनको कहने के लिये होंगी कि बिना उसके क्रांति नहीं हो सकती । तो इस तरह से जब तक कि हम यहां रहेंगे उनकी आंखों में खटकते हैं । यह बात केवल अपोजीशन की नहीं है । सवाल यह है कि अगर आप यहां पर हों तो आपको भी गवर्नमेंट चलाने के लिये कुछ पैसे चाहिये या नहीं । अगर चाहिये तो वे पैसे कहां से आवें ? माफ कर दो, घटा दो, आबपाशी न लो, यह नारा सभी निगेटिव नारा है, वे यह नहीं कहते कि कहां से रुपया आवे । जब रुपये की बात कही जाती है तो कहते हैं कि करोड़पति हैं । आखिर यू० पी० के अन्दर कितने करोड़पति हैं ? कभी आपने हिसाब लगाया है, कभी गिना भी है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैं चाहूं भी कि वे कभी तशरीफ लेकर इधर आवें तो वह भी पूरा नहीं होगा, अफसोस की बात तो यही है । वह दिन कभी आने वाला नहीं है, कम से कम इस पीढ़ी के सामने तो नहीं आने वाला है, नहीं तो मैं खुद ओबलाइज कर देता "वि कांट हेल्प आवरसेल्वज" (कोई उपाय नहीं ।) हम क्या करें, आखिर वह जनता के हाथ में है । इन शब्दों के साथ मैं श्री राजनारायण जी के संशोधन का विरोध करता हूं और मैं कम से कम उनको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि ५ दिन हमारा यह संशोधन आये हुये हुए हैं, उसमें उन्होंने ५ दिनों की कोशिश के बाद यह संशोधन उपस्थित किया है जिसमें कम से कम यह बात कही गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित संशोधन के खंड २४०-ख के उपखंड (क) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जाय और इसके फलस्वरूप "सीरदार" के स्थान पर आगे भी जहां आवश्यकता हो "भूमिधर" मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह—उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन है वह क्या इसके बाद में आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—वह बाद में आयेगा।

श्री कमलासिंह—उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व मंत्री के संशोधन में प्रस्तावित खंड २४०-ख के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति बेदखल कर दिया गया हो तो वह कब्जा वापस पाने का अधिकारी होगा।"

अगर श्रीमन्, दफा २३२ को देखें तो उसमें कब्जा वापसी के लिये वही धारा है जो अधिवासी के लिये है और उस में लिखा है कि ऐसे अधिवासी को, जिसे धारा २० का खंड (ग) लागू होता हो, अधिकार होगा कि निहित होने के दिनांक से ६ मास के भीतर परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे दे कि जिस भूमि का वह अधिवासी है, उस पर उसे कब्जा दिला दिया जाय। मेरे संशोधन में यह है कि अगर कोई बेदखल कर दिया गया है तो उसे भी कब्जा वापस दिलाया जाय। जो ५६ फ० वाले हैं उनको भी सीरदार का अधिकार है और इसके अलावा जितने भी अधिवासी थे उनको भी सीरदार का अधिकार है और मौर्य जी के संशोधन में भी आया है कि अधिवासी को सीरदार करार दिया गया है। अधिवासी के लिये तो आया लेकिन सीरदारों के लिये कोई संशोधन नहीं आया कि जिससे जो अधिवासी सीरदार हो गये हों और खेत से बेदखल हो गये हों, तो उनके कब्जे की वापसी के लिये अधिकार दिया गया हो। ऐसी हालत में जो अधिवासी से सीरदार करार दिये गये हैं, कानूनन या जबरदस्ती किसी तरह से वह बेदखल कर दिये गये हैं और जब उन को सीरदार बनाया जाय तो यह भी मौका उनके लिये होना चाहिये कि वह किसी तरह से उस को वापस पा सकें। इसी लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक मंत्री जी ने अपने संशोधन में रखा है कि अधिवासी को सीरदार बना रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई प्राविजन ऐसा नहीं रखा कि जो लोग बेदखल हो गये हैं उन के कब्जे के लिये मंत्री जी ने क्या उपाय सोचा है कि जिससे उनकी जमीन उनको वापस दिलाई जा सके। उन बेदखल हुये लोगों को किस तरह से वह कब्जा दिलावेंगे जब तक यह संशोधन नहीं माना जाता है जब तक कोई प्राविजन मंत्री जी की ओर से ऐसे बेदखल हुये लोगों के लिये नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले यह संशोधन था कि जिन जिन लोगों को बेदखल किया जाय वह एस० डी० एम० के यहां जाकर दरख्वास्त दें। वह उनकी सुनेंगे और निर्णय करेंगे लेकिन जिस वातावरण में हम चल रहे हैं एस० डी० एम० और सरकारी अधिकारी उसमें उसी का ध्यान रखते हैं, जो शक्तिशाली हैं, चाहे धन से हों, चाहे जन से हों, चाहे जमीन से हों, किसी प्रकार से हों। पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा भी था कि एस० डी० एम० जिनको ऐसे अधिकार दिये गये हैं वे लोग ज्यादातर उन्हीं से संबंधित रहते हैं जिनको बेदखल करने के लिये अधिकार दिये गये हैं। मैं समझता हूं ९९ फीसदी आदमी बेदखल हो जाते हैं और वहां जो कोर्ट स में दरख्वास्त देते हैं उनपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यह संशोधन वास्तव में ऐसे अधिवासियों के लिये बड़ा आवश्यक है

जो जबरदस्ती से लाठी से केवल बेदखल कर दिये गये हैं या उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, यह तो सेक्शन २३२ जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में पहले से मौजूद है कि अगर कोई अधिवासी बेदखल हो गया है तो वह दावा दायर कर सकता है और अपनी जमीन वापस पा सकता है और फिर इस बिल के अन्दर एक क्लाज २१२(बी) जैसे पहले दफा १८३ टेनेंसी ऐक्ट की थी उसी तरह से एक क्लाज इसके अन्दर भी है कि ऐसा असामी जो बेदखल कर दिया गया है या कब्जा पाने से रोक दिया गया है आदि आदि और असामी के लिये जो धारायें हैं वह सब अधिवासियों के लिये लागू होती हैं तो फिर ३० जून, १९५२ के पहले जो बेदखल हो गये हैं उनके लिये २३२ और जो बाद को निकाल दिये गये हैं उनके लिये २१२ मौजूद है। सीरदार जो बनाये जा रहे हैं उसके लिये भी यह लागू होंगे लेकिन जो सीरदार बनकर बिनाये मुखासिमत पैदा होता है वह २१२-बी और २३२ के मातहत कब्जा पा सकता है। मुझे ताज्जुब है कि कमलासिंह जी जैसे आदमी जो वकालत करते हैं उनको मुझे समझाना पड़ा।

श्री कमलासिंह--मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्तावित खंड २४०-ख के उपखंड (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह देय लगान सर्किल रेट से अधिक न होगा"।

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य दूसरा संशोधन इसके साथ-साथ पेश करना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी नहीं, वह अलग-अलग खंडों में हैं।

जिसमें मैं यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं वह इस प्रकार है :--

"ख(१) धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के संबंध में अधिवासी द्वारा निश्चित दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये देय ऐसे सब लगान जो क्षेत्रपति को देय होते यदि उक्त धारा के अधीन उक्त भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम और स्वत्व को हस्तगत (acquire) न किया गया होता, राज्य सरकार में निहित होंगे और उसी को देय होंगे न कि क्षेत्रपति को, और इस खंड के निदेशों के विपरीत यदि कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा।

इस खंड में माननीय मौर्य जी का जो संशोधन है उसका मतलब यह है कि अधिवासी सीरदार हो जायेंगे लेकिन उसके बाद निश्चित दिनांक से जिस दिन से वह सीरदार होंगे, जो लगान देना होगा वह राज्य सरकार को देना होगा। और वह उतने ही के बराबर होगी जितनी कि वह क्षेत्रपति को देता था। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने अभी दफा २३३ और २३३-क जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का हवाला दिया कि यदि अधिवासी को अपना लगान बंधवाना है या नकदी में परिवर्तित कराना है तो वह ऐसा कर सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक कमी रह जायगी। वह यह कि दिनांक निश्चित होने के दिन से तो वह सीरदार हो जायंगे और सीरदार के लिए धारा २३३ और २३३-क लागू नहीं होंगी। इसके अलावा एक बात और यह इसमें है कि जितना लगान क्षेत्रपति अपने शिकमी से या दूसरे शब्दों में अधिवासी से लेता रहा है वह वह लेता रहे, तो यह बात तो बहुत ही भयानक है। लेकिन यदि ऐसी बात नहीं है और यदि माननीय मंत्री यह समझा सकें कि इस दफा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के मातहत ऐसा न हो सकेगा तो मैं अनुगृहीत होऊंगा। इसके अतिरिक्त माननीय माल मंत्री जैसा कह रहे थे कि इसके बाद भी हम लोग उनकी पार्टी को कुछ न कुछ कहते रहेंगे, वह इसलिये कि पहले हम कहते रहे कि बेदखली न हो और जब बेदखली रोकी गई तो यह शिकायत हो गई कि भूमिधर बनाये जायं, जब भूमिधर भी बना दिया गया तो यह शिकायत होगी कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत न रहे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। अगर माननीय राजस्व मंत्री इतना ही कहते कि हमने अधिवासी की बेदखली रोक दी तो बिना किसी और हिचकिचाहट के हम उनको बधाई देने के लिये तैयार हैं क्योंकि यह बात नामुनासिब है कि अगर कोई बात बधाई देने काबिल हो तो उसकी हम तारीफ न करें, उसके लिये बधाई न दें। लेकिन यह कहना कि सरकार ने बिना कुछ लिये ही उन्हें सीरदार बना दिया है, यहां मैं समझता हूं कि सच नहीं है। यह ठीक है कि आप उनसे किस्तों में यह पैसा ले लेंगे और उनके लिये सीरदार बनना बहुत आसान कर देंगे, और अगर आप ऐसा कहते तो बात साफ थी, लेकिन यह कहना कि सरकार उनसे बिना कुछ लिये ही उनको ऐसा कर दिया, साफ नहीं है, सच नहीं है। इसके बाद मैं समझता हूं कि किसी तरह पर भी उनका लगान बढ़ाया जाना उचित नहीं है इसलिये कि जितनी महंगाई है, कपड़े में, खाने में, टैक्सों में जो बढ़ोत्तरी है वह सब उसी गरीब किसान को भुगतना पड़ती है जिसके पास कुछ नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी जब बहस करने लगते हैं तो बात तो वह करते हैं गरीब किसान की लेकिन उनकी नजर में रहते हैं १०, २० एकड़ के बड़े किसान जिनको अनाज की महंगाई से सचमुच फायदा हुआ है। तो यह छोटे-छोटे किसानों के लिए कहना कि वह सरसब्ज हैं और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं और अधिवासी को सीरदार बना देना चाहते हैं, यह ग़लत है। इतना मैं मान लेता हूं कि एकदम आप पांच गुना नहीं ले रहे हैं, किस्तों में लेंगे और ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जब तक सरकार की यह घोषणा कि लगान नहीं बढ़ेगा। सभी किसानों के लिये एक समान हो तब तक इन नये सीरदारों की लगान सर्किल रेट से दूनी होने के कारण उनके साथ अन्याय होगा। परन्तु बेदखली रोकने के लिये राजस्व मंत्री अवश्य बधाई के पात्र हैं।

श्री चरणसिंह---आप कौन से संशोधन पर बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं।

एक सदस्य---जनरल बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जनरल नहीं बोल रहा हूं। मेरा संशोधन है कि---

खंड २४०-ख के अन्त में "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह देय लगान सर्किल रेट से अधिक न होगा" प्रतिबन्ध रख दिया जाय।

यह एक सीधी-सादी बात थी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अच्छा काम किया है उसके लिये हम बधाई देते हैं। अच्छा यह होता कि उनकी बधाई उस वक्त पूरी हो जाती कि उनका इन नये सीरदारों का लगान सर्किल रेट के बराबर कर देते।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---राजस्व मंत्री जी तो यह जानते ही नहीं कि कौन-सा संशोधन है।

*श्री गेंदासिंह---माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन रखा है उसके संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि मोटी बात है कि पिछले अधिनियम में जमींदारी विनाश अधिनियम में, स्पष्ट यह किया गया था कि जहां पर मौरूसी दरों से लगान अधिक हो तो उसकी एक सीमा मुकर्रर कर दी गई थी कि वह १३३ सही एक बटे तीन से अधिक नहीं होगा और अगर कोई चाहे तो लगान को कम कराने के लिये अदालत में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकता है। इस समय इस विधेयक में यह संशोधन किया जा रहा है कि बजाय १३३ सही एक बटे तीन के दुगना तक लगान अगर हो या दुगने से ज्यादा हो तो दुगने तक कराया जा सकता है। विधेयक तो अध्यक्ष महोदय यह है कि अगर दुगने से ज्यादा लगान हो गया हो तो दुगने से कम कराया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी माना जायगा कि दुगने तक लगान कराना दुगने से कम कराने का अधिकार किसी को नहीं है। इस विधेयक के जरिये यह किया जा रहा है कि दुगना लगान जो है यह जायज क र र दिया जा रहा है। अब यह कहा जाय कि अधिवासी के ऊपर तो बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अब अधिवासी जितने २१ लाख एकड़ जमीन पर थे वह सीरदार हो जायंगे। सीरदार हो जाने के बाद यह मैं मानता हूं कि अधिवासियों को लगान अपने क्षेत्रपतियों को ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन सीरदार हो जाने के बाद वह भी एक सीमा तक दुगना तक देने के लिये मजबूर हैं। अगर दुगने से अधिक देता है तो दुगने तक देने के लिये मजबूर हो जाता है। यह हमारा कहना है कि इस विधेयक के साथ जिस वक्त हम अधिवासियों को यह अधिकार देने जा रहे हैं उसी के साथ-साथ हम यह गुंजाइश कर रहे हैं कि बजाय एक बटे तीन के अगर दुगुना तक उसकी मौरूसी दरों से ज्यादा हो तो दुगना तक जायज है। तो इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी भारी रकम अधिवासियों के ऊपर हम इस विधेयक के जरिये लादने जा रहे हैं। अगर पुराना ही अधिनियम जारी होता तो उस पुराने अधिनियम के मुताबिक जब अधिवासी सीरदार हो जाता तो सीरदार हो जाने के बाद उसको यह अधिकार हासिल था कि वह अदालत में जाकर के अपनी मालगुजारी को एक तिहाई से ज्यादा अगर मौरूसी दर से हो तो कम करा ले। २०० अगर था या १५० अगर था तो १३३ १/३ उसका हो जाता। लेकिन अब वह दुगना देने के लिए मजबूर हो जाता है। यह शिकायत माननीय रामनारायण जी को है। फिर मैं समझता हूं कि न केवल इन अधिवासियों के लिए यह विधेयक संशोधित हो रहा है बल्कि वह जितने भी सीरदार हैं सब सीरदारों के लिए यह मुश्किल आ रही है। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि लड़ाई के जमाने में काफी लोग सीरदार हुए और उनके ऊपर जहां ६ रुपये एकड़ का परता आता है वहां १६ रुपये एकड़ तक लोगों पर मालगुजारी लगी। तो १६ रुपये एकड़ देने वाले अगर आज इस विधेयक में यह सान्त्वना पाते कि यह १६ रुपये के बजाय ६ रुपये जो सर्किल रेट है उस सर्किल रेट के बराबर मालगुजारी देने लगेंगे तो यह एक बड़ी भारी राहत होती। लेकिन वह राहत नहीं है। बल्कि आज उसके उलटे यह बात आ गई कि एक तिहाई की बात जो थी वह अब दुगुने तक मान ली गई। यह न सिर्फ अधिवासियों के ऊपर बल्कि जो सीरदार पहले के सीरदार हैं उन सीरदारों के ऊपर भी यह मुसीबत है। तो इस तरह से बढ़ाने की बात जो है वह किसी न किसी शक्ल में इस विधेयक में आती है। मालगुजारी बढ़ी पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मालगुजारी न बढ़े तो रुपया कहां से आये, सरकार का काम कहां से चले? समय ज्यादा नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी को कुछ उपाय बताया जा सकता है। यह हो सकता है कि वह उस उपाय को नापसन्द करते हों और हम उसे पसन्द करते हैं। दस वर्ष पहले वह भी उसको पसन्द करते थे। दस वर्ष पहले कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावों को ले लीजिए या किसी समझदार आदमी को ले लीजिए, सब कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो लगान का बोझ है, उसे कम होना चाहिए। आज अगर हम यहां बैठ कर के लगान के बोझ को कम करने के लिए कहते हैं तो माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि यह समझदार आदमी का काम नहीं है। मैं अब बुजुर्गों को क्या कहूं। कि वह नासमझ थे या क्या थे। मैं तो बुजुर्गों को नासमझ नहीं कह सकता। हमारे बुजुर्ग सामने बठे हुए हैं। उनकी वक्ताओं को देखता हूं और खासकर कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी की सिफारिशों को देखता हूं तो उसमें कहीं यह नहीं पाता हूं कि मालगुजारी का बोझ यही रहना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हो तो मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं कह दूं कि यह नासमझ लोगों का काम है। माननीय राजस्व मंत्री जी वहां बैठने के बाद जो चाहें सो

[श्री गेंदासिंह]

कह सकते हैं। मगर इस समय तो हमने चिराग की बात कही। डेमोक्रेसी में हमारा विश्वास है और मैं यह मानता हूं कि हमको भी कहीं अगर न सूझे तो आपका चिराग हमें काम दे सकता है और उसी तरह हमारा चिराग भी आपको काम दे सकता है। हम यह नहीं कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। हममें कोई कमी है ही नहीं। मगर राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि उनमें कभी नहीं है। पर जैसे अधिवासियों को बेदखल करने वाली बात थी, उसमें पहले सही बात उन्हें नहीं सूझी और उसमें देर लगी मगर बाद में उन्हें यह बात सूझी कि बेदखली की बात हटा देनी चाहिए, उनको बेदखल न करने की बात करनी चाहिए उसी तरह से मैं समझता हूं कि लगान कम करने वाली बात भी माननीय राजस्व मंत्री जी को सूझेगी और तब बाद में वह इसमें अमेंडमेंट लायेंगे। इसमें शरमाने की बात नहीं है कि अमेंडमेंट दस बार आवे क्योंकि यह तो जीवित संस्था और जीवित सोसाइटी का लक्षण है कि वह रास्ता चलते हैं, गलती करते हैं और फिर ठीक होते हैं। तो इसलिये मैं कभी नाराज नहीं होता और उलहना भी नहीं देता कि रोज-रोज अमेंडमेंट क्यों लाते हैं। पर आज अगर माननीय रामनारायण जी के अमेंडमेंट को मान लेते हैं तो फिर अमेंडमेंट लाने में जरा देर लगेगी और न मानेंगे तो जल्दी संशोधन आ जायगा, उसकी गुंजायश बहुत है। हमें कोई घबराहट नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम वहां पहुंच जायं और आपको वहां से हटायें, ताकि देश की भलाई कर सकें अपनी इच्छा के मुताबिक, जो आपकी इच्छा में नहीं आता है। इसलिये अगर वह संशोधन आप मान लेंगे तो जरूर देर में अमेंडमेंट आवेगा।

श्री चरणसिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने यह कहा कि साहब यह कैसे कहा जा रहा है कि हम बिना कुछ लिये दिये उनको सीरदार बना रहे हैं? यह इन मानों में कहा जा रहा है कि जैसा हमने पुराने काश्तकारों को सीरदार बनाया बिना कुछ लिये दिये, वैसे ही इन अधिवासियों को सीरदार बना रहे हैं बिना कुछ लिये दिये। पुराने टिनेंट से कुछ नहीं लिया, इस माने में कि नक़द हमने लम्पसम में कुछ नहीं लिया। इसी तरह से इन अधिवासियों से कुछ नहीं ले रहे हैं और अगर आप यह समझते कि इनसे कुछ न लिया जाय' टैक्स या मालगुजारी न लिया जाय, तो वह तो बुनियादी बात है और उससे कोई मतलब यहां नहीं है। दुगने की बात यह है कि उन सीरदारों के लिए भी कर रहे हैं। अगर टिनेंट्स थे या सब-टिनेंट्स, अगर उनका दुगना से ज्यादा लगान दे रहा है, तो सबको घटा कर दुगना कर रहे हैं। पुराने टिनेंट्स में कम परसेंटेज ऐसे हैं जिनका दुगने से ज्यादा लगान है, मगर सब-टिनेंट्स में ऐसा है कि टैक्स ज्यादा था यानी ७५–८० फीसदी का लगान ज्यादा है। तो उससे सबको फायदा पहुंच जायगा। बाकी अगर ५ गुना देकर तब सीरदार बनते और १५ गुना देकर सीरदार बनते तो बेशक रुपया देना होता, और अब गवर्नमेंट देगी तो जनरल रेवेन्यूज से देगी। यह रुपया भी किसानों में से आता है। कहते हैं कि किसानों पर बोझ पड़ता है। इस प्रदेश में आखिर ८६ प्रतिशत देहात के रहने वाले हैं जिनमें ६८ फीसदी किसान और बाकी कारीगर हुए। तो वह कौन है जिस पर टैक्स लगेगा। १४ फीसदी जो कस्बे के अन्दर चले गये वह भी टैक्स दे रहे हैं या नहीं? तो यह कहना कि सारा बोझ टैक्सों का किसान पर पड़ता है, तो जब जनता ही वह है, तो उन्हीं पर पड़ता है। उनकी तादाद ज्यादा है। उनके हिसाब से उतना ही उनको देना पड़ता है। लेकिन यह काम तो सीधा उनके फायदे के लिए है और उन्हीं को देना है।

अब माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि लगान दुगना तक किया जायगा, तो उन लोगों का किया जायगा कि जिनका लगान साबित नहीं है, जिन्होंने जमींदारों से जमीन ली हुई थी, जो अधिवासी थे या असामी। उनका लगान तो लिखा नहीं था। तो जिनका लगान कागजात में दर्ज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लगान नहीं दे रहे हैं, बल्कि

यह मतलब है कि वह साबित नहीं हो रहा है और जैसा कि मालूम है कि सब लोग दुगने से ज्यादा दे रहे हैं तो अगला क्लाज जो है ३० का, दफा १५ में हम यह कर रहे हैं कि लगान जो अधिकारी मुकर्रर करे उसके लिए दुगने तक अधिकार होगा कि अगर कुछ सरकमस्टांसेज हैं, जमीन की हैसियत वगैरा के तो दुगने से कम भी हो सकता है। लेकिन दुगने तक करने का अधिकार उसको दे रहे हैं और यह अधिकार हमको समझना चाहिये कि उन केसेज में दिया जा रहा है जहां लगान साबित नहीं होता है, कागजों में। और जिनका सबूत है, वहां नहीं दे रहे हैं। जहां सबूत नहीं है वहां कागजात से वह चीज साबित नहीं हो रही है। तो दुगना तक हम कर रहे हैं। यह तो नहीं कर रहे हैं कि दूने से कम में नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड २४०-ख के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह देय लगान सर्किल रेट से अधिक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

माननीय मंत्री जी के संशोधन में प्रस्तावित खंड २४०-ख के उपखंड (ङ) के उपभाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"निश्चित दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों की बकाया की वसूली माफ समझी जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें मेरा संशोधन है वह खंड इस प्रकार है--

"निश्चित दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार और वे, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो;"

मैं चाहता हूं कि पहले का जो बकाया था वह सब माफ समझा जाय। जाहिरा में तो यह बड़ा अनुचित सा मालूम होगा कि मैं बकाया को माफ कराना चाहता हूं या इस सदन से ऐसा कानून बनवाना चाहता हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें तो बहुत मुनासिब इस माने में होता है कि यहां तो ऐसे अधिवासियों का जिक्र है जो या तो फसल का कुछ हिस्सा देते थे या लगान देते थे। तो जो फसल का हिस्सा देते थे वह भी हर साल देते थे और जो लगान देते थे वह भी हर साल देते थे क्योंकि आज जैसी परिस्थिति कानून बदलने से हो गयी है उसमें सब अपने अधिकारों से परिचित हैं और क्षेत्रपति भी यह समझता है कि एक साल का भी बकाया किसी पर न रहने दिया जाय। हो सकता है कि कुछ जेनुइन केसेज में बकाया लगान हो, लेकिन कोई भी क्षेत्रपति इन अधिवासियों को अगर वह फसल का हिस्सा देते थे उसकी रसीद नहीं देता था और अगर लगान देते थे तो उसकी रसीद नहीं देता था। इस विधेयक में है कि तीन साल का बकाया मांगा जा सकता है। तो सबके सब क्षेत्रपति तीन साल का बकाया मांगने लगेंगे। तो जाहिरा में तो ऐसा मालूम होता है कि मैं बकाया की माफी का कानून बनवाना चाहता हूं लेकिन बात ऐसी है नहीं। फिर जब वे तीन साल का क्लेम करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वह सचमुच में बकाया है। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। इसलिये जो वस्तुस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे। इसके न मानने से इन नये सीरदारों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री चरणसिंह--मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे माकूल समझते हैं कि जिन लोगों की बकाया पहले से पड़ी हुई है वह उनसे क्यों न ली जाय। मान लिया कि आज हम कानून न पास करें तो उनकी जिम्मेदारी है उस बकाया को देने की। असली या नकली अदालत साबित करेगी। सब को नकली कैसे मान लें। आखिर जिन्होंने लगान नहीं दिया है वह लगान उन पर वाजिब है या नहीं, जो देते थे। जो लगान देते थे उनके पास रसीद होनी चाहिए। आज यह है कि अगर लगान न दें तो बेदखल हो जायं। ऐक्ट के पास होने के बाद वह बेदखल नहीं होंगे। लेकिन जो उन पर बकाया है वह क्यों न लिया जाय? इसकी क्या दलील है? जमीन का उन्होंने फायदा उठाया है, क्षेत्रपति ने मालगुजारी गवर्नमेंट को दी है तो जो अब तक लगान देता रहा है वह लगान उससे क्यों न लिया जाय? वह इसलिए कि अधिवासी सीरदार हो रहा है। लिहाजा पिछली बकाया भी माफ हो, मेरी समझ में नहीं आया। हमने जब जमींदारी अबालिशन किया तो उस वक्त जमींदारों की जो बकाया थी, उनसे कह दिया कि बेदखल नहीं कर सकते लेकिन बकाया वसूल करने के जो जरिये खुले हैं, उनसे बकाया वसूल कर सकते हो।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड २४०-ख के उपखंड (ङ) के उपभाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ख) निश्चित दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों की बकाया की वसूली माफ समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि माननीय मंत्री जी के संशोधन में प्रस्तावित खंड २४०-ग के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन क्षेत्रपतियों की जोत में अब भी ३० एकड़ जमीन रह गयी हो उनको कोई भी प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा मैंने इस बात को चाहा है कि ऐसे क्षेत्रपति, जिनके अधिवासी या सीरदार बनाये जा रहे हैं, उनको कंपेंसेशन देने की बात इस विधेयक में रखी गयी है, और मैं यहां पर यह कहने के लिए तैयार हूं कि पहले जो मुआविजा मिलता था उससे ज्यादा मुआविजा आज मौर्य जी के संशोधन द्वारा करीब दूने डयोढ़े के दिया जा रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा यह बात रखी गयी कि जमीन और धन की सीमा बांधनी चाहिए। अभी राजस्व मंत्री जी ने सवाल किया था कि हम टैक्स न लें तो रुपया कहां से आये। एक तो हम यह कहते हैं कि जितनी कांग्रेसी सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार और सारे सूबे की सरकारें सब मिला कर सिर्फ एक हजार करोड़ रुपया खर्च करती हैं और अगर राष्ट्रीयकरण किया जाय और धन और जमीन की सीमा बांधी जाय तो ऊपर वालों का धन राज्य के खजाने में चला आये। इस प्रकार अगर माडरेट भी अनुमान हम लगायें तो तीन चार हजार करोड़ की आमदनी पूंजीपतियों और बड़े आदमियों से हो सकती है। हम सलाह लगातार देते रहते हैं परन्तु सरकार विधान का बहाना ले लेती है कि विधान के अनुसार मुआविजा दिये बिना किसी की सम्पत्ति नहीं ली जा सकती। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और विधान को पार्लियामेंट बदल सकती है। जब हम विधान बदलने की बात कहते हैं तो सरकारी दल के लोग कहने लगते हैं कि विधान बदलने से उसकी पवित्रता नहीं रहती। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर चार वर्षों में विधान चार बार बदल दिया गया तब उसकी पवित्रता का प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया। सरकार द्वारा इन बहानों का कोई अन्त नहीं।

हम कहें कि सीमा बांधी जाय तो कहा जाता है कि संविधान बाधक है और अगर यह कहें कि दिल्ली की सरकार संविधान को बदल सकती है तो फिर कोई दलील नहीं दी जाती। मान लो कि पूंजीपतियों से या बड़ी जोत रखने वालों से टैक्स पूरा नहीं होता है लेकिन इसका क्या जवाब है, माननीय राजस्व मंत्री के पास कि एक तरफ तो १५, २० आदमियों का परिवार है, उसके पास २ बीघा जमीन नहीं है लेकिन दूसरी तरफ दो आदमियों का परिवार है, उसके पास १००, १०० और २००, २०० एकड़ के फार्म्स हैं और तिस पर भी रामराज्य और आदर्श राज्य की बात कही जाती है, अगर थोड़े ही लोग हैं तो हमारी बात मान ली जाय। उन्हें खत्म किया जाय, रोज-रोज का हमारा कहना तो खत्म हो। पूंजीपतियों का राष्ट्रीयकरण करिये और ३० एकड़ से ज्यादा जिसके पास भूमि हो उसे लीजिये। हम भी और आप भी बराबर परेशान होते हैं। प्रदेश की चीनी की मिलों ने एक वर्ष में १० करोड़ रुपया पैदा कर लिया और जब बोनस की बात की जाती है, राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है तो एक न एक बहाना कर दिया जाता है। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं कहते कि हम बड़े आदमियों के साथ हैं वरना जितनी बड़ी जोतों के आदमी हैं उनसे जमीन ली जाय और गरीबों और किसानों को मदद दी जाय इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। बड़े बड़े करोड़पति हैं उनकी आमदनी की सीमा बांधिये। बाकी रुपया जनधन में लीजिये। कहा जाता है कि बड़े आदमी इतने कम हैं उससे क्या होगा हम कहते हैं कि कुछ तो किसानों का बोझ कम होगा। एक न एक बहाना कर दिया जाता है कि १० ही हैं, ५ ही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कांटे भी क्यों रक्खे जाते हैं। इस गणराज्य, रामराज्य में इनका क्या औचित्य है। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है चूंकि विधान के रास्ते में रुकावट है और उनकी जमीन ली जा रही है, आप एक्वायर न करके उनसे सीधा ले रहे हैं तो कम्पेन्सेशन दीजिये लेकिन जिसकी जोत में तीस एकड़ जमीन रह गई हो उनकी जमीन का अधिवासी अगर सीरदार हो जाता है तो फिर उन्हें उस अधिक जमीन के स्वामित्व के लिये कम्पेन्सेशन न दीजिये।

श्री चरणसिंह—अब मेरे दोस्तों के पास बस भूमि वितरण की बात रह गई है। मौका बेमौका, महल बेमहल, मौसम बेमौसम चाहे बात लगती हो या न लगती हो पर उनको ३०एकड़ की बात कहीं न कहीं ले आनी है। उपाध्यक्ष महोदय, किस आदमी को मुआविजा मिला। उसको मिला अधिवासी वाली जमीन का, उस जमीन का जो अधिवासी के कब्जे में है। यह तो जमींदारी एबालीशन के वक्त किया जा सकता था कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि हो उनको मुआविजा न मिले, वहां यह बात फिट इन हो जाती। हमने किया यह कि जिन के पास जमीन ज्यादा थी उनको कम मुआविजा मिला और जिनके पास कम थी उनको ज्यादा मिला। नेट एसेट्स का ८ गुना मुआविजा यों सबको मिला लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिला कर जिनके पास कम जमीन थी उनको ज्यादा और जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनको कम मुआविज मिला, लेकिन यह नहीं किया जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उनको कुछ नहीं दिया। जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उनको मालगुजारी देनी होती है, इन एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स देना देना होता है। लेकिन यह कि ३० एकड़ से जिनके पास ज्यादा हो उनकी जो जमीन अधिवासियों के पास है उसे बिना मुआविजा जब्त कर लिया जाय, यह कांस्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और अक्ल के भी खिलाफ है। इसमें कोई दलील नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड २४०-ग के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख लिया जाय—

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन क्षेत्रपतियों की जोत में अब भी ३० एकड़ जमीन रह गई हो उनको कोई भी प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—समय कम है, देर होने की संभावना है। इसलिये बाकी कोई संशोधन हम पेश नहीं करना चाहते।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं इस पूरे खंड का विरोध करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं पूरे खंड का विरोध करता हूं। मैं यहां पर बड़े ध्यानपूर्वक विवाद को सुनता रहा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां तक किसी सदस्य के इधर या उधर बैठने की बात का संबंध है वह तो सन् ५२ में अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। लिहाजा उस बात का जिकर करना व्यर्थ है। माननीय राजस्व मंत्री जी से जनता कितनी आशा रखती है यह पूर्णतः सब को ज्ञान है। श्री रामनारायण जी चाहते हैं कि जमींदारों को प्रतिकर न दिया जाय और कांग्रेस सरकार इसके लिये हीला हवाला करती है। मैं वह गलती नहीं करूंगा जो कि राजस्व मंत्री किया करते हैं। वह इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इनसे किसी चीज के लिये कहना फजूल है इन पर तो किसी का कोई असर नहीं हो सकता है। यदि लोहिया के छूटने के बाद भी भारतीय संविधान के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं हुई है तो मैं समझता हूं कि फिर उनको किसी पर विश्वास नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, यहां पर मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं उनकी योग्यता पर किसी को आशंका नहीं हो सकती है। उन्होंने भारतीय संविधान में जो कुछ संशोधन वह कराना चाहते थे वह कराने में सफल हुये। इसलिये उनके ऊपर कोई दोषारोपण करना उचित नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत शिकायत माननीय राजस्व मंत्री से जरूर है कि जब यहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में संशोधन हुआ उसको देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उस समय हमारे राजस्व मंत्री अधिवासियों का अधिकार भूमिधर बनने का ५ वर्ष के उपरान्त देना चाहते थे। उसके बाद यही नहीं, २३७ में जो क्षेत्रपति का अधिकार था, वह अपने पास रखा जो कि कुछ वर्षों के बाद वह क्षेत्रपति जिस के पास ८ एकड़ से कम भूमि हो वह अधिवासी बेदखल करा सकता है और २३८ में अक्षम जमीदारों के अधिबासियों को अधिकार नहीं दिया गया था जो कि दूसरे अधिवासियों के दिया गया था। तो यह अधिकतर सन् १९५३ के संशोधन के द्वारा छीने गये। सन् ५२ में इनका उद्देश्य क्या था और ५३ में क्या हो गया जब कि इनको सख्ती करनी चाहिये थी। जहां तक राजस्व मंत्री जी का प्रश्न है उनको अपने विभाग के कार्यों का पूर्णतः ज्ञान है और साथ ही साथ उस ज्ञान से फायदा उठाना चाहते हैं। परन्तु दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यदि एक समुदाय के हाथ में अधिकार है तो क्यों इस तरह से सुविधा छीने लेते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में भी पैलेस्टाइन बनाना चाहते हैं। मुझे यह शिकायत है और जहां तक इनकी शिकायत का संबंध है उसका तो मुझे ख्याल नहीं है।

श्रीमन्, यही नहीं कि आज आप अधिवासियों को यह हक देने जा रहे हैं, कल यह भी हो सकता है कि जो प्रतिकर आप जमींदारी उन्मूलन के बाद देने जा रहे हैं यानी ४० साल में देने का वायदा करते हैं, अगर आप लोग अगली बार फिर आ गये तो माननीय मुख्य मंत्री जी यही समझायेंगे कि क्या करें हम तो हृदय से चाहते हैं, माननीय चरण सिंह जी भी मानते हैं, हुकुम सिंह जी भी मानते हैं परन्तु हमारे दल के लोग समझते हैं कि जो कुछ मिल चुका है काफी मिल चुका है।

श्रीमन्, अधिवासियों के लिये यह भी कहा गया कि जमींदारों ने पटवारियों और लेखपालों से गलत इन्दराज करायें हैं, जो कि गलत है। माननीय मौर्य जी ने कहा कि फैजाबाद जिले की बहुत सी शिकायतें आयी हैं, उनके फलस्वरूप ही इस विधेयक में संशोधन करना पड़ा। जैसी उनकी शिकायत है मैं भी जौनपुर की बात बता सकता हूं। यद्यपि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आघात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मौर्य जी के बारे में मेरे पास भी शिकायतें आयी हैं कि उन्होंने अपने को अध्यासी दर्ज कराने की बहुत कोशिश की जब कि वास्तव में वे वहां पर मौजूद न थे और न काबिज ही थे न किसी प्रकार से उनका अधिकार ही उस पर हो सकता है। हो सकता है कि यह असत्य हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत सुनी है, मैंने भी यह शिकायत सुनी है, अगर यह शिकायत गलत हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है तो उनकी शिकायत भी गलत हो सकती है। लेखपाल की नकल भी मेरे पास है सदन उसको देख सकता है। वह कहां तक सच हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, इसको मैं छोड़े देता हूं। माननीय मंत्री जी जिनको परिस्थिति का भली प्रकार ज्ञान है वे इस शिकायत को भी देख सकते हैं। इसलिये श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि शिकायतों के आधार पर विधेयकों या परम्पराओं में परिवर्तन करना कोई मानी नहीं रखता है। श्रीमन् जब ३० जमींदारों के खिलाफ दरख्वास्त दी गयी तो माननीय राजस्व मंत्री ने उस अधिनियम में संशोधन कर दिया। अगर यही तरीका रहा तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अधिक लाभ नहीं हो सकता। श्रीमन्, मैं तो आज एक बात बता देना चाहता हूं और वह यह है कि जो नयी भूमि व्यवस्था हमारा प्रदेश अपना रहा है वह आपके लिये ही खतरनाक साबित होगी, परिणामयह हो सकता है कि आप कहीं के न रहेंगे और न ये कहीं के रहेंगे। जिस शत्रु से आप दोनों घबराते हैं वह आप पर हावी हो जायगा। आज मैं यह कहे देता हूं कि वह पार्टी (सोशलिस्ट पार्टी) जिस भार को ग्रहण करना चाहती है न तो वह उसके योग्य ही है और न कभी योग्य हो ही सकती है परन्तु ये इस बात के लिये अवश्य अग्रसर होते हैं कि कांग्रेस सरकार को गलत चलने के लिये मजबूर करें। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं। वे लोगों को अधिक प्रसन्न करने के लिये कुछ सीमा का भी उल्लंघन कर दिया करते हैं ऐसी परिस्थिति में मुझे उनसे खासतौर से अनुरोध करना है कि इनके भ्रम में, इनकी शिकायतों को खत्म करने के लिये इस नीति पर चलने के लिये आपको थोड़ी सी समझदारी और होशियारी से चलना है। इतनी तेजी से न जाइये जिससे कि बिलकुल वैसे ही भागते न दिखलाई दें और जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जाय कि जो इस वक्त हमारे सामने है, वह अहितकर और अकल्याणकारी प्रतीत हो।

श्रीमन्, मुझे एक बात अवश्य कहनी है कि जो भूमि व्यवस्था में सुधार आप करना चाहते हैं कीजिये, लेकिन साथ ही साथ आप यह समझते रहें कि इस प्रदेश के अधिवासियों के साथ आप जो सहूलियत और जो सुविधा उनको देना चाहते हैं अवश्य दीजिये लेकिन आपके जरिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह दरियापत करना चाहता हूं कि क्या वे समझते हैं कि वे जमींदार जो अक्षम्य हैं और जिनका जीवन दैवी प्रकोप के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो चुका है, जिनके पास जीविकोपार्जन के लिये कोई साधन नहीं है, श्रीमन्, यदि उनके लिये, उनके अधिवासियों के लिये कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, तो फिर वे कैसे जिन्दा रहेंगे। वे जमींदार जो २५० रु० से ऊपर के अक्षम्य थे उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनके किसी अन्याय या अत्याचार के फल-स्वरूप यह बात नहीं हुई कि वे अंधे हो चुके हैं या उनमें शारीरिक दुर्बलता आ चुकी है या कोई विधवा है, या नाबालिग है, तो श्रीमन् मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि पहले आपने एक उसूल बनाया था और सन् ५३ के अधिनियम में इसके लिये एक प्राविजन रखा था लेकिन एक साल के बाद ही यह कहां की नीति है कि आज जो ऐसे अक्षम्य जमींदार हैं जिनके अधिवासियों को भी सीरदार और भूमिधर बनने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। श्रीमन्, मैंने यह कहा कि अन्याय और अत्याचार, अच्छा और बुरा सब समुदाय में होता है, राजनैतिक दलों में होता है, जातियों में होता है, देशों में होता है। श्रीमन्, यह कोई एक टोली की बात नहीं है बल्कि यह उनके लिये है जो बिलकुल अक्षम्य हैं, अपंग हैं। यहां मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सन् ३७ में आये तो उन्होंने यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में शब्द "मे" का प्रयोग किया उस परिभाषा को इस कदर संकीर्ण बना दिया गया है कि विधवाओं को जो सुविधायें थी, फिमेल को जो सुविधायें थीं, वे नाममात्र को भी अब नहीं हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)—श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने अपने भाषण में कई बार मेरा जिक्र करने की कृपा की। इससे मुझे भी यह अवसर मिला कि मैं दो चार शब्द इस संशोधन के बारे में कहूं। मैं उनकी वेदना को समझता हूं मगर यह कोई अवसर मुझे ऐसा नहीं मालूम होता, जिसमें कि उनको कोई धक्का लग सके। इन गरीबों को बेदखल करना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

पड़ेगा तो फिर नतीजा क्या होगा ? दूसरी तरफ यह भी बात थी कि जिनके यह अधिवासी थे उनमें से बहुत से ऐसे थे कि जिन के पास बहुत जमीन नहीं थी और वह ऐसे थे कि जो इस जमीन से लगान की शक्ल में बहुत ज्यादा पाते थे, चार गुना, आठ गुना और दस गुना बाज-बाज को मिलता था, औसत क्या था वह एक अलग बात है । उनका भी हमें ख्याल करना था । इन सब बातों को सोचकर यह संशोधन किया गया जिसका पहला परिणाम यह हुआ कि किसी अधिवासी की बेदखली नहीं हो सकेगी । हर अधिवासी अपने माथे को ऊंचा करके, अपनी छाती को फुलाकर उसी तरह से जिस तरह से और सीरदार, काश्तकार रहते हैं, रह सकेगा और विचर सकेगा और उसका स्तर किसी से नीचा नहीं रहेगा । यह ऐसी चीज थी जिससे संतोष होता है । हमने उनके आत्माभिमान को बढ़ाया है और अब उनको अवसर प्राप्त हुआ है कि वह आजादी के साथ रह सकेंगे ।

दूसरी बात यह थी कि उनके पास मुआवजा देने का कोई साधन नहीं है इसलिये यह तरीका बरता गया कि मुआवजा सरकार खुद दे लेकिन यह मुमकिन है कि जो मुआवजा इस तरह से दिया जायगा वह उस से काफी कम होगा जो उनसे लगान के तरीके पर सरकार को जो आमदनी हो रही है उससे मिलेगा यानी ज्यादा से ज्यादा जो लगान होगा वह हेरिडिटरी रेट का दुगुना होगा, उसका लिहाज करते हुये जो मुआवजा सरकार देगी वह उस लगान से कम होगा, जो उनको मिलता था । इस तरह से उन के साथ वह व्यवहार किया गया जिस से आशा की जाती है कि उनको न सिर्फ काश्त करने का मौका मिलेगा बल्कि आज उन का लगान दुगुना हेरेडिटरी रेट तक भी जाना पड़ा तो भी इस वक्त के लगान से आम तौर पर कम होगा । यह एक ऐसा संशोधन है जिस से उन लोगों का अधिकार बढ़ा है । इस से सीरदार की फिक्सिटी और परमानेंसी हुई है । उन का लगान भी भी घटा है, यह दो फायदे हुये हैं । तीन तरह से उन को लाभ हुआ है, एक तो उनको मुआवजा नहीं देना पड़ा और उनकी जो जोत है उस में रहने का उन्हें मौका मिला और साथ ही साथ हम ने यह भी देखा कि जिन के अधिवासी हैं वह भी बड़े मालदार लोग नहीं हैं, वह भी गरीब से ही लोग हैं इसलिये हम ने मुआवजे का तरीका ऐसा रखा है जिससे उनको ज्यादा मुआवजा मिल सके बमुकाबले उनके कि जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अनुसार औरों को हम ने देना तजबीज किया है । उनको मुआवजा ज्यादा मिलेगा ताकि उनको तंगी न हो.....

(इस समय ४ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

चाहे सरकार को ज्यादा रुपया देना पड़े । इस तरह से यह ऐसा संशोधन है कि जिस से लाखों आत्माओं को शांति और संतोष से अपने जीवन निर्वाह का मौका मिलेगा और जिन से इसका संबंध था उनको भी मुनासिब तरीके से एडिक्वेट मुआवजा मिल सके । यह चीज न्याययुक्त है और लाभप्रद है और यह संशोधन हर तरह से समाज के लिये हितकर, कल्याणकारी और उपयुक्त है और मैं आशा करता हूं कि सारा सदन इस को स्वीकार करेगा । इस के संबंध में में और बहुत से संशोधन पेश हुये उससे कोई दुख नहीं, क्योंकि संशोधन में जब उप-संशोधन आये तो वह चाहे स्वीकार हों या नहीं लेकिन अगर वह न हों तो सब दृष्टिकोणों को समझने का मौका नहीं मिलता । लेकिन उनमें से कोई भी संशोधन अगर माना जाता, जो पेश हुये तो सारी तस्वीर बिगड़ जाती, हाथ लम्बे, पैर छोटे, दो आंखों की जगह एक आंख हो जाती और जो पूरी तस्वीर बनी हुई थी वह इधर-उधर काट कर बनाने से सारी शक्ल इन्सान की बदल कर कुछ दूसरी ही हो जाती । इसलिये जिस तरह का यह संशोधन है, वह कल्याणकारी है, हितकर है । जो जमींदारी बिलीन हुई उसको काफी अरसा हुआ । यह भी सही है, मैं मानता हूं कि जमींदारी विलीन होने से जमींदारों को तकलीफ पहुंची, उनकी आमदनी कम हुई, उनका प्रभुत्व गया और उनकी शान का भी अब एक ही जरिया है, वह देश सेवा और सदाचार । यह बातें सही हैं, पर जहां तक इस संशोधन का संबंध है उसके लिये मैं समझता था कि इस सदन में कोई भी सदस्य नहीं होगा, जो इसका स्वागत न करे । मैं राजस्व मंत्री और अपने सब साथियों को जो

कि इस संशोधन से सहमत रहे हों और जिन्होंने इस संशोधन को यह रूप देने में सहायता दी, बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूं। मेरा स्वयं यहां तक विचार है कि हमारे इस सदन में गरीब तबके के लोगों की सहायता और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिये ऐसी कोई योजना आज तक नहीं आई जैसी कि इस संशोधन के द्वारा इस सदन के सम्मुख रखी गयी है (करतलध्वनि।) इसके पहले जो नियम जमींदारी अबालीशन बिल में थे उसमें इन लोगों की बेदखली की संभावना थी। उसके बाद भी जो अधिनियम यहां आये उनमें भी उनकी बेदखली की संभावना रही। मैं सदन से साफ कहना चाहता हूं कि बारबार मुझे यह बात खटकी कि इन बेचारों को बेदखल होने देना किसी भी कारण से कहां तक उचित हो सकता है। कानूनी अधिकार जो भी हो सबसे गरीब तबके के आदमी थे और इनके पास बहुत छोटी छोटी रकबे की जमींनें थीं और जो सन् १९३७ से इन जमींनों पर काबिज चले आते हैं, हमने पहली दफा जब सरकारी काम सम्हाला था उसी वक्त ऐसा नियम बनाया था जिससे बेदखली लोगों की कम हो, रुके और बन्द हो। उसके बाद बहुतों की बेदखली रुकी मगर इनके ऊपर फिर भी आघात होते ही रहे। उसके बाद फिर हमने कानून बनाया और इन बेदखलियों को रोका। अब सवाल यह आता था कि क्या जिनकी बेदखली रुकी है अगर वे तमाम मुआवजा न दे सकें तो उनको बेदखल होने का मौका होना चाहिये या नहीं। जो हमारा अधिनियम पास हुआ था उसमें बेदखल करने का मौका था। मगर मुझे ऐसा लगता था कि इस पर पाबन्दी लगनी चाहिये, जिससे ये बेदखल न हो सकें। ये लोग करीब २० लाख एकड़ जमीन से ताल्लुक रखते हैं और ४४ लाख खाते हैं। अगर यह समझा जाय कि एक-एक खाता दो दो के पास है तो २२ लाख परिवारों से रखता है और अगर समझा जाय कि चार-चार खाते एक-एक के पास हैं तो ११ लाख परिवारों से संबंध रखने वाला है। यह एक बात थी तो इतने लाख आदमी किस तरह से भी इस खतरे में हो जो जमीन में बहुत दिनों से काश्त करते आ रहे हों और जिनके पास कोई साधन न हों वह बेदखल हो सकें यह एक ऐसी बात थी जो उचित न थी। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिनके अधिवासी हमारे इस तरफ बैठे हुये काफी लोग हैं और संभव है कि उस तरफ भी कुछ हों, जिनके कि अधिवासी हैं, और उन्होंने खुशी-खुशी इसको स्वीकार किया। उन्होंने इसमें अपने देश-प्रेम का, समाज के हित का और गरीबों के प्रति सहानुभूति का परिचय दिया। इसी तरह से हम देश का कल्याण कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या आवश्यकता होती है? इसमें मनुष्यों को अपने अधिकारों को छोड़कर, जो कि अपने से निर्बल हैं, उनको बलवान बनाने की आवश्यकता होती है। यही स्वतंत्रता की मांग है। जिनके कि अधिवासी हैं उन्होंने इसकी एक रूपरेखा को जान कर इसका परिचय दिया है इसलिये उनको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी इस सदन के सदस्य इस अधिनियम को और विशेषकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि इससे सारे समाज का कल्याण होगा और मैं तो समझता हूं कि शांतिमय तरीके पर क्रांति अगर हो सकती है तो उसका यही एक नमूना है कि किस ढंग से गरीबों के लिये, जिनके पास हैं उन्होंने त्याग करके, उनका हित करने के लिये अपने स्वत्वों को छोड़कर उनके स्वत्वों को बढ़ाया है।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक चीज रखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—सबेरे मुझ पर एक बात छोड़ी गई थी कि मैं यह तय करूं कि इस विधेयक को समाप्त करने का क्या ढंग हो। मैं इस सिलसिले में यह निश्चित करता हूं कि साढ़े छः बजे शाम तक तो मैं इस पर वादविवाद चलने दूंगा उसके बाद जैसा मैंने उस दिन निश्चित किया था कि मैं संशोधन को पढ़ दूंगा और उस पर वोट ले लूंगा। जो सदस्य नाम लेने पर खड़े न होंगे मैं यह समझूंगा कि वह अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहते और जो खड़े हो जायेंगे उनके संशोधन पर मैं वोट ले लूंगा। फिर थर्ड रीडिंग में एक घंटा दिया जायगा जिसमें कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव पेश करने के बाद १०, १५ मिनट नेता विरोधी दल बोल लें, और ५ या ७ मिनट संयुक्त दल ले और माननीय राजस्व मंत्री पेश करने में और जवाब देने में कुल

[श्री अध्यक्ष]

आधा घंटा लें। इस तरह से मैं चाहता हूं कि यह विधेयक डिनर के टाइम के पहले ही समाप्त हो जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे एक अफसोस तो रह ही गया कि मैंने जो अपने संशोधन के जरिये राजस्व मंत्री से निवेदन किया था.....

श्री चरण सिंह--संशोधन पर तो वोट लिया जाना है क्योंकि इस क्लाज पर जनरल डिबेट हो रही है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह बोले और ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब दिया, तो अब माननीय राजनारायण जी कैसे बोल रहे हैं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैंने तो पूरे खंड का विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष--यह तो ठीक है लेकिन सदन यह समझ रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। आपकी तरफ से उनका जवाब है, यह माना नहीं गया था। तो इसलिये वह थोड़ी देर बोल सकते हैं।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अपने उस अफसोस को फिर दोहराता हूं कि मैंने अपने एक संशोधन के जरिये, जो अधिवासियों को सीरदारी अधिकार देने की बात प्रस्तुत की थी, यह निवेदन किया था कि उसको भूमिधर बना देना चाहिये। मगर मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्य मंत्री जी उस समय नहीं थे। मुझे यह भी विश्वास है कि अगर मुख्य मंत्री जी उस समय रहे होते तो मेरे तर्कों को वह अवश्य मानते और राजस्व मंत्री के ऊपर वह अपना प्रभाव डालते और राजस्व मंत्री जी हमारे संशोधन को जरूर मान लेते। हमने अपने संशोधन के जरिये उसी समय कह दिया था कि पुराने ऐक्ट में अधिवासियों को भूमिधर सीधे-तीधे होने का अधिकार था और आज जो सरकार अधिवासी को एक बीच में रख रही है, यह अच्छा नहीं है। अधिवासियों को सीधे सीधे भूमिधर बना दिया जाना चाहिये और राजस्व मंत्री के प्रस्ताव में श्रीमन्, जो प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान और दूसरी बातों को क्षेत्रपति को देने की बात थी उसके लिये भी मैंने तर्क पेश किया था। हमारा तर्क यह था कि आज जो अधिवासी हैं वह अपने क्षेत्रपति को जो लगान दे रहा है जिस दिन से सरकार निश्चित कर दे कि अधिवासी भूमिधर हो जायगा वह वही लगान देगा सरकार को, जो क्षेत्रपति को देता रहा है और यह भी कहीं-कहीं लिखा है कि कितने साल तक अधिवासियों को सीरदार हो जाने के बाद वह लगान देना पड़ेगा। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री एक बात को देखें, यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि अधिवासियों को जो लगान देना पड़ेगा वह मुआविजे के रूप में जो रकम देनी पड़ेगी उससे कम ही होगा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि कम नहीं होगा क्योंकि कोई भी अधिवासी आज सर्किल रेट के दुगने से कम तो देता ही नहीं। और कब तक देगा यह भी व्यवस्था नहीं है। तो श्रीमन्, एक बात माननीय राजस्व मंत्री कहा करते हैं कि आज जो क्षेत्रपति हैं वह जितना अधिवासियों से ले रहे हैं, सरकार तो सर्किल रेट का दुगना तक ही ले सकती है। मगर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार जिस बात को गलत समझती थी और जिस बात को समझती थी कि अधिवासियों से जो रकम ली जा रही है क्षेत्रपतियों द्वारा जब वही सरकार के लेने की बात होती है तो सरकार जायज कैसे मानती है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि जब वह क्षेत्रपतियों को देते थे तब तो कोई नहीं कहता था और जब सरकार लेती है तो क्यों विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम पहले भी विरोध करते थे और अब भी करते हैं, इसलिये कि सरकार को सर्किल रेट से ज्यादा नहीं लेना चाहिये।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि हमने तो जो चतुर वर्ण थे उसको समाप्त करके एक वर्ग कर दिया....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--दो वर्ग कहा था।

श्री राजनारायण--माननीय राजस्व मंत्री जी दो वर्ग उचित समझते हैं बनिस्बत एक के। और मैं समझता हूं कि वह एक ही कुटुम्ब में सब को रखें और उसका तरीका सिवाय भूमिधर के और कुछ नहीं हो सकता। माननीय राजस्व मंत्री जी की हमदर्दी में बहुत से लोग चोट खाये हुये खड़े हो गये तो मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी की बुद्धि एक रहे और उसके लिये प्रमाण में देना चाहता हूं कि . .

शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधी :।
एकबुद्धिरहं भद्रे, क्रीड़ामि विमले जले ।।

श्रीमन्, अगर एक बुद्धि हो तब तो अच्छी तरह से काम चल सकता है। मगर राजस्व मंत्री जी कई बुद्धि से काम करना चाहते हैं इसीलिये सारे मामले गड़बड़ . . . .

श्री अध्यक्ष--आपका समय अब समाप्त हो गया।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक आध मिनट और दीजियेगा, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन तरह से क्षेत्रपति हैं। एक क्षेत्रपति सीर और खुदकाश्त के जो अधिवासी होंगे और एक क्षेत्रपति माफीदार शरैमुअय्यन के अधिवासी होंगे और तीसरे क्षेत्रपति जो नये भूमिधर बने हुये हैं, उनके अधिवासी होंगे। अब उनके तीन वर्ग बनते हैं जो क्षेत्रपति सीर और खुदकाश्त का अधिवासी है उसको तो राजस्व मंत्री जी ने कहा कि १० गुना दिया जायगा, जो क्षेत्रपति माफीदार शर:मुअय्यन के अधिवासी हैं उसको कहते हैं २० गुना दिया जायगा और जो भूमिधर बने नये उसके अधिवासी को कह रहे हैं कि अभिदिष्ट लगान की दसगुनी धनराशि, और उसी के साथ धारा २४०-घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की धनराशि का दसगुना और उसमें आगे मद दिया हुआ है। तो श्रीमन्, कितनी इसमें खामियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं कि अगर हमें समय मिलता तो हम अच्छी तरह से उसे सामने रखते और हिसाब लगा कर रखते कि आज उन अधिवासियों को कितना महंगा यह पड़ रहा है। यह सही बात है कि किसानों के रास्ते में जो अनेक प्रकार की दिक्कतें थीं उनमें से कुछ इससे कम होंगी मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात कही कि एक खानदान हो, एक शरीर हो, एक इन्सान हो, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि यह इन्सान की शक्ल इस विधेयक में नहीं है। इन्सान की सच्ची शक्ल, मानव का सही चित्र तो तब होता जबकि उसको भूमिधर बनाया गया होता और उसको सर्किल रेट से ज्यादा लगान न देना पड़ता और भूमिधर होने के नाते जो तरह-तरह की सहूलियतें उनको प्राप्त होतीं, उनको वह प्राप्त करता। तब जाकर एक जिन्दा और सजीव चित्र होता। आज तो एक विकृत चित्र है और उसी विकृत चित्र के लिए एक साहब कह रहे थे कि कानून की स्कीम के विरुद्ध राजनारायण का संशोधन है, ठीक है। माननीय राजस्व मंत्री के कानून की स्कीम के विरुद्ध, जो जनहित के विरोध में माननीय राजस्व मंत्री का कानून है उसके विरुद्ध मेरा संशोधन है मगर वह जनहित में है, इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जी से, कि जनहित के लिए वह मेरे संशोधन को मान लें और श्रीमन्, एक मिनट में मैं जवाब देना चाहता था मगर समय समाप्त हो गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस विधेयक में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसके सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी ने विस्तार के साथ प्रकाश डाला और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिसको पूरे तौर पर इस भवन के सामने रखा, उस सम्बन्ध में मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो विरोधी दल के लोगों का हृदय जानता है कि यह कदम कितना प्रगतिशील है कि जो अधिवासी लोग कभी सपने में भी यह नहीं समझते थे कि वह

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

शिकमी होने के नाते या काबिज होने के नाते अपनी उस जमीन के मालिक बन जायेंगे, वह आज मालिक बनाये जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज भी ऐसे अधिवासियों को यह विश्वास नहीं हुआ है कि उनको इतना बड़ा अधिकार यह मिल सकता है जो कि इस विधेयक के जरिये हम देने जा रहे हैं। माननीय विरोधी दल के सदस्यों के सामने कई दिनों से यह संशोधन मेरा एजेंडे पर था। लेकिन उन सभी संशोधनों को उन लोगों ने करीब-करीब छोड़ दिया और आज उनकी तरफ से नया संशोधन इस विधेयक के सम्बन्ध में सामने लाया गया और उनमें एक यह था कि बजाय सीरदारी के भूमिधरी उनको दे दी जाय। यह चीज अगर उनके दिमाग में कभी भी होती तो यह बात नामुमकिन थी जब उनके और संशोधन आये तो यह संशोधन क्यों न आता। इस बात की सबसे बड़ी दलील यह है आज तक उनके दिमाग में कभी यह सपने में भी बात नहीं थी कि हम अधिवासियों के लिये भूमिधरी का अधिकार मांगें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह सरकार अधिवासियों को सीरदारी का अधिकार दे रही है तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे लिये कोई बात कहने की बाकी नहीं रही इसलिये अब अगला कदम यही रक्खो कि बजाय सीरदार के इनको भूमिधर बनाया जाय। तो यही इस बात की सब से बड़ी दलील है। वह तो जो सीरदार होगा वह भूमिधर हो सकता है। वह भूमिधर हो सकते हैं इसके लिये माल मंत्री जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। इसलिये मुझे अब इसके विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। श्री अवधेश प्रताप सिंह जी इसका विरोध करने के लिये खड़े हुये। उन्होंने तो जमींदारी का भी विरोध किया था, जो इस वर्ग के लोग थे उन्होंने सब ने विरोध किया था कि जमींदारी खत्म न हो। आज जब अधिवासियों को अधिकार दिये जाने लगे हैं तब भी वह इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो लोग खेती करने वाले हैं, उनको यह अधिकार दिया जाय कि जमींदारी खत्म होने के बाद, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और उन लोगों को जो उस जमीन पर काश्त कर रहे थे, इस जमींदारी विनाश के बाद उनको भी उस जमीन का पूरा मालिक बनाया जाय और वह अपनी जमीन में तरक्की करें और उन्हें उस जमीन में स्वामित्व प्राप्त हो।

यह एक सुन्दर उद्देश्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी नियमावली में जो १८२ नियम हैं, उसमें यह है कि किसी माननीय सदस्य पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिये। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप किया और एक इन्तखाब दिया, मेरा नाम लेकर कि इन्होंने अपने असामी को जबर्दस्ती शिकमी से बेदखल किया। फजाबाद के बारे में मैंने कोई बात कही थी, इसलिये जौनपुर के बारे में उन्होंने कही। फैजाबाद के बारे में मैंने एक मिसाल दी थी, किसी का नाम नहीं लिया था बल्कि मैंने कहा था कि ऐसे भी केसेज हैं जिनमें यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा २७ के अनुसार जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी, उस आराजी पर भी कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है। इसलिये ऐसे काबिज को कोई हक नहीं होता। लेकिन उसकी तुक में उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप बना कर उपस्थित किया। जहां तक इस आक्षेप की बात है उसका जवाब देना कहां तक मुनासिब बात है।

फिर भी मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि माल मंत्री जी स्वयं मेरे गांव में गये थे और इस साल के फरवरी मास में गये थे और उन्होंने पंचायत-घर का उद्घाटन किया था। किसी ने उस समय उनसे शिकायत नहीं की। वह मौजे में भी गये थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की कि मैंने किसी को जबर्दस्ती बेदखल कराया। इसके अलावा आज तक माल मंत्री जी से न तो कोई शिकायत की गई और न माननीय मुख्य मंत्री जी से शिकायत की गई और न मेरे जिले के रहने वाले

माननीय शिक्षा मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह जी तथा मुहम्मद रऊफ जाफरी से शिकायत की। पता नहीं उनके पास कहां से शिकायत आ गई और नकल खसरा आ गई। अच्छा होता अगर वह उपस्थित होते तो बतलाते कि वह व्यक्ति है या नहीं जिसने उनसे मेरी शिकायत की। लेकिन वह इस समय नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि मुझे साल भर से ज्यादा हो गया, मैं गांव नहीं गया। लेकिन एक कागज को दिखा कर वह इस नतीजे पर पहुंच गये कि मैंने किसी आदमी को जबर्दस्ती बेदखल कर दिया। यह कहां तक उचित है इस प्रकार सदन के सदस्य के ऊपर आक्षेप करना। उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा यह कितनी नितान्त अनुचित बात कही गई। मैं नहीं जानता कि वह कौन काश्तकार है और न मैं घर पर ही रहता हूं। मेरे भाई खेती करते हैं....

श्री अध्यक्ष--क्या यह बात सदन में हुई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आप नहीं थे, उस समय उन्होंने यह बात कही थी। अब जहां तक मेरे संशोधन का उद्देश्य है, उस पर काफी प्रकाश पड़ चुका है और मैं समझता हूं कि इससे आगे अगर कोई यह कहे कि यह बढ़ाया जा सकता था तो यह बिलकुल एक थोथी सी बात है। बहुत बड़ा अधिकार जिसका सपने में भी शान व गुमान नहीं था वह हमने दिया और यह संशोधन इतना महत्वपूर्ण है जो एक क्रान्तिकारी संशोधन कहा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको एक दफा पढ़ कर सुनाये देता हूं, क्योंकि उसमें टंडन जी का भी संशोधन शामिल हो गया है और यह मान लिया गया है कि वह ऐसा माना जायगा कि राजस्व मंत्री जी की तरफ से ही है। इसलिए संशोधित रूप से मैं इसे पढ़े देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३९-क के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ३९-ख के रूप में रख दिया जाय--

३९-ख--मूल अधिनियम के अध्याय ९ के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय ९-क के रूप में रख दिया जाय:

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नये अध्याय ९-क का बढ़ाया जाना।

"अध्याय ९-क

अधिवासियों को सीरदारी अधिकारों का प्रदान

उस भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम तथा स्वत्व का हस्तगतीकरण, जो अधिवासी के कब्जे में हो।

२४०-क--उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसी भूमि में जो, उक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर, किसी अधिवासी के कब्जे में थी या उसके कब्जे में समझी जाती थी, किसी क्षेत्रपति (land holder) के सब अधिकार, आगम और स्वत्व इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से (जिसे आगे चलकर निश्चित दिनांक कहा गया है), समाप्त हो जायेंगे और उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, सब भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(२) राज्य सरकार के लिए वैध (lawful) होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट विज्ञप्ति समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जारी करे, जो निर्दिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब निदेश ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

[श्री अध्यक्ष]

धारा २४०-क के अधीन अधिकार, आगम तथा स्वत्व को हस्तगत करने के परिणाम।

२४०-ख---धारा २४०-क के अनुसार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर, इस अधिनियम के अध्याय २ तथा ९ में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर, तद् विषयक (to which the notification relates) क्षेत्र में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे---

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निश्चित दिनांक (appointed date) से ठीक पहले के दिनांक पर, अधिवासी था या समझा गया था, निश्चित दिनांक से उस भूमि का, जिसका उल्लेख धारा २४०-क में किया गया है और जो उसी रूप में उसके कब्जे में है, सीरदार बन जायगा और उसको ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसे सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अनुसार सीरदारों को प्राप्त हैं या उन पर आरोपित किये गये हैं ;

(ख) (१) धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अधिवासी द्वारा निश्चित दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिए देय ऐसे सब लगान जो क्षेत्रपति को देय होते यदि उक्त धारा के अधीन उक्त भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम और स्वत्व को हस्तगत (acquire) न किया गया होता, राज्य सरकार में निहित होंगे और उसी को देय होंगे न कि क्षेत्रपति को, और इस खंड के निदेशों के विपरीत यदि कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से बंध रूप से मुक्त न होगा,

(२) यदि निश्चित दिनांक (appointed date) के पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract) के अधीन कोई लगान उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिए क्षेत्रपति को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित (compounded) या अभित्यक्त (released) हो गया हो तो वह लगान ऐसे अनुबन्ध या संविदा के रहते हुये भी राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रपति से वसूल किया जा सकेगा और वह वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये धारा २४०-ङ के अधीन क्षेत्रपति को दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि में से काट कर वसूल किया जा सकेगा;

(ग) धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में मालगुजारी की सभी बकाया, जो निश्चित दिनांक के पूर्व किसी भी अवधि के लिये क्षेत्रपति से प्राप्य (due from) हो, ऐसे क्षेत्रपति से वसूल की जाने योग्य रहेगी;

(घ) किसी भूमि में इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्रपति के अधिकार आगम, और स्वत्व किसी दीवानी या माल न्यायालय की किसी डिग्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेंगे, और निश्चित दिनांक पर वर्तमान कोई कुर्की अथवा ऐसे दिनांक के पूर्व कुर्की के लिये दी गई कोई आज्ञा, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट,

१८८२ ई० की धारा ७३ के निदेशों को बाधित न करते हुये निष्प्रभाव हो जायगी;

(ङ) किसी ऐसे रुपये के लिये जो धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के बन्धक से सुरक्षित (secured) हो या उस पर भार-रूप (charged) हो, कोई दावा (claim) जो निश्चित दिनांक से पहले क्षेत्रपति द्वारा किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने निश्चित दिनांक से पहले उपगत (incurred) किया हो, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई दशा को छोड़ कर ऐसी भूमि या ऐसे अधिवासी के विरुद्ध जो खंड (क) के अनुसार सीरदार बन गया हो, व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable); और

(च) इस अध्याय में कही गई किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :

(क) धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार जो समय विशेष पर प्रचलित विधि द्वारा नियमित होगा, और

(ख) निश्चित दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार और वे, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार, प्राप्त हो; और

(छ) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद और व्यवहार (proceedings) जो निश्चित दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों और निश्चित दिनांक के पूर्व ऐसे किसी वाद या व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखने वाली सब कार्यवाहियां रोक दी जायंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा, किसी वाद-ऋणी (judgment debter) की उसके खाते से बेदखली द्वारा निष्पादित नहीं की जायगी।

२४०-ग—प्रत्येक क्षेत्रपति, जिसके धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अधिकार, आगम अथवा स्वत्व उक्त धारा के अधीन हस्तगत किये जायं, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे प्रतिकर दिया जायगा।

२४०-घ—धारा २४०-क के अधीन भूमि में क्षेत्रपति के अधिकार, आगम और स्वत्व हस्तगत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये प्रतिकर अधिकारी एक प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :

(क) क्षेत्रपति का या क्षेत्रपतियों के नाम;

(ख) यदि धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर;

[श्री अध्यक्ष]

(१) क्षेत्रपति (land-holder) की सीर या खुदकाश्त, या काश्तकारी शरह मुअय्यन के रूप में अभिलिखित थी, अथवा

(२) धारा १८ के खंड (घ) में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग में आने वाले व्यक्ति के खाते के अन्तर्गत थी, या

(३) धारा १९ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग में आने वाले व्यक्ति के खाते के अन्तर्गत थी,

तो उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों के अनुसार आकलित (computed) लगान।

(ग) यदि धारा २४०-क में अभिदिष्ट भूमि खंड (ख) में लिखित भूमि से भिन्न थी, तो उसके काश्तकार द्वारा ऐसी भूमि के लिये उक्त दिनांक को देय लगान; और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

२४०-(ङ)—धारा २४०-ग के अधीन क्षेत्रपति को देय प्रतिकर निम्नलिखित होगा :

(१) यदि क्षेत्रपति अथवा उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी (predecessor-in-interest) धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर था तो :—

(क) धारा २४०-घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दश गुनी धनराशि, और उसी के साथ,

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान, यदि कोई हो, जो उसे अध्याय ३ से ५ तक के निदेशों के अनुसार देय हों;

(२) यदि ऐसा क्षेत्रपति निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर शरह मुअय्यन काश्तकार था या धारा २४०-घ के खंड (ख) के उपखंड (२) में अभिदिष्ट व्यक्ति था, तो उक्त धारा के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की बीस गुनी धनराशि;

(३) यदि ऐसा क्षेत्रपति निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खंड (१) या (२) में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न भूमिधर था, तो

(क) धारा २४०-घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दस गुनी धनराशि, और

(ख) उक्त धारा के खंड (ग) में अभिदिष्ट लगान की दश गुनी धनराशि;

(४) यदि ऐसा क्षेत्रपति अथवा उसका स्वत्व, पर्वाधिकारी (predecessor-in-interest) निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २४०-घ के खंड (ख) के उपखंड (३) में अभिदिष्ट व्यक्ति था, तो धारा २४०-घ के खंड (ख) में अभिदिष्ट लगान की दश गुनी धनराशि।

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि यदि खंड (३) के उपखंड (क) या खंड (४) के अधीन देय धनराशि ऐसी भूमि के लिये उसके काश्तकार द्वारा निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान के पांच गुने से कम हो, तो देय धनराशि उक्त लगान के पांच गुने के बराबर होगी।

२४०-च---धारा २४०-घ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध क्षेत्रपति को भेज दी जायगी।

२४०-छ---स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के विरुद्ध, उसके प्रकाशन के दिनांक से एक महीने के भीतर नियत रीति से प्रतिकर अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

२४०-ज---(१) उपधारा (२) में की गई व्यवस्था को छोड़कर, प्रतिकर अधिकारी धारा २४०-छ के अधिन प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, फरीकों की सुनवाई करके, नियत रीति से आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत आपत्ति :

(क) यह हो कि वह भूमि, धारा २४०-क की उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस सम्बन्ध में विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके उसे धारा २३४-क के साथ पठित धारा २२९-ख के अधीन उस भूमि के सम्बन्ध में वाद के निर्णय का अधिक्षेत्र रखने वाले न्यायालय के पास निस्तारण के लिये अभिदिष्ट करेगा और तत्पश्चात् ऐसे वादों की सुनवाई और निस्तारण के सम्बन्ध में सभी निदेश ऐसे अभिदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह वाद (suit) है;

(ख) ऐसी हो जिसमें आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो (involves a question of title) और ऐसे प्रश्न को किसी समर्थ न्यायालय ने पहले से निर्णीत न किया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण---इस बात से कि कोई व्यक्ति अधिवासी है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि इस खंड के प्रयोजनों के लिये आगम का प्रश्न उठता है।

(३) डिस्ट्रिक्ट जज उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन अभिदिष्ट प्रश्न का नियत रीति से निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२४०-झ---(१) किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी प्रतिकर अधिकारी की धारा २४०-ज के अधीन प्रतिकर की धनराशि से सम्बद्ध आपत्ति की निर्णायक आज्ञा से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, जो नियत रीति से अपील का निर्णय करेगा और इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।

२४०-ञ---(१) यदि धारा २४०-च के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय अथवा यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं और अन्ततः निस्तारित हो जायं तो विवरण यथावश्यक संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायगा। उक्त विवरण पर प्रतिकर अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया गया विवरण अन्तिम होगा।

(३) अन्तिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध क्षेत्रपति को निःशुल्क दी जायगी।

[श्री अध्यक्ष]

२४०-ट—(१) उपधारा (३) में की गई व्यवस्था को छोड़ कर, धारा २४०-झ में अभिदिष्ट प्रतिकर विवरण में वर्णित प्रतिकर नकदी में एक-मुट्ठ अथवा वार्षिक किस्तों में—

(क) जो धारा २४०-ङ की उपधारा (२) तथा (३) में अभिदिष्ट मामलों में १० से अधिक न होंगी; तथा

(ख) धारा २४०-ङ की उपधारा (१) तथा (४) में अभिदिष्ट मामलों में, ५ से अधिक न होगा,

जैसा नियत किया जाय, दिया जायगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रतिकर का भुगतान किस्तों में नियत किया जाय तो प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त उसका ६ १/४ प्रतिशत भी दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उसी क्षेत्रपति को दिया जायगा जिसके नाम का इन्दराज अन्तिम प्रतिकर विवरण में हो और यदि प्रतिकर के भुगतान से पूर्व क्षेत्रपति की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा २४०-ङ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार भुगतान योग्य प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान, अध्याय ४ और ५ के निदेशों के अनुसार दिये जायेंगे।

२४०-ठ—इस अध्याय की कोई भी बात इवैक्युई प्रापर्टी पर लागू नहीं होगी।

२४०-ड—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(क) धारा २४०-ख के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित लगान तथा अन्य देय धनराशियों के हिसाब लगाने का ढंग;

(ख) इस अध्याय के अधीन स्थगित वाद और कार्यवाहियों का निस्तारण;

(ग) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा २४०-घ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा;

(घ) रीति जिस के अनुसार प्रतिकर अधिकारी धारा २४०-ज के अधीन समर्थ न्यायालय अथवा डिस्ट्रिक्ट जज को आपत्तियां अभिदिष्ट करेगा;

(ङ) उन क्षेत्रों में जहां मौरूसी दर अवधारित न हों, उसके अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त;

(च) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन मामलों में, जिनके निमित्त यहां पर विशेष निदेश नहीं किया गया है, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के निदेशों की प्रवृत्ति;

(ज) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में उन मामलों में देय शुल्क जिनके लिये यहां पर विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी (authority) के कर्तव्य तथा उक्त अधिकारी अथवा आधिकारिकी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी से अन्य अधिकारी अथवा आधिकारिकी को कार्यवाहियों का संक्रामण (transfer);

(ट) इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में जिनके निमित्त विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों या नियत किये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ३९-ख इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा का खयाल करते हुए अवधेशप्रताप जी ने जो व्यक्तिगत आक्षेप मौर्य जी पर किया मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं देख लूंगा। अगर देखूंगा कि मौर्य जी पर आक्षेप है और अनुचित है तो मैं कोई निर्णय दे दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं आपके साथ हमदर्दी जाहिर करता हूं कि सबसे बड़े संशोधन को पढ़ने के लिये आपको यहां आना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि १८ मिनट मैंने लिये।

(कुछ ठहर कर)

मैं समझता हूं कि खंड २५ अब लिया जा सकता है।

खंड २५

२५—मूल अधिनियम की धारा १९८ में:—

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द और संख्या "या २३७" निकाल दिये जायं;

(ख) खंड (क) के पहले निम्नलिखित नये खंड (१-क) और (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(१-क)—कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन में शिक्षा से सम्बद्ध स्वीकृत शिक्षा संस्था;

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १९८ का संशोधन

[श्री अध्यक्ष]

"(२-क)--मंडल का निवासी खातेदार जिसकी भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये दिनांक १ जुलाई, १९५२ को अथवा इसके पश्चात् भूमि हस्तगतीकरण (acquisition of land) से सम्बद्ध किसी विधि के निदेशों के अधीन हस्तगत की गई हो।"

(१-क) उपधारा (१) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रख दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण--कोई व्यक्ति भूमिहीन कृषक मजदूर उस दशा में समझा जायगा जब कि उसके कब्जे में उस उच्चतम क्षेत्र से अधिक की भूमि न हो जो कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सामान्यतः या किसी क्षेत्र विशेष के लिये निर्धारित किया हो।"

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(२) परगना अधिकारी उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रदेशना (allotment) के विषय में नियत रीति से जांच स्वयंमेव कर सकता है और उपधारा (१) के अधीन दी गयी गांव सभा की आज्ञा से असन्तुष्ट किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर तो उक्त जांच अवश्य ही करेगा, और यदि वह संतुष्ट हो कि गांव सभा ने तात्विक अनियमितता (substantial irregularity) से काम किया है अथवा अन्य किसी प्रकार इस अधिनियम के निदेशों के विरुद्ध कार्य किया है तो वह इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २५ के उपखंड (१) के भाग (ख) में प्रस्तावित खंड (२-क) निकाल दिया जाय।

इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जब जब इस सदन में संशोधन होते रहे तब तब १९८ धारा में जो क्रम पहले रखा था उसको बदल कर रखा गया था लेकिन अब फिर बदल दिया गया है। उसमें क्रम यह था कि गांव समाज की सरकारी भूमि अगर किसी को मिलेगी तो वह इस प्रकार से मिलेगी। पहला नम्बर सहकारी फार्म का था, दूसरा सवा छः एकड़ वाले भूमिधर का, तीसरा नम्बर उनका था जो सवा छः एकड़ से कम के खातेदार थे और चौथा नम्बर उनका था जिनके पास भूमि नहीं है। जो ओरिजिनल विधेयक १ जुलाई, सन् १९५२ में लागू हुआ उसमें भूमिहीन किसानों का नाम तीसरा था। जब वह विधेयक संशोधन के लिये यहां पर आया तो हमारे दल की तरफ से यह मांग की गयी कि जब हमारे देश में इतने भूमिहीन किसान हैं तो यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि भूमिधरों के बाद उनका नम्बर रखा जाय। तो उस समय हमें यह प्रसन्नता हुयी थी कि सरकार ने उसको मानकर भूमिहीन किसानों का नम्बर पहला कर दिया था लेकिन अब उस धारा में इस विधेयक में परिवर्तन किया जा रहा है और उस धारा के परिवर्तन के मुताबिक भूमिहीन फिर तीसरे नम्बर पर आ जाते हैं। इस वजह से हमको इसकी मुखालिफत करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें पहले प्राथमिकता उनको दी गयी है जो ऐसे स्कूल हैं जिनमें कृषि का अध्यापन होता है। उसके बाद ऐसे व्यक्तियों को दी गयी है जिनकी भूमि किसी सार्वजनिक काम के लिये ली गयी हो और फिर तीसरे नम्बर पर भूमिहीन किसानों का नम्बर रखा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन स्कूलों में कृषि के अध्यापन का कार्य होता है उनको प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि उनसे सबका कल्याण हो सकता है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर उसके बाद किसी का नम्बर हो तो वह भूमिहीन किसानों का हो। जिनकी जमीन किसी सार्वजनिक कार्य के लिये ली गयी हो उसका नाम इसमें से निकाल दिया जाय।

यही मेरे संशोधन का मतलब है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि पहले भी जब १० मार्च सन् ५३ को यह संशोधन विधेयक पास हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने बड़ी भारी गर्जना की कि हमने विरोधियों का मुंह बन्द कर दिया और भूमिहीनों को प्राथमिकता दे दी लेकिन अफसोस है कि उनकी यह गर्जना अधिक दिनों तक न चल सकी। विद्यालयों को जिनमें कृषिशास्त्र का अध्ययन हो उनके लिये किसी हद तक हम मानने के लिये तैयार हैं लेकिन उसके बाद जो दूसरा नम्बर रखा गया है उन लोगों का कि जिनकी भूमि सार्वजनिक हित के लिये ली गयी हो, माननीय अध्यक्ष, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर यह होता कि जिसकी सारी जमीन ले ली गयी हो, तब भी कुछ माना जा सकता था लेकिन विधेयक में तो बिलकुल गोल मटोल शब्दों में है, वैसा नहीं होना चाहिये। मान लीजिये किसी के पास १०० एकड़ भूमि है अगर उसकी १० एकड़ भूमि ले ली गयी तो उसको भूमिहीनों के ऊपर तरजीह नहीं देनी चाहिये। हमारी यह समझ में नहीं आया कि सरकार ने इतना उतावलापन क्यों किया कि ऐसे लोगों को भूमिहीनों से तरजीह दे दी गयी। इसलिये अध्यक्ष महोदय जिनके पास १००–१५० एकड़ जमीन है उनसे अगर १०–५ बीघा ले ली गई तो उनको भूमिहीनों के ऊपर तरजीह दिया जाना उचित नहीं होगा। अगर माननीय मंत्री जी भूमिहीनों को कृषि विद्यालय के बाद रखना चाहें तो उसको हम मान सकते हैं क्योंकि भूमिहीनों में अधिकतर हरिजन गरीब और पिछड़े हुये लोग हैं। एक तरफ तो मंत्री जी अधिवासियों को सीरदार का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कलम से जिन लोगों को जमीन मिलने की संभावना है वह खत्म कर रहे हैं। इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं बाकी राजस्व मंत्री जी और उनके दल के लोगों की बात सुनकर कहूंगा।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जो जो बात माननीय त्रिपाठी जी ने कही वह ९० प्रतिशत सही है। हमारी भी यही मंशा थी जिनसे जमीन सार्वजनिक काम के लिये ली गयी हो, वे बिलकुल भूमिहीन हो गये हों तो उनको भूमिहीनों के ऊपर हक़ मिलना चाहिये उन भूमिहीनों के ऊपर जिनके पास हमेशा से भूमि न रही हो। मान लीजिये किसी आदमी के पास २ एकड़ जमीन है, जैसे सुल्तानपुर या जौनपुर में नहर निकल रही है, उसकी जमीन नहर में आ जाती है तो उसको जमीन मिलना चाहिये ऐसे आदमी को नम्बर एक पर आना चाहिये उस आदमी से जिसके पास हमेशा से जमीन न रही हो। जिस आदमी के पास से एक चीज निकल जाती है उसको ज्यादा तकलीफ होती है उस आदमी से जिसके पास पहले से ही नहीं है। इस संशोधन का यह मतलब नहीं था कि किसी के पास १० एकड़ जमीन है उसकी अगर २ एकड़ निकल जाती है तो उसको भूमिधर करार देकर तरजीह दी जाय। ऐसी न तो हमारी मंशा थी और न सेलेक्ट कमेटी की। लेकिन जिस नम्बर पर जिस प्रकार से इस बिल में रख दिया गया है उससे यह मंशा हो जाती है। मैं इसके लिये तो तैयार हूं कि खंड २-क निकाल दिया जाय और बाद में भूमिहीनों में यह जोड़ दिया जायगा कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी भूमि निकल जाने के कारण वह भूमिहीन हो गया है तो उसको तरजीह दी जायेगी। यह जरूर है कि ५ फीसदी तक जिसके पास जमीन हो उसको हम भूमिहीन करार दे देंगे लेकिन भूमिहीनों के बजाय कोई प्रायरिटी देने में हमको कुछ सोचने की जरूरत होगी। इसलिये इसको जरा सा रोक दिया जाय, फिर आगे ले लिया जायगा। बाकी उससे मैं सहमत हूं कि इसको तो निकाल ही दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि इस खंड पर मत लेना मैं स्थगित करता हूं। बात यह है कि इस स्टेज पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। वैसे आप को स्वीकार है?

श्री चरण सिंह—जी हां, मुझे स्वीकार है। लेकिन एक्सप्लेनेशन में एक दो लफ्ज रखने की जरूरत पड़े तो इसके लिये इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको थोड़ी देर बाद ले लूंगा।

(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय मंत्री जी उसे ठीक कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मुझे तो श्रीमन्, पूरे खंड का विरोध करना है चाहे इधर से आवे या उधर से आवे।

श्री अध्यक्ष---आपको पूरे खंड का विरोध करना है तो आप भाषण दें।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्पूर्ण खंड का विरोध करना है और उसी के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। असल में मुझे यह आश्चर्य होता है कि पहले जो प्राथमिकता भूमिहीनों को दी गयी थी उसकी जगह पर आज इंस्टीट्यूशंस को स्थान क्यों दिया जा रहा है, इसको समझने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई है और साथ ही साथ आपत्ति है। श्रीमन्, एक आपत्ति तो मुझे यह है कि किसी के पास भूमि जोतने के लिये ही नहीं, अगर वह मर जाय तो उसके कब्र के लिये भी जगह नहीं है वहीं पर दूसरी तरफ आप विद्यालयों को प्रायरिटी दे रहे हैं। एक तो मेरा विरोध इससे है और दूसरी जो सबसे बड़ी घातक चीज है वह यह कि धारा २३७ को हटाया जा रहा है। श्रीमन्, जो २३७ धारा है वह है "एजेक्टमेंट आफ अधिवासीज फ्राम अनइकनामिक होल्डिंग्स"। असल में जब यह विधेयक इस सदन में पारित हुआ था तो उस समय हमारी सरकार का उद्देश्य था कि कुछ जिलों में जहां पर उन जमींदारों के पास, सीरदारों के पास अगर जमीन ८ एकड़ से कम हो तो विशेष परिस्थिति में कुछ क्षेत्रों के लिये सरकार बेदखली खोल देना चाहती थी ताकि ८ एकड़ तक वह जमींदार या जो कुछ था सीर, खुदकाश्त की जितनी आराजी रही है उनको बेदखल करा कर ८ एकड़ की सीमा तक पहुंच सके। श्रीमन्, जब सन् ५३ में इस अधिनियम पर संशोधन आया तो बहुत सी रियायतें जो इस अधिनियम में पुराने जमींदारों को दी गयी थीं उनका अपहरण किया गया धारा २३८ और धारा २३९ को हटा कर। धारा २३८ में अक्षम्य जमींदारों के लिये जो २५० रु० से अधिक लगान देते थे उनके अधिवासियों के लिये था। अब श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और सबसे बड़ी आपत्ति मुझे यह है कि आप इस धारा २३७ को हटा कर एक बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बात यह है कि जब कोई भी मनुष्य अक्षम्य हो जाता है तो उसके लिये फिर यह कहना कि वह किस समुदाय का था, उसकी क्या आमदनी थी, उसकी कितनी आमदनी थी, इन सब चीजों पर विचार करना ठीक नहीं होता। इन सब चीजों पर विचार.....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मेरा जो संशोधन था उस से सिर्फ जो अधिवासी थे वह सीरदार बन गये तो उसका इस से क्या मतलब है कि ८ एकड़ की बेदखली खुल जाय या २३७ धारा निकाली जाय, यह असंगत है और इससे सदन का समय नष्ट होता है।

श्री अध्यक्ष---आपके २ मिनट और बाकी हैं आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---जो समय मेरा नियत है और जितना समय लेना मेरे लिये आवश्यक है मैं उतना ही समय लेना चाहता हूं तो इस तरह से क्यों प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर के व्यर्थ में मेरा समय खराब किया जाता है। यह मुझे आपत्ति है। मैं समय बिलकुल नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष---अब आपका एक ही मिनट रह गया आप को जो कहना है वह कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मौर्य जी को जो आपत्ति हुई उसके लिये मैं फिर कहूंगा कि उनके लिये यह बार बार उचित नहीं प्रतीत होता कि.....

श्री अध्यक्ष---आप मेरी तरफ मुखातिब हो कर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैंने जो इस खंड का विरोध करना शुरू किया है उस पर मौर्य जी को रोष नहीं करना चाहिये, उनका इस कदर रोष करना उचित नहीं है, क्रोध का समय नहीं है और वह इस तरह से मेरा जो थोड़ा सा सीमित समय है वह नष्ट करते हैं।

श्रीमन्, मैं उनसे यह कहना चाहता था कि अगर किसी भी दृष्टिकोण से यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि अब उन अक्षभ्य जमींदारों को जो ढाई सौ रुपये से अधिक के मालगुजार थे उनके अधिवासियों को भी भूमिधर या सीरदार बनने का अधिकार दें। उन पर तो दैवी प्रकोप है और हिन्दू संस्कृति में अगर विश्वास है तो उनके कर्मों का फल है और अगर उसके साथ ही साथ एक ठोकर और लगाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से वह अपने इस सिद्धांत को औचित्यपूर्ण समझते हैं। अगर करना चाहें तो वह अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं और हम ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मंत्री महोदय जानते होंगे कि हमारे प्रदेश में जमींदार समुदाय ऐसा नहीं है कि जिस में सभी खराब हों। हर देश में हर समुदाय में हर जाति में यह हुआ करता है कि सब तरह के लोग होते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो बिल में बातें रखी गई हैं उन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इस में जो स्पष्टीकरण है उस में जो लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन मजदूर) की परिभाषा की गई है उसको मैं विधान सभा के सदस्यों और माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह स्पष्टीकरण यह है, इसको वह ध्यान से सुन लें और समझ लें क्योंकि वह बहुत कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मजदूरों के लिये क्या कर रही है। वह यह है कि "कोई व्यक्ति भूमिहीन कृषक मजदूर उस दशा में समझा जायगा जब कि उस के कब्जे में उस उच्चतम क्षेत्र से अधिक की भूमि न हो जो कि इस संबंध में राज्य सरकार ने सामान्यतः या किसी क्षेत्र विशेष के लिये निर्धारित किया हो।" यह भूमिहीन कृषक की परिभाषा की गई है। मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट में अधिकतर जमीन कम से कम ३० एकड़ और अधिक से अधिक बुन्देलखंड में ५८ एकड़ रखी है तो माननीय मंत्री जी भूमिहीन मजदूरों को उसी में लेना चाहते हैं कि ३० एकड़ से कम होगी तो यह परिभाषा उस में आ जायगी। अध्यक्ष महोदय, यू० पी० लैंड रिफार्म्स रूल्स में पेज ५२ पर जो परिभाषा है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ११५-ए लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबरर .....

श्री अध्यक्ष (राजस्व मंत्री से)---क्या यह ५८ एकड़ बुंदेलखंड में जो है यह ३० एकड़ से संबंधित है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अभी भूमिहीनों के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं हुई है। उसे करना है।

श्री अध्यक्ष---जब यह निर्धारित नहीं हुई है तब (श्री जोरावर वर्मा से) आपका संशोधन असंगत है क्योंकि अभी सीमा निर्धारित होने वाली है।

श्री जोरावर वर्मा---अगर आपकी आज्ञा हो तो १५८ धारा पढ़कर सुना दूं उसमें पहले से सवा ६ एकड़ से कम के लिये पहले से प्रविजन है कि गांव सभा पट्टा दे सकती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---आप ओरीजिनल ऐक्ट से पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट से नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप इस बात को मान लें कि वह निर्धारित नहीं हुई है इसलिये अब उस सम्बन्ध में भाषण देने की आवश्यकता नहीं है

(एक क्षण के अनंतर)

(राजस्व मंत्री से) आप कोई संशोधन उस स्पष्टीकरण में ला रहे हैं?

श्री चरण सिंह---स्पष्टीकरण जैसा है वैसा ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष---आप संशोधन नहीं लाना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं अब जैसा संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी का है लिये लेता हूं।

(एक क्षण के अनन्तर।)

प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (१) के भाग (ख) में प्रस्तावित खंड (२-क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन।

२६---मूल अधिनियम की धारा २०२ में:

(१) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(ख) कि वह धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (छ) तथा (झ) में अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) में अथवा धारा १३३ के खंड (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुक्रम से (year to year) है या ऐसी अवधि के लिये थी जो बीत गयी है या प्रचलित वित्तीय वर्ष (financial year) के अन्त के पूर्व बीत जायगी।"

(२) खंड (च) में शब्द और संख्या "धारा २१" और शब्द "के खंड (ञ)" के बीच में शब्द "की उपधारा (१)" रख दिये जायं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय [आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि---

खंड २६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(ख) कि वह---

(१) धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग) (ङ) (छ) या (झ) में अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) में अथवा धारा १३३ के खंड (ग), या (घ) में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग का है, अथवा

(२) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के अधीन असामी के अधिकार उपार्जित (acquired) कर चुका है,

और यह कि उसके पास भूमि वर्षानुवर्षक्रम से (from year to year) है या ऐसी अवधि के लिये थी जो बीत गयी है या प्रचलित कृषि वर्ष "(Agricultural year) के अन्त के पूर्व बीत जायगी, और"]

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुझे स्वीकार है।

[ ] यह भाग श्री अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार सदन में पढ़ा नहीं गया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मुझे एक बात निवेदन करनी थी। आपने साढ़े ६ बजे तक का समय रखा है उसके बाद गिलोटीन होगा। तो अगर आप इस तरह से बराबर सब पर राय लेना शुरू कर देंगे ५४ तक तो हमारे अमेंडट्स रह जायंगे।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। इस २६ वें खंड पर राय ले लूं। उसके बाद आप अपने संशोधन पेश कर लें।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(ख) कि वह---

(१) धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (छ) या (झ) में अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) में अथवा धारा १३३ के खंड (ग), या (घ) में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग का है, अथवा

(२) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के अधीन असामी के अधिकार उपार्जित (acquired) कर चुका है, और यह कि उसके पास भूमि वर्षानुवर्षक्रम से (from year to year) है या ऐसी अवधि के लिये थी जो बीत गई है या प्रचलित कृषि वर्ष (Agricultural year) के अन्त के पूर्व बीत जायगी, और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---[मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के उपखंड (२) में "के खंड (ञ)" के स्थान पर शब्द "के खंड (ज)" रख दिये जायं।]

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) में शब्द "के खंड (ञ)" के स्थान पर शब्द "के खंड (ज)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४

५४---बनारस स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में परिभाषित बनारस स्टेट में जहां तक मूल अधिनियम की प्रवृत्ति का संबंध है, इसकी धारायें १६ और २० में संख्या '१३५६' जहां कहीं भी आई हो, उसके स्थान पर संख्या '१३५७' रख दी जाय और इसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह सदैव से रखी हुई थी।

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १६ और २० का जहां तक उनकी बनारस में प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधन।

[ ] यह भाग श्री अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार सदन में पढ़ा नहीं गया था।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:

"बनारस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में परिभाषित बनारस स्टेट में यथा प्रवृत्त (in its application to Banaras State) मूल अधिनियम की धारा २० के स्पष्टीकरण १ में शब्द "के बाद" तथा शब्द "भूमि से" के बीच में शब्द "किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा से भिन्न किसी अन्य प्रकार से" रख दिये जायं और उसी स्पष्टीकरण में आगे आये हुये शब्द "किसी आज्ञा या डिग्री में किसी बात के रहते हुये भी" निकाल दिये जायं और उक्त शब्द सदैव क्रमशः रखे गये और निकाले गये समझे जायंगे"।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो है वह बनारस स्टेट के संबंध में है। वहां पहले सन् ५६ के बजाय सन् ५७ में शिकमी का अधिकार दिया गया था। उससे यह हो गया कि वहां बहुत से काश्तकार बेदखल कर दिये गये। इस संबंध में बहुत सी शिकायतें आईं। अस्तु इसके बारे में यह संशोधन लाया गया है कि वहां भी सन् ५६ में ही अधिवासी अधिकार देकर बेदखली रोकी जाय। आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो आपके सामने आया है मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। सन् १९४९ में १५ अक्टूबर को बनारस स्टेट का विलयन इस प्रांत में हुआ। उस समय बनारस स्टेट का एक अलग अधिनियम था। जिसके अनुसार फिक्स्ड रेट टेनेंट और आक्यूपेंसी टेनेंट अपनी होल्डिंग बेच सकता था और रेहन कर सकता था। १९४९ के बाद भी १३५९ फ० फ० तक मैं निवेदन करूंगा कि बनारस स्टेट की टेनेंसी वहां पर जारी रही। १३६१ में इस जुलाई को पूर्णतः बनारस स्टेट में जमींदारी अधिनियम लागू हुआ है। इसलिये १३५६ से इस लैंड रिफार्म संशोधन को वहां लागू करना वहां की जनता के साथ बहुत ज्यादती करना है। १३५६ फ० में जैसा मैं ने निवेदन किया संयुक्त प्रांत की हुकूमत वहां नहीं थी। वहां की विपरीत टेनेंसी थी जिसके अनुसार। सब काम होता था और बेदखली वहां १३५९ तक बराबर होती रही है उस ऐक्ट के अनुसार तो ऐसी सूरत में बजाय १३५७ के फिर १३५६ रख रहे हैं, यह अनुचित सा मालूम होता है। बनारस जिला कांग्रेस कमेटी ने यह अनुरोध किया था कि बजाय १३५६ के १३५९ बनारस स्टेट के लिये रखा जाय। और एक डेप्यूटेशन मुख्य मंत्री से इस सिलसिले में यहां आया था मिलने के लिये और हमको आश्वासन दिया गया था कि जब से उत्तर प्रदेश की हुकूमत बनारस स्टेट में हुई है अधिक से अधिक वही समय रखा जायगा उससे पहले का समय नहीं रखा जायगा। अध्यक्ष महोदय, १९५१ में जमींदारी विनाश बिल पास हुआ और इस प्रांत में लागू हुआ। उससे तीन वर्ष का पीरियड इस प्रांत के लिये रखा गया। मगर मैं देखता हूं कि बनारस स्टेट में जहां यह कानून अब लागू हुआ है वहां के लिये १३५६ फसली नियत करना वहां की जनता के साथ अन्याय करना है। बहुत सी आराजी जो शिकमी आसामियों के पास थी वह बिक चुकी है, रेहन हो चुकी है। कई तरह से उसकी अदला बदली हो चुकी है। अब उसकी जिम्मेदारी किसी लैंड होल्डर पर रखना ज्यादती होगी। मान लीजिये क्षेत्रपति ने १३५६ फ० में किसी शिकमी के पास जमीन दे दी थी बेनाम कर दी, दूसरे का कब्जा हो गया अब १३५६ में जिसका इंदराज है वह कहेगा कि जमीन दीजिये तो वह जो मेन लैंड होल्डर है वह कहां से जमीन देगा? इसलिये १३५७ से पहले का समय रखना किसी प्रकार भी न्यायसंगत न होगा। बल्कि इससे दो वर्ष बाद का रखना ही उचित होगा।

अतः श्रीमन्, श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के साथ-साथ मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५४ की पंक्ति ३ में अंक "१३५७" के स्थान पर "१३५९" बना दिया जाय।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसमें दो संशोधन आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप दोनों पर भाषण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बड़ा कम्पलीकेटेड हो गया। जरा आप भी अपने सामने रख लीजिये। मैं तारीफ तो करूंगा बुद्धि की। ऐसा घुमा करके ऐसी भाषा लिखी हुई है जिससे की लोग समझ न सके कि १३५६ का झगड़ा क्या है, १३५७ का झगड़ा क्या है, १३५९ का झगड़ा क्या है और सारा मामला चला जाय बिग लैंड लार्ड के पक्ष में और जो संशोधन आ रहा है उसको देखा जाय। यह कहा गया है कि विधेयक के खंड ५४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया---

"बनारस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में परिभाषित बनारस स्टेट में यथा प्रवृत (in its application to Banaras State) मूल अधिनियम की धारा २० के स्पष्टीकरण"

श्रीमन्, अधिनियम निकाल दीजिये। मूल अधिनियम की धारा २० के स्पष्टीकरण १ में शब्द "के वाद" तथा शब्द भूमि से। यही इसमें बुद्धिमत्ता है। पहले भूमि से होना चाहिये था। आधे घंटे के पढ़ने बाद मैं समझ पाया हूं। यह २० धारा के स्पष्टीकरण भूमि से, तीसरी लाइन में आता है और इसके बाद ३० जून, १९४८ तक। संशोधन का लुब्बेलुबाब यही है कि ३० जून, १९४८ निकाल दिया जाय। इतना ही उनका संशोधन है लेकिन भूमि का बहुत बड़ी है। अगर संशोधन फिट कर दिया जाय तो भाषा इस तरह से हो जाती है कि "खंड-ग के उपखंड (१) में अभिदिष्ट ऐसे व्यक्ति के विषय में जो उक्त भूमि से किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा से भिन्न किसी अन्य प्रकार से निकाल दिया गया हो, यह समझ लिया जायगा कि वह उक्त भूमि पर काबिज रहने का अधिकारी था।"

पहले जो हमारे लिये स्कीम थी उनके हक की गारंटी कैसे की गई थी। श्रीमन्, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी आज्ञा या डिग्री में किसी वाद के रहते हुये भी खंड-ग के उपखंड (१) में अभिदिष्ट ऐसे व्यक्ति के विषय में जो उक्त भूमि से ३० जून, १९४८ के बाद निकाल दिया गया हो, यह समझ लिया जायगा कि वह उक्त भूमि पर काबिज रहने का अधिकारी था। श्रीमन्, १३५६ फसली में जिसका नाम औकूपेंट के खाते में इंदराज है, अगर डिग्री भी है अदालत की और वह बेदखल कर दिया गया है तो पुराने कानून में उसको यह हक मिला हुआ था कि वह अपना कब्जा वापस ले सकता है। अब जो माननीय शर्मा जी का जो सुन्दर शब्दों में संशोधन आया है, उसमें ५६, ५७ और ५९ का झगड़ा भी छोड़ दिया है और अब वह यह कहता है कि किसी आज्ञा या डिग्री में किसी वाद के रहते हुये भी निकाल दिया जाय यानी अगर औकूपेंट के खाते से न्यायालय की किसी आज्ञा या डिग्री से वह बेदखल हो गया है और उसका नाम औकूपेंट के खाते में इन्दराज भी है तो भी माननीय शर्मा जी के संशोधन के अनुसार वह अपने खाते के पाने का अधिकारी नहीं रह जायगा।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मैं अपनी जगह पर साफ हूं। माननीय शर्मा जी के संशोधन के अनुसार जो पहले के कानून के अन्दर किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा में किसी वाद के रहते हुये भी अगर उसके नाम का इंदराज औकूपेंट के खाते में था तो वह खाता पाने का अधिकारी माना गया था, लेकिन अब शर्मा जी कहते हैं, पहले बनारस स्टेट काशी नरेश के आधिपत्य में थी और अब अपने यहां आई है तो वह चाहते हैं कि उसे दोहरा चूसा जाय, यह उनके संशोधन का लुब्बेलुबाब है। शर्मा जी कहते हैं कि दूसरी जगह अगर कोर्ट की डिग्री है और वह बेदखल हो गया है और उसके नाम का इन्दराज है तो वह अपना खाता पाने का हकदार है, लेकिन बनारस स्टेट में अगर वह दूसरे तरीके से बेदखल हो गया है तब तो हकदार है लेकिन किसी न्यायालय की आज्ञा या डिग्री में बेदखल हुआ है तो वह अपना हक नहीं पायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, वह बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर करते हैं। अभी बोलना शुरू किया है वह कहेंगे कि हमारा क्रांतिकारी संशोधन है। मैं सीधी सादी बात रख रहा हूं इसमें कौन सी क्रांति की बात है। चाहे राजनारायण हों, चाहे बेचनराम गुप्त हों और चाहे मिश्र जी हों, चाहे किसान की अदालत में डिग्री हो चुकी हो लेकिन जिस तरह से आज किसान बेदखल किये जा रहे हैं, श्रीमन्, हमें उसका अनुभव है, हम भुक्तभोगी हैं, आज सारे किसानों में कोलाहल मचा हुआ है और हमें खेद है कि हमारे हक के विरुद्ध कोर्ट, न्यायालय फैसला दे रहे हैं। अब श्रीमन्, अगर हमने या श्री बेचनराम गुप्त ने या श्री श्यामधर मिश्र, एम० पी० ने जो सौ एकड़, दो सौ एकड़ के मालिक हैं...

श्री अध्यक्ष---श्यामधर मिश्र यहां मौजूद नहीं हैं। उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक डेपुटेशन भी मिला था सरकार से। अभी गुप्ता जी ने बताया कि श्यामधर जी उसमें आये हुए थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अब मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो डेपुटेशन सरकार से मिला था और जिस डेपुटेशन ने १३५६ फसली का विरोध किया सरकार से और सरकार ने जिस डेपुटेशन को आश्वासन दिया था, वह डेपुटेशन किसका था? वह डेपुटेशन किसानों का नहीं था, उन लाखों गरीबों का नहीं था, खेत जोतने वालों का नहीं था, बल्कि वहां के जो उच्च लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं, जो गरीबों को खेत से बेदखल करने वाले हैं और एक न एक प्रकार से कोर्ट या किसी झगड़े में उनको फंसा कर गरीबों को हलाल करने वाले हैं उनका डेपुटेशन था और सरकार ने उसको आश्वासन दे दिया। हमको माननीय गुप्ता जी ने अभी बताया। हमको तो मालूम ही नहीं कि उनको आश्वासन दे दिया। इसलिये, श्रीमन्, मैं तो जोरदार शब्दों में बनारस स्टेट के किसान, जो इतने दिनों तक दोहरी चक्की में पीसे गये थे, उनके हक की हिफाजत के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी उनके साथ सौतेली मां का ट्रीटमेंट क्यों होता है? अब भी उनको दूसरा क्यों मानते हैं? अब भी, जब कि अपने प्रान्त के दूसरे जिलों में १३५६ में जिनका इन्दराज था और जो अपने हक रखते थे वह बनारस के किसानों को क्यों नहीं दिये जाते। अगर उनको वह हकूक नहीं दिये जाते, अगर १३५६ उनके लिए लागू नहीं किया जाता है तो वह अपने हक को पाने के अधिकारी हैं, चाहे डिग्री हुई हो या जिस तरह से उसका खेत बेदखल हुआ हो। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि गरीब किसान अपने...

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर। इस समय माननीय राजस्व मंत्री और मौर्य जी दोनों नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---वह इस समय कुछ विचार कर रहे हैं। मंगला प्रसाद जी, उनके प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मंगला प्रसाद जी तो हमारी बात को सुनते भी हैं। कुछ पता नहीं जब राजस्व मंत्री आ जायं तो उनको जो अधिकार सौंपे गये हैं वह उनको रहेगा या नहीं। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि यह सरकार १३५६ को हटाकर अब १३५७ रखती है और बेचनराम जी ने उसे १३५९ कर दिया है और राजकुमार शर्मा जी, जो रईस आजम हैं उन्होंने बड़े भारी सुन्दर शब्दों में रख दिया है कि "किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा या किसी दूसरे प्रकार से" वहां वालों के लिए होगा। आप खुद जानते होंगे वहां के न्यायालय की क्या हालत है। मुझे पक्की खबरें हैं कि

किस प्रकार वहां के गरीब किसानों का गला घोटा जा रहा है और इनमें से किसी संशोधन को मानने से जो उनकी तकलीफों में और वृद्धि हो जायगी और माननीय राजस्व मंत्री का वह सपना कि किसान सीना फुला कर चलेगा और सुख का जीवन व्यतीत करेगा वह कभी भी सफल नहीं होगा, यदि सरकार का १३५७ वाला या बेचनराम जी गुप्ता का संशोधन मान लिया जाता है और शर्मा जी से तो खैर कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि १३५६ के आगे की तिथि न बढ़ाइये। बनारस स्टेट के किसानों के हित के लिये, गरीबों के लिए, न्याय और जस्टिस के लिए आज हमारी मांग है कि बनारस स्टेट को किसी दूसरी व्यवस्था पर न चलाया जाय, वहां के लोगों के लिए कोई दूसरे हकूक न दिये जायं, वहां के जो सत्ताधारी हैं, जो भूमिपति हैं उनके हक में यह विधेयक जा रहा है और बहुत ही चालाकी के साथ सरमायेदारों की हिफाजत करने के लिये १३५६ की जगह १३५७ का मस्विदा स्वयं सरकार तैयार कर रही है और अगर उसके बाद भी १३५९ होता है या शर्मा जी का संशोधन माना जाता है तो वहां के किसानों पर दोहरी, तिहरी और चौहरी छुरी चलेगी, श्रीमन्।

इसलिए सदन का यह फर्ज है कि सदन अगर जल्दी में हो तो इस धारा को रोक दे, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करे कि माननीय राजस्व मंत्री जी खुद इस धारा को वापस लें। १३५६ से १३५७ करने में ५७ हजार किसान बेदखल हो जायंगे और कितने किसानों की बेदखली खोल देना हमारे लिये शोभा की बात नहीं है, यह हमारे लिए लज्जा की बात है इसलिये इसका विरोध होना चाहिए।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल श्री राजनारायण जी की भावनाओं की कद्र करते हुये माननीय शर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। यह अच्छा होता, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है मैं यह चाहता हूं कि इसमें से आर्डर और डिक्री भी निकाल दिया जाय। यह सत्य है कि बनारस स्टेट के अन्दर मर्जर के पहले और उसके बाद थोड़े दिनों तक काश्तकारों को जबर्दस्ती खेतों से या टुकड़ों से अलग किया गया और यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि किसान की स्थिति इस प्रान्त के हर हिस्से में एक ही है और मैं भी स्वयं यह समझ नहीं पाया कि क्यों एक हिस्से में कोई एक खास बात लागू की जाय, जब सारे प्रान्त के अन्दर १३५६ का ही हिसाब लागू हुआ है कि १३५६ में जिनका कब्जा हो उन काश्तकारों को वह भूमि वापस दिला दी जाय। मैं आपके द्वारा सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि प्रान्त के और हिस्सों में काफी दिनों से जिन जमीनों के मुकदमे लड़े गये और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू तक किसी एक के हक में फैसला हुआ हो तो फैसला हो जाने के बाद भी १३५६ में जिनका नाम दर्ज था उन्होंने दरख्वास्तें दी और उनको जमीनें वापस दिला दी गयीं। बावजूद इसके कि कई कचहरियों की डिक्रियां दूसरे पक्ष के हक में थी तो जब यह सहूलियत प्रान्त के और हिस्सों में काश्तकारों को दी जा रही है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बनारस के काश्तकारों को उससे वंचित न रखा जाय। उन्हें भी कुछ उचित अधिकार हैं कि जिस तरह से प्रान्त के और जिलों के काश्तकारों को सहूलियत दी जा रही है वह उन्हें भी दी जाय। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, राज्यों के इतिहास से हम सब परिचित हैं। उनके अन्दर काश्तकारों को वह भी अधिकार नहीं थे जो कि अंग्रेजों के शासन काल में देश के अन्य भागों में थे। तो मर्जर के पहले और मर्जर के बाद तब आंकड़े देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काफी काश्तकार अपनी जमीनों से हटाये गये। ७५ हजार एक साल के अन्दर हुआ फिर ५९ हजार हुये। यह एक बड़ा भारी फर्क हो जाता है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इस बात के लिये तैयार हों तो इस बात को भी हटा कर जो राय माननीय शर्मा जी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

संशोधन में है कि डिक्री और आर्डर को भी हटा दें क्योंकि यह बात प्रान्त के और जिलों में हुई है, उसे मान लें। मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या खास बात है बनारस स्टेट के अन्दर कि जो चीजें हमने प्रान्त के और हिस्सों में लागू की हैं वे वहां क्यों नहीं लागू करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस चीज को मान लें और माननीय राजनारायण जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो शर्मा जी का संशोधन है वह सब बातें उनकी पूरी करता है अगर वह उस एक्सप्लेनेशन और क्लाज को मिला दें बजुज इसके कि उसमें "कचेहरियों के मामले" बस इतना अन्तर पड़ता है और कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री राजनारायण---और आर्डर और डिक्री?

श्री रामनरेश शुक्ल---और हां, वह आर्डर और डिक्री। तो बाकी सब माननीय राजनारायण जी की बातों को यह संशोधन पूरा करता है और यह एक भारी कदम है तो इसे मान लेना चाहिये विरोधी दल को भी। लेकिन जहां तक ५८ या ५९ का सम्बन्ध है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भयंकर भूल होगी हमारी, यदि हम इस बात से सहमत हों कि ५७ से ५८ या ५९ किया जाय।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट माननीय राजकुमार जी ने पेश किया है इसकी बाबत मैं द्विविधा में था। मतलब यह है कि जो दलीलें माननीय रामनरेश जी ने भी दी हैं या राजकुमार जी के संशोधन के पीछे दलीलें हो सकती हैं उनमें कुछ बल है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन बैलेंस आफ लाजिक ऐंड रीजन यानी दलीलें जो हैं जैसा कि संशोधन विधेयक में है कि ५६ के बजाय ५७ रहे, उसके हक में मालूम होती हैं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि माननीय राजनारायण जी को मेरी दलीलें न जंचे। लेकिन कम से कम मेरा हक यह तो है ही कि बिना हंसे हुए वह सुनने की कोशिश करें। बनारस स्टेट हमारे यहां नवम्बर, १९४९ में मर्ज हुई अर्थात् १३५७ फ० को पांच महीने के बीत जाने के बाद १९४९ की पहली जुलाई को १३५७ फ० शुरू हुई और हमने वहां बेदखलियां दिसम्बर, १९४९ को बन्द कर दीं। तो मतलब यह हुआ कि ५७ फ० में हमारे यहां स्टेट के आने के छः महीने बाद बेदखलियां बन्द कीं, इसलिये ५६ के बजाय ५७ करने जा रहे हैं ताकि जब बेदखलियां बन्द कीं उस रोज जो लोग उस पर काबिज थे, अगर वह जबर्दस्ती बेदखल कर दिये गये हैं, निकाल दिये गये हैं, फुसला कर, बहका कर, डंडे के जोर से, वह अपनी जमीन का कब्जा पा सकें। ५६ के करने से यह दिक्कत हो जायगी कि ५६ में बेदखलियां खुली हुई थीं बनारस में। हमने जो ५६ रखा है रेस्ट आफ दि स्टेट में उसका कारण यह है कि वहां वे उस वक्त बन्द थीं। तो अगर जब बेदखलियां बन्द थीं, उस वक्त भी लोगों ने बेदखल किया, अगर उनसे जमीन वापस लेकर उनके शिकमियों को दे दी जाय तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खिलाफ कानून किया। लेकिन यहां ५६ में बनारस स्टेट में बेदखली खुली थी। इसलिए अगर यहां जमीन बेदखल हुई तो कायदा कानून के मुताबिक बेदखल हुई या रजामन्दी से बेदखल कर लिया क्योंकि उसकी इजाजत थी। तो इसलिए ५६ के बजाय ५७ सेलेक्ट कमेटी ने मंजूर कर लिया कि जिस नोटीफिकेशन में जिसके जरिये जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनारस स्टेट में जारी किया गया है उसमें ५६ के बजाय ५७ सेक्शन २० और १६ में कर दिया जाय। बनारस स्टेट में कुल अधिवासियों की संख्या ७६ हजार एकड़ पर काबिज थी। अधिवासियों की कितनी संख्या थी यह आंकड़े नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह---१ लाख ४० हजार।

श्री चरणसिंह---हो सकता है जब कि एक-एक, आध-आध एकड़ जमीन है। ५७ में ७५ हजार एकड़ जमीन रह गयी अर्थात् ११ हजार एकड़ से लोग बेदखल हुए। इस ७५ हजार एकड़ से जो बेदखल हुए हैं वह तो अपनी जमीन पर कब्जा पा सकेंगे।

मगर जो ११ हजार एकड़ से बेदखल हुए हैं वह नहीं पा सकेंगे। अब माननीय राजकुमार जी का संशोधन यह है कि इन ११ हजार में से जिनकी अदालत से बेदखली हुई वह तो कब्जा न पा सकें और वैसे बेदखल हुए हैं वह कब्जा पा सकें। तो उनकी बात में यह माकूलियत थी अगर बेदखली कराई थी जो अदालत के जरिये हुई है तो उस पर वह कब्जा पा सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब किसान यह देखे कि बेदखली अदालत के जरिये लैंड होल्डर करा सकता है तो रजामन्दी से छोड़ दे। जहां १३५६ में बेदखली थी वहां रजामन्दी का सवाल नहीं उठता, किसान जायगा कहां और खायेगा क्या? लेकिन जहां अदालत से बेदखली कराई जा सकती है, टेनेन्ट एट विल हो, उसको कोई राइट नहीं होता, वहां ऐसा हो सकता है कि रजामन्दी से कुछ रुपया ले देकर स्तीफा दे दिया हो और उन्होंने जमींन मुन्तकिल कर दी हो। इसलिये बहुत से काम्पलिकेशंस हो सकते हैं। ११ हजार में से कई हजार अदालत के जरिये बेदखली हुई होगी और यह संशोधन उसको नहीं छूता और उल्टे पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। इसलिये बहुत गौर करने के बाद मैं समझता हूं कि जैसा संशोधन विधेयक है वैसी ही यह धारा ५४ रहे और माननीय राजकुमार जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्व मंत्री ने सिलेक्ट कमेटी का जो जिक्र किया, मैं भी वहां निरुत्तर हो गया था उनकी दलीलों से, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसी बातें मिली हैं जिनको मैं समझता हूं वह सुन लें और उसके बाद मुमकिन है वह संशोधन के पक्ष में हो जायं। यह मेरे पास "काशीराज्य कांग्रेस का इतिहास" नामक पुस्तक है...

श्री बेचनराम गुप्त—प्वाइंट आफ आर्डर। क्या माननीय मंत्री के आखिरी जवाब के बाद भी माननीय गेंदा सिंह बोल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह अमेंडमेंट का अमेंडमेंट नहीं है। यह तो खंड में अमेंडमेंट है।

श्री गेंदासिंह—इस पुस्तक को राजस्व मंत्री देख लें। कोई दलील इस तर्क के पक्ष में नहीं है कि जिस वक्त रियासत विलीन हुई उसके पहले से कैसे वहां के किसानों को हक दे दिया। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसा कोई कानून जारी करने का राज्य सरकार को हक नहीं था जो यहां के काश्तकारी कानून से भिन्न रहा हो और अगर ऐसा था तो वह गलत था।

मैं अध्यक्ष महोदय, इतना पढ़ देना चाहता हूं। १९में सन् १९११ में संधि हुई। "संयुक्त प्रान्त में चालू कानून के अनुसार ही शासन करना होगा" २३ में राजाओं को अर्थ व्यवस्था, मालगुजारी एकत्र करना, कर लगाना, न्याय व्यवस्था, प्रमुख अफसरों की नियुक्ति, निष्कासन और प्रजा के साथ सम्बन्धों को स्थापित करना गवर्नर की सलाह से करनी होगी। २७ में उक्त शर्तों को राज्य के शासकों द्वारा भंग किये जाने पर गवर्नर जनरल के निर्देशानुसार प्रान्त के गवर्नर राज्य को सरकार के अधीन कर लेंगे।

मैं, नहीं समझता कि फिर कोई ऐसी बात रह जाती है जो यहां के कानून से भिन्न कानून की वहां आवश्यकता हो। मैं राजस्व मंत्री की सेवा में यह किताब पेश करता हूं। वह इस पर विचार करें और १३५६ में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। यह ११ हजार आदमियों की बेदखली का सवाल है। इस पर दूसरी दृष्टि से विचार होना चाहिये।

श्री राजकुमार शर्मा—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बेचनराम गुप्त—मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५०

विपक्ष में—८।)

खंड २७

उ० प्र० अधिनियम १, १९५४ की धारा २०९ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "भूमिधर, सीरदार, असामी, गांव सभा या कलेक्टर के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "उक्त खंड (क) में अभिदिष्ट दशाओं में सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार अथवा असामी के और उक्त खण्ड (ख) में अभिदिष्ट दशाओं में गांव सभा अथवा कलेक्टर के वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति (damages) का भी देनदार होगा" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २१२ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "कलेक्टर या" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २१२-क से २१२-ग तक का रखा जाना।

२९—मूल अधिनियम की धारा २१२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराओं २१२-क से २१२-ग तक के रूप में रख दिया जाय।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्तियों की बेदखली के संबंध में सरसरी प्रक्रिया।

२१२-क-(१) धारा २१२ के निदेशों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना धारा १२१ में उल्लिखित किसी समिति का सभापति, सदस्य या सेक्रेटरी धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति की भूमि से बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र उक्त धारा द्वारा प्रदत्त वाद के अधिकार को हटाकर न होगा किन्तु उससे अतिरिक्त होगा और उसमें नियत किये जाने वाले ब्योरे दिये जायेंगे।

(३) यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये ब्योरों से तथा प्रार्थी के सशपथ वक्तव्य (statement on oath) पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर संतुष्ट हो कि कार्यवाही करने का पर्याप्त कारण है तो वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, कलेक्टर द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने और इस बात का कारण बताने के लिये कि उसके विरुद्ध बेदखली की आज्ञा क्यों न दी जाय, आज्ञा देगा और उसमें अपने उक्त संतोष के कारण लिख देगा।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार वह व्यक्ति उपस्थित न हो अथवा उपस्थित हो किन्तु नोटिस का प्रतिवाद (contest) न करे तो कलेक्टर भूमि से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है।

(५) यदि वह व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसार उपस्थित हो और आपत्ति (objection) प्रस्तुत करे तो कलेक्टर प्रार्थी और आपत्ति करने वाले की तथा उस साक्ष्य की, जो वे प्रस्तुत करें, सुनवाई करेगा।

(६) यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् कलेक्टर को संतोष हो कि धारा २१२ में अभिदिष्ट भूमि पर वह व्यक्ति खातेदार अथवा बागदार के रूप में प्रविष्ट (admit) किया गया था अथवा मध्यवर्ती होते हुये वह ८ अगस्त, १९४६ को अथवा उसके पश्चात् भूमि पर स्वयं खेती करने लगा था अथवा भूमि पर उसने बाग लगाया था तो वह उस व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर दिये जाने पर जो नियत किया जाय, भूमि से बेदखल किये जाने की आज्ञा दे देगा।

(७) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया हो अथवा (उक्त धारा के अधीन) बेदखली की आज्ञा दी गई हो तो वह पक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा दी गयी हो, अपने अधिकार को स्थापित करने के लिये वाद निविष्ट कर सकता है, (may institute a suit) किन्तु वाद के फल को न बाधित करते हुये उपधारा (४) या (६) में दी गयी आज्ञा निर्णायक (conclusive) होगी।

२१२-ख—कोई ऐसा असामी जो— अवैध बेदखली के उपचार।

(क) अपने क्षेत्रपति अथवा कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा जो क्षेत्रपति के रूप में बेदखल करने का अधिकार रखने का दावा करता हो, या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उक्त क्षेत्रपति या अन्य व्यक्ति ने अधिवासी या असामी के रूप में या अन्य प्रकार से भूमि उठाई हो या उस पर कब्जा रखने की अनुमति दी हो,

समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों से भिन्न किसी अन्य प्रकार से ऐसी भूमि से जो उसके खाते के अन्तर्गत हो, बेदखल किया गया हो या उस पर कब्जा प्राप्त करने से रोका गया हो, उक्त प्रकार से बेदखल करने वाले या कब्जा प्राप्त करने से रोकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध—

(१) उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये, तथा

(२) अवैध बेदखली के लिये प्रतिकर के निमित्त, वाद प्रस्तुत कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब डिक्री होने के समय कोई वादी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में बेदखली के योग्य हो तो अध्यासन के लिये डिक्री नहीं दी जायगी;

(२) जब अवैध अध्यासन के उपलक्ष्य में प्रतिकर के लिए डिक्री दी जाय किन्तु कब्जे के लिये न दी जाय तो दिया जाने वाला प्रतिकर उस सारी अवधि के लिये होगा जिसमें असामी कब्जा रखने का अधिकारी था।

(३) वह असामी जिसने केवल कब्जे के लिये वाद प्रस्तुत किया हो, अवैधपूर्ण बेदखली के उपलक्ष्य में प्रतिकर के हेतु अलग वाद निविष्ट करने का अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये समय विशेष पर प्रयुक्त कोई क्षेत्र नहीं है।

क्षेत्रपति को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाना।

२१२-ग---जब कोई असामी धारा २१२-ख की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन उस किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करे, जिसे भूमि उठाई गई हो अथवा जिसे कब्जा रखने दिया गया हो, तो क्षेत्रपति अथवा वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति का क्षेत्रपति होने का दावा करता हो, प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा २१२-क की उपधारा (७) की पंक्ति १ व २ में से शब्द "कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया हो अथवा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा "२१२-ख" को "२१२-ख (१)" के रूप में परिगणित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २१५ का संशोधन।

३०---मूल अधिनियम की धारा २१५ की उपधारा (३) में शब्द "जो उक्त भूमि में लागू मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो" के स्थान पर शब्द "जो उस भूमि पर लागू मौरूसी दरों से गणना की गयी धनराशि के दुगुने से अधिक न हो" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"३०---मूल अधिनियम की धारा २१५ की उपधारा (३) में शब्द 'जो उक्त भूमि में लागू मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो' के स्थान पर शब्द 'जो उक्त भूमि पर लागू मौरूसी दरों के अनुसार आकलित धनराशि के दुगने के बराबर हो' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २१५ की उपधारा (३) में से अंक व शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत के" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६

विपक्ष में--५७ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३० की चौथी पंक्ति के शब्द 'के दुगने' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३०-क

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ३० के पश्चात् निम्न-लिखित नये खंड ३०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"३०-क--मूल अधिनियम की धारा २२२ की उपधारा (४) के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय :--

(४) यदि न्याय शुल्क (court fee) यथावत् दे दिया गया हो तो न्यायालय, धारा ३३२ के निदेशों को बाधित न करते हुए, प्रार्थना-पत्र की सुनवाई तथा उसका निर्णय करेगा मानो वह बकाया लगान की वसूली का वाद (suit) हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नया खंड ३०-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३१

३१--मूल अधिनियम की धारा २२९ में शब्द "वादी" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिया जाय। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २२९ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३२

३२--मूल अधिनियम की धारा २२९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं २२९-क से २२९-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा २२९-क से २२९-घ तक का जोड़ा जाना।

२२९-क--यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी खाते से या उसके किसी भाग से बेदखली की डिक्री या आज्ञा इस अधिनियम के या यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन निष्पादित की जा चुकी हो, उक्त खाते पर खाते पर अनधिकार प्रवेश।

इस प्रकार प्रवेश करे या प्रवेश करने का प्रयत्न करे, जो विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार न हो तो उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसने इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के अर्थ में काबिज व्यक्ति को धमकाने या परेशान करने के उद्देश्य से (with intent to intimidate or annoy the person in possession) ऐसा किया है।

'अधिकारों" के प्रख्यापन के लिये असामी द्वारा वाद।

२२९–ख—(१) कोई व्यक्ति जो एकश: अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावा करता हो, क्षेत्रपति के विरुद्ध इस प्रख्यापन के लिये कि यह असामी है अथवा इस प्रख्यापन के लिये कि वह खाते का संयुक्त असामी है, जैसी भी दशा हो, वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) इस धारा के अधीन किसी भी वाद में कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्रपति द्वारा असामी के रूप में भूमि रखने का दावा करता हो, फरीक बनाया जायगा।

आसामी का दावा रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद।

२२९–ग—किसी भी भूमि का भूमिधर अथवा सीरदार किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी भूमि का असामी होने का दावा रखता हो, उक्त व्यक्ति के अधिकारों के प्रख्यापन के लिये, वाद प्रस्तुत कर सकता है।

समादेश (Injunction) के लिये व्यवस्था।

२२९–घ—धारा २२९–क और २२९–ख के निदेशों के अधीन यदि किसी वाद के दौरान में शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्य प्रकार से निम्नलिखित बातें सिद्ध कर दी जायं तो न्यायालय अस्थायी समादेश (injunction) दे सकता है और जिस दशा में रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक हो उसमें उसे नियुक्त कर सकता है।

(क) कि किसी सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फस्ल को, जो विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी हो, बेकार जाने, नुक़सान होने अथवा वाद के किसी पक्ष द्वारा संक्रामित किये जाने का भय है, अथवा

(ख) वाद का कोई फरीक न्याय के लक्ष्य को नष्ट करने के लिये उक्त सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फस्लों को हटाने अथवा निस्तारित करने की धमकी देता है अथवा ऐसा करने का इरादा रखता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ में प्रस्तावित धारा २२९–ख की उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'यह' के स्थान पर 'वह' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ में प्रस्तावित धारा २२९–ग के आरम्भ में शब्द "किसी भी भूमि" के पहले शब्द "गांव सभा अथवा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ में प्रस्तावित धारा २२९–घ की पंक्ति १ में शब्द "२२९–क और" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ में प्रस्तावित नई धारा २२९-घ की प्रथम पंक्ति में शब्द "२२९-ख" के उपरान्त शब्द "तथा २२९-ग" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२-क

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ के पश्चात् निम्नलिखित खंड ३२-क के रूप में रख दिया जाय और वर्तमान खंड ३२-क को ३२-ख के रूप में पुनः परिगणित किया जाय :

"३२-क—मूल अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड '(छछ)' तथा '(छछछ)' के रूप में रख दिया जाय—

(छछ) धारा १८२-ख के अधीन खाते का मूल्यांकन (valuation) और प्रत्येक फरीक को प्रदिष्ट (allot) किये जाने वाले भाग को पृथक करने तथा उसके मूल्यांकन की रीति।

(छछछ) धारा १८२-ख के अन्तर्गत आपत्तियों के किये जाने तथा आपत्तियों की सुनवाई तथा निपटारे के लिये काम में लाई जाने वाली प्रक्रिया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२-ख

३२-ख—मूल अधिनियम की धारा २३१ की उपधारा (१) में शब्द "और २३७" निकाल दिये जायं तथा संख्या २३३ तथा २३४ के बीच में शब्द "और" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३१ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२-ख इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३३

३३—मूल अधिनियम की धारा २३२ में :—

(१) उप-धारा (१) में संख्या तथा शब्द "१८ मास" के स्थान पर संख्या तथा शब्द "३० मास" रख दिये जायं, और

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३२ का संशोधन।

(२) उप-धारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (५) तथा (६) के रूप में रख दिया जाय---

(५) यदि किसी व्यक्ति ने निहित होने के दिनांक के पूर्व वैध रूप से किसी भूमि पर ऐसी उन्नति की हो, जिसकी परिभाषा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में की गई है और वह ऐसी भूमि से उपधारा (१) के अधीन बेदखल कर दिया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर उप-धारा (४) के अधीन आज्ञा देते समय ऐसे व्यक्ति को ऐसी उन्नति के लिये प्रतिकर दिये जाने का आदेश देगा और प्रतिकर की धनराशि का अवधारण यथा सम्भव उस रीति से और उन सिद्धान्तों के अनुसार किया जायगा जो इस सम्बन्ध में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ५ में उल्लिखित हैं।

(६) उप-धारा (४) के अधीन दखलदिहानी की आज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ दी जायगी कि अधिवासी उपधारा (५) के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान उस अवधि के भीतर कर दे जो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा इस बारे में निश्चित की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह कि खंड ३३ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में संख्या "३०" के स्थान पर संख्या "४५" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३४

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नयी धारा २३२-क का रखा जाना।

३४---मूल अधिनियम की धारा २३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २३२-क के रूप में रख दिया जाय :---

धारा २०९ के अधीन अधिवासी का बेदखली का अधिकार।

"२३२-क---धारा २०९ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी अधिवासी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह असामी रहा हो"।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३५

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३३ का संशोधन।

३५---मूल अधिनियम की धारा २३३ में संख्या और शब्द "के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर" के स्थान पर शब्द "का दूना" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"३५---मूल अधिनियम की धारा २३३ में शब्द 'उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू मौरूसी (hereditary) दरों से लगाये गये लगान के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर होगा' के स्थान पर शब्द 'नियत रीति से अवधारित ऐसी धनराशि होगी जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू मौरूसी (hereditary) दरों से लगाये गये लगान के १३३ १/३ प्रतिशत से कम और २०० प्रतिशत से अधिक न हो' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, १०६-क तथा १०७-क दोनों आप एक साथ ले लें तो अच्छा हो, क्योंकि मैं दोनों पर डिवीजन कराना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---दोनों को मैं एक साथ नहीं ले सकता हूं। दोनों अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २३३ में से अंक व शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत के बराबर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३६

उ० प्र० अधिनियम १ १९५१ की धारा २३३ का संशोधन

३६---मूल अधिनियम की धारा २३३-क में संख्या और शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दूने" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"३६---मूल अधिनियम की धारा २३३-क में शब्द 'आदेश पर तो अवश्य, ऐसी निश्चित धनराशि के रूप में लगान का नकदी में परिवर्तन करेगा जो हिसाब लगाने पर मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द 'अनुरोध पर तो अवश्य, नियत किये जाने वाले मामलों का ध्यान रखते हुये, ऐसी निश्चित धनराशि के रूप में लगान का नकदी में परिवर्तन करेगा जो मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के १३३ १/३ प्रतिशत से कम और २०० प्रतिशत से अधिक न हो' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३६ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २३३-क में से अंक तथा शब्द "१३३ १/३ प्रतिशत के बराबर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में---६

विपक्ष में---५८।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६-क

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३४ का संशोधन।

३६-क---मूल अधिनियम की धारा २३४ में शब्द "धारा २३७ के निदेशों को बाधित न करते हुये" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३६-क विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६-ख

३६-ख---मूल अधिनियम की धारा २३४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २३४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:---

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २३४-क का बढ़या जाना।

धाराओं २१२-ख, २१२-ग और २२९-ख से २२९-घ तक का अधिवासी पर प्रवृत्त होना।

"२३४-क---धाराओं २१२-ख, २१२-ग और २२९-ख से २२९-घ तक के निदेश अधिवासी को इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह असामी हो।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३६-ख इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३५ का संशोधन।

३७---मूल अधिनियम की धारा २३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

अधिवासी द्वारा भूमिधर तथा सीरदार के अधिकारों का उपार्जन।

२३५---(१) उपधारा (७) के निदेशों को बाधित न करते हुये कोई भी अधिवासी असिस्टेंट कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसे उस भूमि का भूमिधर अथवा सीरदार प्रख्यापित करने की आज्ञा दी जाय जिसका कि वह अधिवासी हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे जो नियत किये जायं और उसके साथ निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी:

(क) जब अधिवासी का क्षेत्रपति ऐसा भूमिधर हो,

(१) जिसे अथवा जिसके पूर्वाधिकारी को संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन दिया जा चुका हो अथ

इस अधिनियम की धारा १३७ के अधीन प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो उस लगान या मालगुजारी की धनराशि का १५ गुना जिसके आधार पर उसने संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ३ के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा १३४ के अधीन जैसी भी दशा हो, रुपया जमा किया हो,

(२) जो उपखंड (१) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न हो तो लागू मौरूसी दरों के आधार पर आकलित लगान का १५ गुनी धनराशि ।

(ख) यदि अधिवासी का क्षेत्रपति सीरदार हो और अधिवासी भूमिधर या सीरदार प्रख्यापित किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे तो क्षेत्रपति द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी की क्रमशः १५ गुनी या ५ गुनी धनराशि ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब खाता दो या अधिक अधिवासियों के पास संयुक्त रूप से हो तो सारे खाते के लिये उपर्युक्त प्रकार से आकलित या भुगतान किये जाने वाले लगान या मालगुजारी का १५ गुना अथवा ५ गुना जैसी भी दशा हो ।

स्पष्टीकरण--खंड (ख) में खाते के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित समझी जायगी--

(१) जब अधिवासी का खाता सीरदार के खाते का भाग हो तो नियत रीति से विभक्त धनराशि; तथा

(२) जब सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की धनराशि से दुगनी हो तो इस प्रकार आकलित धनराशि;

(३) उपधारा (१) अथवा (२) में कोई भी बात अधिवासी को सीरदार प्रख्यापित करने का अधिकार न देगी यदि उसका क्षेत्रपति खाते का भूमिधर हो;

(४) यदि असिस्टेंट कलेक्टर को संतोष हो कि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया है तो वह प्रख्यापन करेगा;

(५) धारा १३४, १३५ तथा १३७ के निदेश, उनको छोड़कर जिनका संबंध किस्तों द्वारा जमा से है, जहां तक यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र पर लागू होंगे ;

(६) उपधारा (४) के अधीन प्रख्यापन होने पर प्रार्थी खाते का भूमिधर अथवा सीरदार, जैसी भी दशा हो, हो जायगा और उसे निम्नलिखित प्रकार से मालगुजारी देनी होगी, अर्थात्

(क) यदि क्षेत्रपति उपधारा (२) के खंड (क) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट भूमिधर हो तो क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि तथा जब वह ऐसा भूमिधर हो जिस पर उक्त खंड (क) का उपखंड (२) लागू होता हो तो उक्त उपखंड के अधीन आकलित लगान का आधा,

(ख) जब क्षेत्रपति सीरदार हो,

(१) यदि अधिवासी भूमिधर बन गया हो तो उपधारा (३) के खंड (ख) के अनुसार देय मालगुजारी का आधा, और

(२) यदि वह सीरदार बन गया हो तो उक्त खंड के अनुसार देय मालगुजारी की पूरी धनराशि :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन दशाओं में जब खाता दो या दो से अधिक अधिवासियों के संयुक्त अधिकार में हो, सभी अधिवासी भूमिधर अथवा सीरदार जैसी दशा हो, हो जायेंगे ।

(७) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके विज्ञप्ति के दिनांक से छः मास पश्चात् एक दिनांक निश्चित करेगी जिसके व्यतीत होने पर अधिवासी को उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार न रहेगा । विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न अवधि वाली विभिन्न विज्ञप्तियां जारी की जा सकती हैं;

(८) जब कोई भी अधिवासी उपधारा (७) के अधीन इस प्रयोजन के लिये निश्चित दिनांक से पूर्व उपधारा (१) तथा (२) के निदेशों के अनुसार प्रार्थना-पत्र देने में असफल रहे तो ऐसा दिनांक व्यतीत हो जाने के पश्चात् वह भूमि का अधिवासी न रहेगा और वह तत्पश्चात् उस भूमि का वर्षानुक्रम से होने वाला असामी समझा जायगा;

(९) इस धारा में कोई भी बात किसी ऐसे अधिवासी के खाते पर लागू न होगी जिस पर अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ के निदेश लागू होते हों ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ के उपखंड (२) के भाग (ख) के उपभाग (७), (८) और (९) निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधयेक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ३८

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३६ का संशोधन ।

३८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३६, धारा २३६ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२) यदि किसी अधिवासी ने धारा २३५ के निदेशों के अनुसार सीरदार के अधिकार और स्वत्व उपार्जित कर लिये हों तो राज्य सरकार क्षेत्रपति को अधिवासी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (३) के अधीन जमा की हुई कुल धनराशि दे देगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ३९

३९—मूल अधिनियम की धारा २३७ निकाल दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की, धारा २३७ का निकाला जाना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९-क विधयेक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९-क

३९-क—मूल अधिनियम की धारा २४० की उपधारा (२) के खंड (क) से (घ) तक निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १ १९५१ की धारा २४० का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३९-क विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०

४०—मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में:—

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन।

(१) खंड (क) में शब्द "उक्त दिनांक" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायं।

(२) खंड (ग) के अन्त के प्रतिबन्धात्मक खंड को खंड (क) में प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में संक्रामित किया और पढ़ा जाय, और

(३) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) के रूप में रख दिया जाय:—

(३) जब उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों के आधार पर आकलित धनराशि के दुगुने से अधिक हो तो सीरदार परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को इस प्रकार आकलित धनराशि के अनुसार मालगुजारी में कमी करने का प्रार्थना पत्र दे सकेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नय उपखंड (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(२-क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(कक) यदि वह धारा २४०-ख के अन्तर्गत सीरदार बन जाता है तो ऐसी धनराशि जो निश्चित दिनांक (appointed date) से ठीक पहिले

[श्री अध्यक्ष]

के दिनांक को उसके द्वारा देय लगान या उसके द्वारा उक्त दिनांक को देय समझे गये लगान की धनराशि के बराबर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (३) में प्रस्तावित उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(३) यदि उपधारा (१) के खंड (क) तथा (कक) के अधीन सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों के आधार पर आकलित धनराशि के दुगने से अधिक हो, तो परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः (on his own motion) और सीरदार के प्रार्थना-पत्र पर तो अवश्य, इस प्रकार आकलित धनराशि के अनुसार मालगुजारी में कमी करने (abatement) की आज्ञा देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७ का संशोधन।

४१--मूल अधिनियम की धारा २४७ में--

(१) शब्द "रहते हुये भी" और शब्द "किसी सीरदार" के बीच में शब्द "किन्तु उक्त धारा की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड को बाधित न करते हुये" रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में अन्त में बढ़ा दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह भूमि जो सीरदार को उठायी गयी हो, ऐसी भूमि रही हो जिस पर उसको कब्जा दिये जाने के दिनांक से ठीक पहले लगातार तीन वर्षों से अधिक तक खेती न की गयी हो, तो कलेक्टर भूमि के प्रकार और वर्ग का ध्यान रखते हुये यह आदेश दे सकता है कि निहित होने के दिनांक से ऐसी अवधि तक जो सात वर्षों से अधिक न हो, उक्त भूमि के लिये देय मालगुजारी क्रमिक मान (graduated scale) के अनुसार या अन्यथा ऐसी कम की हुई धनराशि होगी जिसे वह निश्चित करे।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४१ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४२-४६

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४७-क का संशोधन।

४२--मूल अधिनियम की धारा २४७-क में शब्द "के सहित" और शब्द "के संबंध में" के बीच में आये हुये शब्द "लगान" के स्थान पर शब्द "भूमि" रख दिया जाय।

४३--मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(३) इसी प्रकार राज्य सरकार असामी द्वारा गांव समाज को देय लगान किसी भी अवधि के लिये छोड़ सकती है या स्थगित (suspend) कर सकती है।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

४४--मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) के खंड (क) के पश्चात् नये खंड (कक) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(कक) धारा २४७ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन मालगुजारी के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २९४ का संशोधन।

४५--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३०५ को पुनः परिगणित करके धारा ३०५ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय--

(२) पुनः परिगणित धारा ३०५ की उपधारा (१) में शब्द "ऐसे सिद्धांतों पर" के स्थान पर शब्द "जो उपधारा (२) के अनुसार अवधारित किया जाय" रख दिये जायं, और

(३) पुनः परिगणित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(२) प्रतिकर की धनराशि, भूमिधरों की दशा में मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन की ३५ गुनी या उनके द्वारा देय मालगुजारी की ७० गुनी, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी और सीरदारों की दशा में उन्नति एवं पेड़ों के लिये ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जो प्रार्थी तथा फार्म के सदस्यों में तय हो जाय या जो उनमें मतभेद होने की दशा में कलेक्टर द्वारा निश्चत किया जाय उक्त मूल्यांकन की १५ गुनी होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी मौरूसी दरों के अनुसार मूल्यांकन से कम हो, तो भूमिधरों की दशा में मूल्यांकन तथा मालगुजारी के अन्तर के १० गुना के बराबर धनराशि और सीरदारों की दशा में ऐसे अन्तर की ५ गुनी धनराशि प्रतिकर में बढ़ा दी जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३०५ का संशोधन।

४६--मूल अधिनियम की धारा ३१४ की उपधारा (४) के अन्त में आये हुये शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३१४ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४२, ४३, ४४, ४५, और ४६ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खंड १५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब मैं यह जानना चाहता हूं कि खंड १५ अब लिया जा सकता है या नहीं क्योंकि आपने कहा था कि वह बाद में ले लिया जायगा।

श्री चरण सिंह--अब लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि स्थगित खंड १५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*१७ सितम्बर, १९५४ को कार्यवाही में छपा है।

खंड ४६-क

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ का संशोधन।

४६-क--मूल अधिनियम की धारा ३३२ की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(५) इस बात से कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का अधिवासी असामी है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि उपधार (१) के अन्तर्गत आगम का प्रश्न (question of title) उठता है।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४६-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

नयी धारा ३३२-क का बढाया जाना।

"४६-क--मूल अधिनियम की धारा ३३२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३३२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ के लागू होने के दिनांक से ही बढ़ा दिया गया समझा जायगा :

भूमि में अधिवासी या असामी के अधिकार आगम के प्रश्न नहीं।

"३३२-क यदि इस अधिनियम या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन भूमि के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही में यह प्रश्न उठाया जाय कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का अधिवासी अथवा असामी है या नहीं तो उससे यह नहीं समझा जायगा कि आगम का प्रश्न उठता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४६-क विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा ३३२-क और ३३२-ख का रखा जाना।

४७--मूल अधिनियम की धारा ३३२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३३२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

प्रक्रिया जब असामी होने की अभ्युक्ति (plea) दीवानी न्यायालय में की जाय।

३३२-क--यदि ऐसे किसी भूमि संबंधी वाद में जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के पश्चात् दीवानी न्यायालय में निविष्ट हुआ हो अथवा यदि उक्त प्रारम्भ के पूर्व निविष्ट हुआ हो और उसमें डिग्री न हो चुकी हो, यह प्रश्न उठता हो या उठाया जाय कि वाद का कोई पक्ष भूमि का अधिवासी अथवा असामी है या नहीं और ऐसा प्रश्न पहले किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त समक्ष न्यायालय द्वारा निर्णीत न हुआ हो तो दीवानी न्यायालय इस प्रश्न पर विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके कलेक्टर के पास केवल उसी विचारणीय प्रश्न के निर्णयार्थ अभिलेख भेज देगा।

स्पष्टीकरण--अधिवासी अथवा असामी होने की कोई भी ऐसी अभ्युक्ति (plea) जो स्पष्टतः अग्राह्य हो अथवा जो केवल दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्वासित करने के लिये उठाई गई हो उक्त प्रश्न को उठाने वाली न समझी जायगी।

(२) कलेक्टर, यदि आवश्यक हो तो उस विचारणीय विषय को पुनः निश्चित करने के पश्चात् केवल उसी प्रश्न को निर्णीत करेगा और तत्पश्चात् अपनी उपपत्ति (finding) के साथ अभिलेख को उस दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा जिसने उसे प्रस्तुत किया था।

(३) कलेक्टर स्वयमेव विचारणीय विषयों को निर्णीत करने के बजाय उसे सक्षम अधीनस्थ माल न्यायालय को संक्रामित कर सकता है और वह यदि आवश्यक हो तो विचाराधीन विषयों को फिर से निश्चित करके उनका निर्णय करेगा और अपनी उपपत्ति के सहित अभिलेख को कलेक्टर द्वारा दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा।

(४) दीवानी न्यायालय कलेक्टर अथवा उस अधीनस्थ माल न्यायालय की तजवीज को जिसे विचारणीय विषय अभिदिष्ट किया गया था मानते हुये वाद (suit) का निर्णय करेगा।

(५) कलेक्टर अथवा उस अधीनस्थ माल न्यायालय की उपपत्ति जिसे विचारणीय विषय अभिदिष्ट किया गया हो अपील के प्रयोजनों के लिये दीवानी न्यायालय की उपपत्ति का अंश समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ में

(१) संख्या "३३२" के स्थान पर संख्या तथा वर्ण "३३२—क" रख दिये जायं, और

(२) संख्या तथा वर्ण "३३२—क" के स्थान पर संख्या तथा वर्ण "३३२—ख" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८

४८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उ०प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ की धारा ३३७ का संशोधन।

"३३७—इस अधिनियम के किसी निदेश के अधीन निश्चित किये गये क्षेत्र की गणना करने के प्रयोजनों के निमित्त, निम्नलिखित क्षेत्रों में २ एकड़ १ एकड़ के रूप में गिना जायेगा।

(क) बुंदेलखंड,

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों के जमुनापारी भाग,

(ग) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है,

(घ) अनुसूची ६ की सूची क में उल्लिखित गांवों को छोड़कर मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी बलई पहाड़,

(ङ) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है,

(च) परगना सकटेशगढ़ और मिर्जापुर जिले के तहसील चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव, जो अनुसूची ६ की सूची 'ख' और 'ग' में उल्लिखित हैं।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४८ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३३७ के खंड (घ) में से शब्द "अनुसूची ६ की सूची क में उल्लिखित गांवों को छोड़कर" निकाल दिये जायं, तथा

खंड (च) में शब्द "सूची" 'ख' और 'ग' के स्थान पर शब्द "सूची" 'क' और 'ख' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८-क तथा ४८-ख

गांव समाज या स्थानीय अधिकारिकी द्वारा या उनके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये वादों में राज्य सरकार फरीक होगी।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३४४ का संशोधन।

४८-क---मूल अधिनियम की धारा ३४३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३४३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"३४३-क---किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी यदि राज्य सरकार ऐसा नियत करे तो वह किसी ऐसे वाद या वादों में फरीक बनायी जायगी जो धारा ११७ या ११७-क के अधीन उसमें निहित भूमि या अन्य वस्तुओं के संबंध में इस अधिनियम के अधीन गांव समाज या स्थानिक अधिकारिकी द्वारा या उनके विरुद्ध निविष्ट किये जायं।"

४८-ख---मूल अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (१) में :-

(क) खंड (घ) में शब्द "देने" और शब्द "और" के बीच में कामा रखकर शब्द "वाद प्रस्तुत करने" रख दिये जायं।

(ख) खंड (ङ) में शब्द "अधीन" और शब्द "अपील" के बीच में कामा रखकर शब्द "वाद" बढ़ा दिया जाय।

(ग) खंड (च) में शब्द "applications" और शब्द "अपीलों" के बीच में शब्द "वादों" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४८-क और खंड ४८-ख इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४९

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ में संशोधन।

४९---मूल अधिनियम की अनुसूची २ में---

(क) क्रम संख्या ६-क के सामने इन्दराज के स्तम्भ ४ में शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर" के पश्चात् शब्द "प्रथम श्रेणी" बढ़ा दिये जायं।

(कक) क्रम संख्या ११ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या ११–क पर नये इन्दराज के रूप में रख दिया जाय —

१	२	३	४	५	६
११-क	२१२-ख	भूमि पर कब्जा प्राप्त करने या अवैध रूप से बेदखल किये जाने के कारण प्रतिकर के लिये वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड

(ख) क्रम संख्या १४ के सामने इन्दराज के स्तम्भ ३ में तदैव (ditto) के चिन्ह के स्थान पर शब्द "परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं।

(खख) क्रम संख्या १६ के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या १६–क और १६–ख पर नये इन्दराजों के रूप में रख दिये जायं —

१	२	३	४	५	६
१६–क	२२९–ख	असामी द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड
१६-ख	२२९–ग	असामी होने का दावा रखने वाले व्यक्ति द्वारा अधिकारों के प्रख्यापन के लिये वाद	प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर	कमिश्नर	बोर्ड

(ग) क्रम संख्या १८ के सामने इन्दराज के स्तभ २ में से वर्ण, शब्द तथा कोष्ठक "(ख)" और "(ग)" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ के उपखंड (कक) की पंक्ति २ में अंक और वर्ण "११–क" के पश्चात् आया शब्द "पर" निकाल दिया जाय।

तथा उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द और संख्या "स्तम्भ ३" के स्थान पर शब्द और संख्या "स्तम्भ ४" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ख–१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(ख–१) क्रम संख्या १५ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित नये इन्दराज १५–क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

१	२	३	४	५	६
१५–क	२२२(४) तथा (५)	बकाया लगान की वसूली का वाद	तहसीलदार	कमिश्नर	बोर्ड

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४९ के उपखंड (खख) में संख्या तथा वर्ण "१६-क" और "१६-ख" के स्थान पर क्रमशः वर्ण तथा संख्या "क-१६" और "ख-१६" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५०

उ० प० अधिनियम १, १९५१ में अनुसूची ५ का बढ़ाया जाना।

५०---मूल अधिनियम की अनुसूची ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची ५ तथा ६ के रूप में बढ़ा दिया जाय।

अनुसूची ५

(धारा २६-ख)

इवैकुई प्रापर्टी पर प्रवृत्त होने के संबंध में अधिनियम के संशोधन---

१---यदि कोई भूमि किसी इवैकुई के पाकिस्तान को जाने के समय उसकी खुदकाश्त के रूप में अभिलिखित थी, तो अध्याय २ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि के संबंध में यह समझा जायगा कि वह निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसी इवैकुई की खुदकाश्त थी, यद्यपि वह इवैकुई उस भूमि पर बाद में निरन्तर खेती न भी करता रहा हो।

२---(१) ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि के संबंध में जो इवैकुई प्रापर्टी हो, धारा १६ के अधीन मौरूसी काश्तकार समझा गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को निम्नलिखित धनराशि देगा---

(क) यदि वह उक्त प्रारम्भ से पूर्व उक्त भूमि का भूमिधर बन गया हो, तो ऐसी भूमि के उक्त धारा के अनुसार अवधारित लगान के पांच गुना के बराबर धनराशि, और

(ख) यदि वह भूमिधर न बना हो, तो इस प्रकार अवधारित लगान के १५ गुना के बराबर धनराशि।

(२) उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा संबद्ध इवैकुई के लेखे (account) में जमा की जायगी [और उसकी सम्पत्ति का भाग समझी जायगी।]

(३) यदि उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति उपर्युक्त धनराशि उस अवधि के भीतर जिसकी इस संबंध में अनुमति दी गयी हो, न दे तो उस भूमि में जिसका वह ऐसा मौरूसी काश्तकार समझा गया था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के संबंध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानों धारा १६ का विधान कभी नहीं किया गया था।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा १६ के अधीन किसी भूमि के केवल एक अंश (share) का ही मौरूसी काश्तकार समझा गया हो तो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) तथा (३) में आये हुए भूमि के अभिदेशों (references) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे भाग के ही संबंध में अभिदेश हैं।

(५) ऐसी धनराशियां जो उप-परिच्छेद (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति धारा १३४ के अधीन या संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ के अधीन भूमि में भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के लिये पहले ही दी गयी हों या जो इसके पश्चात् दी जायं, राज्य सरकार द्वारा, अधिक से अधिक लगान के दस गुने तक, कस्टोडियन को दे दी जायंगी और उनके संबंध में उप-परिच्छेद (sub-para) (२) के निदेश लागू होंगे।

३—यदि कस्टोडियन ने एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के अधीन या उसके अनुसार किसी ऐसी भूमि को जो इवैकुई प्रापर्टी हो, पट्टे पर उठाया हो तो पट्टों, उनके निरसन और बेदखली से सम्बद्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के निदेश इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उनके संबंध में सप्रभाव होंगे।

४—(१) ऐसा व्यक्ति जो धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी ऐसी भूमि का जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन गया हो, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर कस्टोडियन को ऐसी धनराशि देगा जो ऐसी भूमि के लिये उसके द्वारा देय लगान के २० गुना के बराबर हो।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गयी धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई के लेखे में जमा की जायगी।

(३) यदि वह व्यक्ति, जो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) के अधीन धनराशि का देनदार हो, उस अवधि के भीतर जिसकी इस संबंध में अनुमति दी गई हो, उसे न दे तो उस भूमि में जिसका वह अधिवासी था, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के संबंध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानो धारा २० को खंड (ख) का कभी विधान ही नहीं किया गया हो।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा २० के खंड (ख) के अधीन किसी भूमि के केवल अंश (share) का ही अधिवासी हुआ हो तो उप-परिच्छेद (sub-para) (१) और (३) में आये हुए भूमि के अभिदेशों (references) का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे केवल ऐसे अंश के ही संबंध में अभिदेश हैं।

(५) यदि कोई व्यक्ति धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन ऐसी भूमि का, जो इवैकुई प्रापर्टी हो, अधिवासी बन जाय तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी कस्टोडियन द्वारा उसी प्रकार और उसी हद तक बेदखल किया जा सकेगा जैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसने कस्टोडियन से भूमि पट्टे पर ली हो और बेदखली से सम्बद्ध ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के सब निदेश उसको उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे।

५—यदि किसी इवैकुई भूमि (evacuee land) के संबंध में यह प्रश्न उठे कि उस भूमि का अध्यासी व्यक्ति धारा १६ तथा १९ के अधीन सीरदार है या नहीं अथवा धारा २० के अधीन उसका अधिवासी है या नहीं तो ऐसा प्रश्न इवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन द्वारा निर्णीत किया जायगा न कि अन्य किसी न्यायालय अथवा आधिकारिकी द्वारा और कस्टोडियन का निर्णय एड-मिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० में उल्लिखित अपील, पुनर्विचार तथा पुनरीक्षण के निदेशों के अधीन निश्चायक (conclusive) होगा ।

अनुसूची ६

(धारा ३३७)

सूची "क"

जिला मिर्जापुर की तहसील सदर के 'टप्पा चौरसी' और 'बालाई पहाड़' के गांवों की सूची:—

१—मरिहान
२—अतरौरा
३—भदौहा
४—तिसाही
५—जमुई
६—बसाही
७—सोभी
८—मरचा
९—परसोना
१०—चुनियारा
११—लरखुटिया
१२—चौबेपुर
१३—मोहम्मदपुर
१४—बभनी थपनवा
१५—पटेहरा खुर्द
१६—रजौन्हां
१७—हिनौता
१८—सुगापंख खुर्द
१९—सुगापंख कलां
२०—गंगापुर
२१—पाटेवार
२२—डियोढ़ी कलां
२३—बघैला
२४—हसरा
२५—खचाहा

२६—हरिहरा
२७—पाटेहरा कलां (कुबरी पाटेहरा)
२८—ककरध
२९—खरतारा

सूची "ख"

परगना अहरौरा के गांवों की सूची:—

१—अमडीह
२—बघौर
३—बघरी
४—बनतारा
५—वाट
६—भवानीपूर
७—ढोत्तवा
८—गौरही
९—खमहरिया
१०—खांनरजमपुर
११—कुतलूपुर
१२—लोहरा
१३—मद्धूपुर
१४—मझूई
१५—मुबारकपुर
१६—नगनारहरैया
१७—पराही
१८—पुकरूत
१९—तकिया

सूची "ग"

परगना भागवत के गांवों की सूची:—

१—अनइमलिया
२—जरगालमहाल
३—सेमरा गढ़ी
४—खटखरिवा
५—खेराडीह
६—तालर
७—चितबिसराम
८—पदरवा
९—हिनौटा
१०—निविया
११—रामपुर गढ़ी
१२—सोनबरसा
१३—विसनपुरा
१४—खमरिया
१५—पुरैनिया
१६—निकैरिका
१७—धनसिरिया
१८—गढ़वा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५० में प्रस्तावित अनुसूची ५ के खंड २ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(२-क) यदि उपखंड (sub-para) (१) के अधीन देय धनराशि का देनदार व्यक्ति उक्त धनराशि उस अवधि के भीतर दे दे जिसकी इस संबंध में अनुमति दी गई हो, तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और वह उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५४, के प्रारम्भ के दिनांक पर उसके द्वारा देय मालगुजारी के आधे के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५० में प्रस्तावित अनुसूची ५ के खंड ४ के उपखंड (१) में शब्द "जो ऐसी भूमि के लिये उसके द्वारा देय" के स्थान पर शब्द "जो ऐसी भूमि के लिये लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगाये गये" रख दिये जायं तथा वर्तमान उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(३) यदि उपखंड (१) के अधीन देय धनराशि का देनदार व्यक्ति :---

(क) उक्त धनराशि उस अवधि के भीतर दे दे जिसकी इस संबंध में अनुमति दी गई हो तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और ऐसी भूमि के लिये लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगाये गये लगान के आधे के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा, या

(ख) उक्त धनराशि उस अवधि के भीतर न दे जिसकी इस संबंध में अनुमति दी गई हो तो उस भूमि में जिसका वह अधिवासी हो, उसके सब अधिकार, आगम तथा स्वत्व अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अध्याय २ के निदेश ऐसी भूमि के संबंध में सप्रभाव होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदैव सप्रभाव रहे हैं मानो धारा २० के खंड (ख) का कभी विधान ही न किया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५० में प्रस्तावित अनुसूची ५ के खंड ५ के पश्चात् निम्नलिखित खंड ६ के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(६) यदि कोई खाता संयुक्त रूप से दो या अधिक सीरदारों के पास हो तो उनमें से ऐसा कोई एक या एक से अधिक सीरदार जिसे या जिन्हें कस्टोडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५०, के अधीन भूमि प्रदिष्ट (allot) की हो, अपने पूरे स्वत्व या स्वत्वों का हस्तान्तरण शेष खातेदारों में से किसी एक या एक से अधिक सहखातेदारों (co-tenure holders) को कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५० में प्रस्तावित नई अनुसूची ६ में सूची "क" निकाल दी जाय और सूची "ख" तथा "ग" को क्रमशः सूची "क" तथा "ख" के रूप में पुनः परिगणित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५१ तथा ५२

५१--किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी हो गयी हो, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, उस क्षेत्र के निहित होने के दिनांक से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१, का संशोधन।

५२--उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२, की धारा २ के खंड (ख) में शब्द तथा संख्या "धारा १८ या १९" के पश्चात् शब्द "या धारा २० के अधीन अधिवासी" रख दिये जायं और यह समझा जाय कि वे सदा ही रखे हुये थे। उ० प्र० अधिनियम ३१, १९५२, की धारा २ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५१ तथा ५२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५३

५३--जब स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, १८७७, की धारा ९ के अधीन किसी भूमि के संबंध में निहित होने के दिनांक से पूर्व दखलयाबी की कोई डिग्री दी गयी हो और निर्णीत ऋणी (judgment debtor) ने मूल अधिनियम के निदेशों के अधीन भूमि में अधिकार अथवा आगम उपार्जित कर लिया हो तो किसी विधि में किसी भी बात के होते हुये उसे डिक्री के इजरा का विरोध करने का (to resist execution of the decree) अधिकार होगा यदि उसे उक्त अधिकार अथवा आगम के अन्तर्गत दखल रखने का अधिकार हो। स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट की धारा ९ के अधीन डिग्री की इजरा का विरोध करने का अधिकार।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५५

५५--(१) मूल अधिनियम की अनुसूची २ की मद संख्या ११-क, १६-क और १६-ख में निर्दिष्ट प्रकार के इस अधिनियम से पूर्व निविष्ट सभी वाद, तथा उक्त आरम्भ से ठीक पहले के दिनांक पर मूलिक न्यायालय (in the Court of first instance) में विचाराधीन समस्त ऐसे वाद, उसी न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जायेंगे जिसे अधिनियम की धारा २९ और ३२ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन न किये जाने पर सुनवाई और निर्णय का अधिक्षेत्र प्राप्त (jurisdiction) होता।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट वादों की समस्त अपीलें, पुनरीक्षण तथा अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम की धारा २९ और ३२ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन में किसी भी बात के होते हुये भी, उसी न्यायालय में प्रस्तुत होंगी, सुने जायेंगे तथा निर्णीत होंगे जिसमें ऐसी अपील पुनरीक्षण अथवा कार्यवाही की गई होती, यदि उक्त संशोधन न किये गये होते।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५५ में संख्या तथा वर्ण "१६-क" और "१६-ख" के स्थान पर क्रमशः वर्ण तथा संख्या "क-१६" और "ख-१६" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ५६

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५५ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ५६ के रूप में बढा दिया जाय:-

"५६---उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५४, एतद्द्वारा निर्वातित (repealed) किया जाता है और उस पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ तथा २४ के निदेश लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U. P. Act) द्वारा निर्वातित (repealed) अधिनियम (Act) था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड ५६ इस विधेयक का अंग माना जाया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ५७

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावित नये खंड ५६ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ५७ के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"५७---(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशेषतः मूल अधिनियम के निदेशों के स्थान पर इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के निदेशों को ग्रहण करने में होने वाली कठिनाइयों को, दूर करने के प्रयोजन से, आज्ञा द्वारा यह निदेश कर सकती है कि उपर्युक्त रीति से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् १२ मास की अवधि में ऐसे अनुकलनों के साथ, चाहे वे परिष्कार द्वारा या परिवर्द्धन द्वारा या किसी बात को निकाल कर (whether by way of modification, addition or ommission) किये जायं, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और उचित समझे, सप्रभाव होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नया खंड ५७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, का संशोधन

धारा ५१

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	२१०	(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- "b (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or an Assistant

क्रम-सं०	धारा	परिष्कार या संशोधन
		Collector First Class or Assistant Collector incharge of sub-division; (ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector Second Class or Tahsildar"
		(२) खंड (सी) निकाल दिया जाय।
		(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।
२	२१३	धारा २१३ निकाल दी जाय।
३	२१४	उपधारा (३) निकाल दी जाय।
४	२२७	खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (५-ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय- "(5-*a*) to enquire into and decide applications made under Section 39;"
५	२३४	खंड (बी) निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची में क्रम संख्या १ के इन्दराज के पहले निम्नलिखित नये इन्दराज क-१ तथा ख-१ के रूप में रख दिया जाय :---

"क-१, ३४---उपधारा (१) में शब्द "Panchayati Adalat exercising jurisdiction in the village in which the land is situate" के स्थान पर शब्द "Tahsildar of the Tahsil in which the land is situate" रख दिये जायं।

ख-१, ३५---वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा ३५ के रूप में रख दिया जाय :--

"35. (1) The Tahsildar on receiving a report under section 34 or upon the facts coming otherwise to his knowledge may either direct the Panchayati Adalat to make such enquiry as appears necessary or may himself make such enquiry.

(2) The Panchayati Adalat shall upon the receipt of the directions from the Tahsildar make enquiries in the manner prescribed and shall submit them with its report to the Tahsildar.

(3) Where it appears from the enquiries made under sub-section (1) that :—

(a) The succession or transfer has taken place and is not disputed, the Tahsildar shall direct Annual Register to be amended accordingly ; or

(b) The succession or transfer is disputed or the transfer is in contravention of the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Tahsildar shall refer the case to the Collector who shall dispose it of after deciding the dispute in accordance with the provisions of secton 40."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार (extent) उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ७ जुलाई, १९४९ ई०, को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६, के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के या कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४, के अधीन कैन्टूनमेंट के अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्ति के संबंध में इस अधिनियम के निदेश (provisions) ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों को बाधित न करते हुये सप्रभाव होंगे (shall be subject to such exceptions or modifications) जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो, और जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्दिष्ट करे।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु मूल अधिनियम की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह उपधारा (२) के अधीन किये गये किसी अपवाद अथवा परिष्कार के अधीन ऐसे दिनांक को प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "को बाधित न करते हुये" के स्थान पर शब्द "के साथ" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ का उपखंड (३) निम्न प्रकार से रख दिया जाय :---

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) की पंक्ति में शब्द "अधीन" के स्थान पर शब्द "साथ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित करने का अधिनियम १, १९५१।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा भौमिक अधिकार से सम्बद्ध अन्य विधियों को संशोधित किया जाय; उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री राजनारायण—श्रीमान्, जो यह संशोधन विधेयक पारित होने का प्रस्ताव राजस्व मंत्री ने रखा, आप स्वतः जानते हैं कि उसमें अधिवासियों का जो क्लाज़ संशोधित हुआ वह अभी भी हमारी भावनाओं का द्योतक नहीं हो पाया है और श्रीमान्, इस पर, इस अवसर पर हम अपने उन किसानों को बधाई देना चाहते हैं और उन सत्याग्रहियों को भी बधाई देना चाहते हैं जो कि तीन हजार की तादाद में इस हुकूमत की जेल के अन्दर बन्द होकर अपनी इतनी आवाज़ बुलन्द किये कि सरकार को अपने विधेयक में रखे हुए अधिवासियों की शर्त को परिवर्तित करना पड़ा। श्रीमान्, आपने खुद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा जब कि सरकार की ओर से अधिवासियों के लिये यह विधेयक आया कि वह पांच गुना और १५ गुना दें और अगर ६ महीने के अन्दर नहीं देंगे तो बेदखल हो जायंगे तो सारे प्रान्त में कोलाहल मच गया। हम इस अवसर पर इस समय अपने डाक्टर राममनोहर लोहिया को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और बरेली सारे सूबे के ६ सेन्टर्स करके तमाम किसानों की पब्लिक ओपीनियन को मोबिलाइज़ किया और सब जगह से यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर सरकार अधिवासियों के लिये यह शर्त रखेगी बेदखली की तो सरकार को किसानों के ज़बर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा और जब मैं बनारस से लौटकर यहां आया तो मुझे खुशी हुई कि सरकार की तरफ से बयान आया कि अब अधिवासी की बेदखली का सवाल शायद न रह जायगा। हमारी खुशी और ज्यादा होती जब कि हमारा वह संशोधन जो कि भूमिधरी का अधिकार प्राप्त करने का था माननीय राजस्व मंत्री जी मान गये होते और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस विधान सभा में हम निर्बल हैं। इसलिये राजस्व मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

जी हमारी उस आवाज को नहीं सुन पाये। मगर मैं, श्रीमन्, आपके सामने और इस विधान सभा के सम्मानित सदस्यों के सामने इस बात को निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि किसानों का जनमत संगठित होगा और एक वर्ष के अन्दर-अन्दर इस सरकार को मजबूर करेगा और जो हमारा संशोधन भूमिधरी का था वह मानना पड़ेगा इस सरकार को और मैं, श्रीमन्, वह दिन देखना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश का किसान सही माने में अपनी गर्दन, सीना तानकर चले और इस सरकार को मजबूर करे कि हमारा जो भूमिधरी का संशोधन था वह सरकार माने। और जब यह संशोधन विधेयक आनेवाला था तो मैंने सोचा था और मैंने समझ रखा था कि हमने जो अब तक विधान सभा में कार्य किया उसमें जनमत जागृत किया है, किसानों की आवाज बुलन्द हुई है, राजस्व मंत्री जी इस बात को मानेंगे। जनमत जागृत होने के बावजूद भी अभी जनमत की आंच को उतना नहीं समझ पाये कि वह जमीन के बटवारे की बात को रखते।

तीसरी बात, श्रीमन्, जो लगान इस समय अधिवासियों को देना है इसके बारे में हमें अफसोस है कि हमने जनता के संगठन को इतना मजबूत नहीं किया और जनता की आवाज को इतना बुलन्द नहीं कराया कि जो सर्किल रेट है उससे ज्यादा लगान अधिवासियों को न देना पड़े। लेकिन सरकार दुगने सर्किल रेट से ज्यादा लेगी और बराबर लेती रहेगी इसी के बारे में मैं राजस्व मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि किसानों की टक्कर उन्हें लेनी पड़ेगी और जो हमें दोष दिया है राजस्व मंत्री जी ने कि हम लोग कानून का उल्लंघन करना सिखाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें हम नहीं सिखाते, सरकार सिखाती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जरूर चाहता हूं कि आइन्दा सरकार की तरफ से कोई ऐसा विधेयक न आये जिसको इतनी जल्दी में पारित करने का प्रश्न आये। और एक बात और कह देना चाहता हूं इस आदरणीय सदन में कि जिन धाराओं पर हम लोगों ने अपनी राय प्रकट नहीं की है अगर वह धारायें किसानों के पक्ष में हैं तब तो हम भी पक्ष में हैं, अगर वह किसानों के अहित में जाती हैं तो उसका सारा पाप का भार इस सरकार को जायगा। आगे श्रीमन्, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस स्टेट के किसानों के गले पर छुरी चलाई गई और १३५६, १३५७ के बारे में, श्रीमन्, यद्यपि मुझे आशा थी जब राजस्व मंत्री जी यहां से उठ कर गये थे और आपने बताया कि उस पर विचार करने के लिये गये हैं वह और उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी दोनों सदन से और माननीय मंगला प्रसाद जी को सुपुर्द करके, तब मैं समझा था कि हमारी आवाज उन तक पहुंची है कि वह १३५६ मान लेंगे। मगर उन्होंने १३५६ को न मान कर १३५७ को माना। उसके लिये हम अफसोस के सिवा और कर ही क्या सकते हैं! इतना ही कह सकते हैं माननीय बेचनराम गुप्त जी से और राजस्व मंत्री जी से कि अगर वह बनारस स्टेट में चलेंगे अब, तो इनको मालूम होगा कि इस विधेयक से उन्होंने किसानों का क्या गला काटा है। और, श्रीमन्, अगर इस पर जनमत लिया जाय तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अभी मैं यहां पर हूं, कल को अगर इस अधिनियम के विरोध में वहां की जनजागृति देखनी हो तो मैं वहां कल को दस बीस हजार किसानों को संगठित कर सकता हूं। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी जागृति होते हुए भी, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विरोधी दल को इतनी तादाद में न भेज पायी कि विरोधी दल सरकार के गलत कार्यों को रोक सके। एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी, वह चाहते थे कि अधिवासियों को अधिकार मिले, उनकी बेदखली न हो मगर अब भी जो स्त्रियों के नाम पर बेदखलियां होंगी, जिसकी कि इस विधेयक में भी गुंजाइश है, उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी सचेत हों।

हम नहीं देखना चाहते कि किसान जो जोतता बोता है, वह बेदखल हो, हम नहीं देखना चाहते कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी लगान का बोझ किसान पर पड़े, हम नहीं देखना चाहते कि जमीन में वर्ग व्यवस्था कायम रहे। हम नहीं देखना चाहते कि आज भी कुछ लोग बड़ी बड़ी भूमि पर आधिपत्य जमाये हुए हों जिसका कि इन्तजाम भी न कर पायें और जिसके लिए कि कलेक्टर को अधिकार दिया गया कि परती जमीन जो तीन वर्ष तक परती रहती है, वह दूसरों को दे दी जाय, यह दकियानूसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है इस विधेयक के अन्दर। इसमें गांव पंचायत के अधिकारों को छीना गया है। श्रीमन्, हम चाहते हैं कि वह दिन जल्दी हो जब कि हमारे प्रान्त का किसान अपना सीना तान करके चले और जो यह सरकार उसकी कमर झुकाना चाहती है, उसकी गर्दन झुकाना चाहती है, उस झुकाने वाले सरकार के सिद्धान्त को वह अमान्य कर दे। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन क्या करूं? आपकी सलाह बार बार होती है कि भाषा नरम प्रयोग की जाय। मैं नतमस्तक होता हूं श्रीमन्। हमारी ख्वाहिश हमेशा होती है कि हम हमेशा नम्र रहें लेकिन हम अपने साथ धोखा नहीं कर सकते। अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिये जब हजारों नवजवान "करो या मरो" के नारे लगा कर आगे बढ़े थे और उस समय उन्होंने अपनी आहुति दी, एक-एक दिन में ६०, ६० मील तक, ७०–७० मील तक उन्हें पैदल चलना पड़ा तो क्या वह इसीलिये कि जब अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जायगी और जब जमींदारी उन्मूलन हो जायगा, तब भी किसानों पर लगान का बोझ बढ़ा हुआ होगा। हमारी कभी सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं थी, हमारे उन भावों पर जब कुठाराघात होता है श्रीमान्, तो जरूर शब्द कड़े निकलते हैं और उसके लिए आप हमें क्षमा कर देंगे। मगर हम अपने भावों के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर कड़े शब्द हों तो उसके लिए माननीय राजस्व मंत्री की तीखी बात हम सुन सकते हैं मगर हम अपने भावों को रोक नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल का फर्ज है कि सरकार की गलत बातों को ठीक करे, रचनात्मक सुझाव दे और अगर वह सरकार अपनी हठवादिता पर अड़ी रहे तो उसको बदलने के लिए भी तैयार रहे। माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक लम्बा चौड़ा लेक्चर दिया विरोधी दल के कर्त्तव्यों के ऊपर। हम अपने कर्तव्य अच्छी तरह समझते हैं। मगर यह सरकार और इस सरकार के मंत्री अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अच्छा हो अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी पार्लियामेंटरी सिस्टम के ऊपर कैबिनेट में भी कुछ शिक्षा दे दिया करें ताकि विधेयक किस प्रकार से आता है, सेलेक्ट कमेटी में कैसे जाता है और किस तरह संशोधन आता है, इन सब बातों पर उन लोगों को कुछ रोशनी मिल सके। आज हमको आपके नेतृत्व में आपके अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए भी मौन होकर के इसकी आधी धाराओं को पास करना पड़ा है। यह जनतन्त्र के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक प्रणाली नहीं है श्रीमन्, यह जनतंत्र के विकास में बाधक है, अहितकर है और हानिकारक है। इसलिए इस सदन में ऐसा वातावरण पैदा होना चाहिये कि राजस्व मंत्री को या इस सरकार के किसी और मंत्री को आगे फिर कभी इतनी जल्दी में किसी विधेयक को पास कराने के लिए आने की हिम्मत न पड़े। श्रीमन्, अक्सर हमें कहा जाता है कि विरोधी दल के नेता हठवादिता का परिचय देते हैं। हम क्या हठवादिता का परिचय देते हैं श्रीमन्, आपही बताइये हमने कौन सी इनकी बात को नहीं माना, हमने कौन सी इनकी रीजनेबिल बात को ठुकरा दिया? मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमें खुशी है कि जब आपने अपनी सम्मति दी तो आपने कह दिया था कि अक्सर सरकार के लोग भी हठवादिता का परिचय देते हैं लेकिन यह भी कहा कि कभी-कभी तुम भी कर देते हो। मगर मैं समझता हूं श्रीमन्, कि अगर आप यह न कहते कि तुम भी कभी-कभी हठवादिता का परिचय दे देते हो तो अच्छा होता। हम लोग केवल २८ हैं और यह ३९० हैं। इनके बीच में हमारे अधिकारों की सुरक्षा आप कर सकते हैं। इतने विशाल बहुमत में जो सरकार है उसके दिल में बराबर निरंकुशता से चलने के लिये भावना पैदा होती रहेगी।

[श्री राजनारायण]

और जब वह भावना पैदा होगी कि जनतांत्रिक भावना को दबाना है तब श्रीमन्, यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे यह जनतांत्रिक प्रणाली पल्लवित होगी, फूलेगी, फलेगी और विकसित होगी।

इन तमाम बातों के बाद मैं कहना चाहता हूं कि अधिवासियों के लिये जो सहूलियतें पैदा हुई हैं उनसे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। लेकिन उसके लिये हम सरकार को बधाई नहीं देंगे बल्कि ३,००० सत्याग्रहियों की वजह से यह सफलता प्राप्त हुई है और अधिवासियों को कुछ हक मिले हैं। अगर सरकार बधाई लेना चाहती है तो उसने हमारे भूमिधरी के क्लाज को क्यों नहीं माना? मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता अगर लगान बराबरी का वह मान लेते, मैं उनको बधाई देता अगर वह बनारस स्टेट के मामले में १३५६ वाली बात को मान लेते, तब भी मैं उनको बधाई देता। मगर श्रीमन्, चारों तरफ बात यह है कि सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से ले लेती है। करते कुछ हैं और मानते कुछ हैं। ऐसे राजस्व मंत्री जी किसानों से कहते हैं कि यह जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं, इनकी हुकूमत नहीं रहेगी लेकिन उनको ही देंगे। मगर जहां उनको टक्कर लेनी पड़ती है वहां यह आते हैं और घूम कर आते हैं और इसी तरह की बात का यह द्योतक भी है। यह सीरदार के हक जो अधिवासियों को प्राप्त हुये हैं अगर आपको लाने होते तो आप पहले ही ले आते।

श्री अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भी एक जनतांत्रिक की हैसियत से इन तीन हजार सत्याग्रहियों को बधाई दें जिसने सरकार के जो जमींदारी उन्मूलन विधेयक में गड़बड़ी थी, खामियां थीं, कमियां थीं, और कंट्राडिक्शन्स थे उनका विरोध किया। इसलिये उनको बधाई देना चाहिये। उन्हें क्या अपने सदस्यों से कहना चाहिये कि हमें बधाई दो? उनके सदस्य तो बराबर उनको बधाई दिया करते हैं। एक सदस्य ने बड़ी सुन्दर वाणी में कहा कि हमें राजस्व मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये थी लेकिन विरोधी दल वालों ने उनको बधाई नहीं दी। हमारा दिल कहता है कि हम बधाई दें लेकिन भाव पैदा नहीं होते। देखने में भी राजस्व मंत्री जी सरल स्वभाव के मालूम होते हैं। भला हम क्यों उनके लिये कटु भाषा के शब्दों का प्रयोग करें? लेकिन हमारे सामने वही लक्ष्य रहता है किसानों का, वही उद्देश्य है और समाज में उत्तरोत्तर विषमता बढ़ती जा रही है उसको समूल नष्ट करना है। आज हमारे गरीब किसान और मजदूर विवशता के क्षेत्र में पड़े हुये हैं, उनको उसमें से निकाल कर स्वतंत्र वातावरण पैदा करना है, इसी के लिये सदन में जजबात रखते हैं, यदि इसमें कटु भाषा का कहीं प्रयोग हो जाय तो राजस्व मंत्री जी क्षमा करेंगे। आपके जरिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना अवश्य कहना है और आपके जरिये सम्पूर्णानन्द जी से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोला करें तो दो चार मिनट के लिये सदन में अवश्य चले आया करें क्योंकि उनको विशेष प्रोत्साहन मिलता है और वह उनके लिये कुछ कार्य भी बतला दिया करते हैं। श्रीमन्, मैं यह नहीं समझा कि यह विधेयक जो सम्मानित सदस्यों के सम्मुख उपस्थित आ वह माननीय लोहिया के प्रोग्राम या परिश्रम से आया या माननीय राजनारायण के अथक परिश्रम और साहस से, परन्तु जो कुछ भी हो, यह आया है और मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है जिससे इसके उद्देश्य की पूर्ति हो।

कटु शब्दों का प्रयोग माननीय नेता विरोधी दल करते रहते हैं और उसका कारण यह प्रतीत होता है कि उनके जजबात और अरमान इस सदन में कभी-कभी जागृत हो उठते हैं और विशेष कर जब कि माननीय संपूर्णानन्द जी मौजूद हों।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य---और जब आप खड़े हों।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यह मुझे आज मालूम हुआ। इससे माननीय मंत्री महोदय का कुछ काम हलका होता अगर वह मेरे ही बारे में उन सब कटु शब्दों का प्रयोग करते। मैं हर्गिज बुरा नहीं मानूंगा, वह जितनी भी गालियां चाहें मुझे देते रहें, मैं तो प्रसन्न होता हूं। परन्तु दुःख होता है कि श्री राजनारायण, नेता विरोधी दल हैं। यहां माननीय राजनारायण जी केवल अपने स्थान पर गालियां दिया करें तो उससे मुझे इस पक्ष में न उस पक्ष में····

श्री अध्यक्ष---वह गालियां नहीं देते।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन, मैं क्या कहूं इनके लिये। इनको यह बड़ी शिकायत थी कि लोगों के पास जिनके पास भूमि है, अधिक भूमि है, उनके पास यह रहना उचित नहीं होता है। अतः उनका यह ख्याल है कि आज भी जो कुछ अधिकार कलेक्टर को एवेन्डेन्मेंट के लिये दिया गया है और ऐसी भूमि और ऐसा क्षेत्र जो वह समझते हैं कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक हो और तीन साल तक उस पर कोई बुवाई नहीं हो रही है तो अबनडन समझें, इस पर भी उनको आपत्ति हुई। मैं समझता हूं कि यह ऐसा कलंक है जिसके लिए हमारे राजस्व मंत्री सदैव उत्तरदायी समझे जायंगे। मैंने उस पक्ष से यह भी सुना कि स्वर्ण अक्षरों में माननीय राजस्व मंत्री का नाम लिखा जायगा और सदन के इतिहास में वह अमर हो जायगा और एक ऐसा उत्साह इस प्रदेश के किसानों में लाया जा रहा है जिससे यह समझा जाय कि यह रामराज्य की जो कुछ कल्पना महात्मा जी किया करते थे, आज राजस्व मंत्री उसको स्वरूप दे रहे हैं। श्रीमन् इस गलतफहमी में किसी का पड़ना, मैं समझता हूं न उनके लिए हितकर है, न किसी दूसरे के लिए। आज जिस रामराज्य के कुछ थोड़े से अंश के लिए हमारे माननीय काटजू जी पंचायत राज ऐक्ट के रचियता बने और उसका प्रादुर्भाव हुआ, उनके परिश्रम द्वारा आज उसके प्रदत्त अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है और उन अधिकारों का संक्रमण किया जा रहा है। श्रीमन् आज जितने अधिकार हैं वह बजाय घटाने के जो कि जिलाधीश के पास हैं, उसमें भी कुछ न कुछ वृद्धि की जाती है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं यह बता चुका हूं कि डेमोक्रेसी तो कही जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वास्तव में "ब्यूरोक्रेसी" है। मैं समझता हूं कि जो लोग आज भी दफ्तरों में हैं उन्होंने हमेशा ही बौद्धिक शक्ति की अधिकता के कारण हमारे मंत्रिमंडल पर आज अपनी धूम मचा रखी है और उनकी बुद्धि के आवरण में ये लोग बस सोये हुए हैं और समझते हैं कि जितने कार्य हैं वह केवल उनके द्वारा ही बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। श्रीमन् मुझे बहुत ही कटु अनुभव हो रहा है आज कल के कलेक्टरों से। मैं यह समझता हूं कि वास्तविकता यह भी नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय आफिशिएटिंग हेड्स को प्रोत्साहन देते हों, या मुख्यमंत्री देते हों, परन्तु श्रीमन्, वह यह समझते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट की नींव सुदृढ़ बनायी जाय, उसी के लिए वह लालायित रहते हैं और कटिबद्ध रहते हैं। नतीजा यह होता है कि संतुलन न्याय और अन्याय का, उचित और अनुचित का, इन सब बातों का विचार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और एक ही मात्र उनका लक्ष्य होता है कि वह किसी तरह से कैडर में परमानेंसी में आ जायं, परमानेंट हो जायं। मैंने यह माना कि राजस्व मंत्री यह कहेंगे कि बहुत से लोग कलेक्टर हैं जो आफिशिएटिंग हैं तो उनको चांसेज दिये जाते हैं, लेकिन श्रीमन् जो स्टाफ आज कल आया हुआ है वह बहुत ही निन्दनीय है। जहां तक कलेक्टरों के पंचायतों में अपने अधिकार थे, वह तो अलग बात रही। अब मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में वह समय आ चुका है जब कि माननीय मंत्री महोदय जहां तक हो सके कम से कम उतना ही भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को अपने से दूर रखें। श्रीमन्,

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

वास्तविकता तो यह हो रही है कि आज कुछ अधिवासी जो कि दूसरे वर्ग के हों, उनको तो आप अधिवासी मानते हैं और केवल इस अभिशाप के कारण कि जिस भूमि में हैं उसमें किसी जमींदार का हिस्सा हो या उसका वह क्षेत्रपति रहा हो तो केवल इस एक मात्र कारण से आप उसको आकूपेंट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, १३५६ में जहां सब माने जायंगे, केवल एक वर्ग है जिसको वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, मुझे बहुत दुःख हुआ और ग्लानि के वशीभूत होकर मैं निवेदन करूंगा कि अब वह समय आ चुका है जब कि डिस्क्रिमिनेशन बन्द कर दें। और यही नहीं कि एक विशेष वर्ग के लिए यह बात है बल्कि अक्षम लोग, जिनको हर धर्म में, हर अधिनियम में एक विशेष परिस्थिति में समझ कर उनके साथ हर देश में विशेष सुविधा दी जाती है, उनके साथ, हम यह देखते हैं कि जिस नीति का पालन हमारे माननीय मंत्री महोदय सन् १९३७ से करते आ रहे हैं, आज कोई परिस्थिति विशेष नहीं है, मैं समझता हूं कि कोई इमर्जेंसी नहीं है कि आप उस लक्ष्य से उद्देश्यों से डिग सकते हैं। आप किसी परिस्थिति विशेष पर विजयी होने के लिए भी जो अधिनियम बनना चाहिये वह बना लीजिये, लेकिन मैं देखता हूं कि अकारण यह भेदभाव किया जा रहा है, गांव समाजों के अधिकार लिये जा रहे हैं। यह एक वास्तविकता है श्रीमन्, जिसको मैं क्या समझूं कि हमारे प्रदेश में जब कि सवा छः एकड़ भूमि से कम कोई लाभकर यूनिट नहीं माना गया तो यह ३ १/८ क्यों मान रहे हैं? वह कौन सी परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, कौन सी विशेष स्थिति है जिससे आज यह करना आवश्यक हुआ, जिनकी आड़ में यह परिवर्तन वह न्यायसंगत समझते हों। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सवा छः एकड़ से कम कोई भी यूनिट लाभकर नहीं हो सकता है। भूमि वितरण की बातें बहुत की जाती हैं, जिसको मैं समझता हूं कि वह ऐसा सिद्धांत है जिसको हमारे देश में लोगों ने कार्ल मार्क्स को समझने में असमर्थ होकर केवल उन्होंने एक वाद बना लिया है। मैं भूमि वितरण के विषय में यह नहीं समझ पाता हूं। अगर किसी दिन सोशलिस्टों के हाथ में पावर आ जाय तो उनका यह भूमि वितरण का सिद्धांत क्या शकल ग्रहण करेगा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि जो कुछ इधर से कहा जाय वह तीन चीजों पर आधारित है, १ भूमि वितरण और दूसरे साहब बोलते आये तो उन्होंने कहा कि "पूर्वी हिस्से में बहिया आ गयी, बाढ़ आ गयी।" और तीसरे अगर उन्होंने और किसी पर ध्यान दिया.....

श्री राजनारायण---नेशनलाइजेशन पर।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---वह तो केवल सिद्धांत के लिये है, वह खुद भी नहीं समझते। उनसे वास्तविकता से अभिप्राय नहीं है। वह तो एक चीज सीख आये हैं उसी को बार-बार इस सदन में रटा जाता है।

*श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि आपके द्वारा अपनी तरफ से और इस प्रान्त के ६ करोड़ किसानों की तरफ से अपनी सरकार के किसान मंत्री माननीय चरण सिंह को धन्यवाद दूं। धन्यवाद इसलिये दूं कि आज पहली मर्तबा उन्होंने वह तस्वीर इस प्रान्त के सामने रखी जिसमें कि जमीनों की किस्म घटा कर तीन कर दीं और इस घटाने में जो नीचे का वर्ग था उसको उपर उठाया है, अर्थात् इस प्रांत के लाखों अधिवासी जिनकी हालत बदतर थी उन्हें ऊपर उठाया है।

एक सदस्य---और ऊपर वालों को नीचे गिराया।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं यह बात समझ नहीं पाया कि ऊपर के किन व्यक्तियों को नीचे गिराया है। यदि कोई व्यक्ति देश के अन्दर शोषण करता है और अपनी जरूरत से ज्यादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान रखता है तो उससे लेकर दूसरे को दे देना यह मैं नहीं समझता कि किसी को नीचे गिराना है । इसलिये मैं आज अपने माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने गांव की जो सार्वजनिक जमीनें थीं जिनको जमींदारी विनाश के पहले जमींदारों ने बड़ी उदारता के साथ और बड़े स्वार्थ के साथ अपने समुदायों, अपने रिश्तेदारों, अपने जिलेदारों, मजदूरों और जिसको चाहा उसको पट्टा देकर ग्राम्य जीवन को बरबाद कर दिया था उसके लिये इस विधेयक के अन्दर माननीय मंत्री जी ने यह कानून बनाया कि कलेक्टरों को यह अधिकार दिया जाय कि सरसरी तौर से उनकी जांच करके उस पट्टे को रद्द कर जमीन गांव सभाओं को वापस करदें। यह एक बड़ा कदम है। ग्राम्य जीवन को फिर से वापस लाना, वहां की सार्वजनिक जमीनों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त इसके अन्दर यह भी साधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि अपने खातों को तीन वर्ष तक परती रखता है तो कलेक्टर उनकी जमीन को लेकर दूसरों को दे दे और उसका प्रबन्ध कर दे। तो इस विधेयक के अन्दर इस प्रांत के भविष्य का वह चित्र दिखायी देता है कि जिसके अन्दर इस देश में सारे काश्तकार बराबर होंगे। इसमें इतने बड़े-बड़े कदम उठाये गये कि ५ बीघे जमीन तक की बटवारे की बात रखी गयी और यह भी इसमें है कि अगर लगान दूने से ज्यादा हो तो पहले तो स्वयं ही और नहीं तो दरख्वास्त देने पर निश्चित रूप से घट जायगा। तो ये बड़े कदम हैं और इस बात के लिये चाहिये यह था कि हम में से जितने व्यक्ति इस सदन के अन्दर हैं सब माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देते और आभार प्रकट करते। लेकिन इस सदन में इधर से चाहे जितनी उदारता दिखाई जाय और माननीय अध्यक्ष जी, चाहे जितनी उदारता उधर को दिखायें कि विरोधी दल की संख्या न होते हुये भी, जो कहीं-कहीं नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में विरोधी दल माना जाता है लेकिन उनमें इतनी भी उदारता नहीं है कि माननीय मंत्री जी को बधाई दे देते। वह लालबुझक्कड़ नीति है। एक गांव में एक हाथी निकल गया। लोगों ने जब उसके पैर के निशान रास्ते पर देखे तो कहने लगे कि यह कौन सा जानवर है। सब ने कहा कि लालबुझक्कड़ को बुलाओ। लालबुझक्कड़ ने आकर देखा और कहा कि पैर में लकड़ी बांध कर हिरन कूदा है। कोई और न बूझे, बूझे लालबुझक्कड़। तो लालबुझक्कड़ की खोज है कि किसको बधाई दी जाय। लोहिया साहब को दी जाय, कृपलानी साहब को दी जाय। मैं तो कहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को दी जाय, कोई हमको एतराज नहीं है और न माननीय मंत्री जी को एतराज होगा। तो यह लालबुझक्कड़ की खोज है।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, आज इस विधेयक पर बहस होते-होते सात दिन समाप्त हुए और कोई ४५ घंटे इस पर बहस हुई। लेकिन फिर भी राजनारायण जी और शायद उनके साथियों को एतराज है कि बहस काफी नहीं हुई, इससे और अधिक बहस का मौका मिलता तो अच्छा होता।

श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर और ज्यादा बहस होती तो अच्छा होता। लेकिन इस सिलसिले में हमको दिक्कतें याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि इस बिल को जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं जल्दी से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हासिल करने हैं। वह १२, १३ अक्तूबर की तारीख थी क्योंकि इसमें हमने ऐसी धारायें रखी हैं जो कि एक आर्डिनेंस का जुज है और उसके लिये छः हफ्ते का समय होता है जब कि विधान मंडल बैठता है उसके बाद से। तीस अगस्त को लेजिस्लेटिव काऊंसिल की मीटिंग हुई। तो १२–१३ तारीख तक इस पर दस्तखत कराने हैं। वरना बहुत खुशी होती कि इस पर और समय मिल जाता। कहा यह जाता है कि और कुछ विधेयक हुये जो पहले मंजूर किये गये वह बाद में लिये जाते। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपके जरिये अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल और रेंट कंट्रोल बिल, दो बिल ऐसे थे जो इससे पहले सदन में पास हुये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल की वजह से इस साल गवर्नमेंट को हो सकता है कि जो आमदनी फाइनेंशियल इयर में आनी चाहिये थी उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा इस साल न आ सके और अगले साल के फायनेंशियल इयर में आजाय क्योंकि जो नोटिसेज जुलाई में जारी हो जानी चाहिये थीं वह बमुश्किल तमाम अक्तूबर में जारी हो सकीं। वह फाइनेंशल मेजर था। इसलिये उसको पेश करने

[श्री चरण सिंह]

की जरूरत थी। कंट्रोल बिल को भी ३० सितम्बर तक स्टेट्युट बुक का जुज बन जाना था। इसलिये वह भी पहले इस सदन ने पास कर दिया। जहां तक समय का ताल्लुक है, इस सिलसिले में मेरी मजबूरी थी वरना अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय राजनारायण जी और उनके साथी मानते हैं मुझे कभी किसी मसले पर बहस करने से हिचकिचाहट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी यहां गवर्नमेंट की तरफ से इस सिलसिले में विधेयक या कवानीन पेश किये जाते हैं, मैं कोई मुबालगे की बात नहीं कहता और न मुझे किसी तरह का मुगालता है, मैं दिल से महसूस करता हूं और कहने के लिये श्री राजनारायण जी चाहें जो कुछ कहें लेकिन वह भी और उनके साथी यह महसूस करते होंगे कि जो कुछ हम यहां करते हैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, हम समझते हैं कि यह हमारे हर कानून से जनता की मदद होती है और जनता को राहत मिलती है। इसलिये किसी बात से हिचकिचाने की बात, हिचकिचाहट की बात हरगिज हरगिज नहीं। जैसा कि मैंने बतलाया उसमें मेरी मजबूरी थी।

जब से मैंने कंसीडरेशन के लिये मोशन किया उस वक्त से कुछ बातें यहां कही गयीं। उनमें से जिन का जवाब मैं नहीं दे सका उनमें से एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि तीसरा संशोधन विधेयक है। यह तीसरा नहीं, दूसरा ही संशोधन विधेयक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय चाहे यह चौथा ही होता तो भी शिकायत की बात नहीं होनी चाहिये थी। आज वह जमाना नहीं है। १८५६ में इंडियन पेनल कोड बनाया गया। मेकाले साहब ने बनाया था। उसमें बहुत कम तरमीमें हुईं। मेकाले साहब ने जो इंडियन पेनल कोड ड्राफ्ट किया था उसके बेलनोन प्रिंसिपिल्स थे। इसी तरह से जेम्स स्टीफेन ने जो १८७२ में एविडेंस ऐक्ट बनाया था, उसके लिये एनशेंट मैग्जिम्स थे जिनको उन्होंने एविडेंस ऐक्ट के रूप में पेश कर दिया। यह ऐसे ऐक्ट हैं जिनमें बहुत कम जरूरत तरमीम पेश करने की आयी। लेकिन इन दो ऐक्ट्स के अलावा जितने भी यहां के लेजिस्लेचर्स हैं, सेंट्रल हो या प्राविंशल जितने भी ऐक्ट्स उनसे पास हुये हैं, उनमें कई बार संशोधन लाये जा चुके हैं। इसके लिये मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मि० मेकाले और जेम्स स्टीफेन की तरह मेरा माइंड उतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन जमाना भी स्टेटिक नहीं है। रोजाना यह बदलता है, रोजाना सोशल चेंजेज की जरूरत महसूस हुआ करती है। जमाने का तकाजा जैसा होता है, जैसी हमारी जरूरत पड़ती जाती है और हम अपने कानून में नुक्स देखते हैं और समझते हैं कि फलां कानून या धारा की और जरूरत है जिससे लोगों को आराम पहुंचेगा तो उस पर हमारी यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि हम उसके लिये जरूरी विधेयक लायें और जल्दी से जल्दी लायें। अध्यक्ष महोदय यह साढ़े ६ करोड़ की आबादी का प्रदेश है। जो भूमि व्यवस्था कानून बनाया गया है उसकी एक-एक धारा का वास्ता लाखों लोगों की किस्मत से होता है। फिर मैं तो यह कहता हूं कि दर्जनों, सैकड़ों आदमी हों उनकी कोई तकलीफ मिटाई जा सकती हो, उसके लिये भी विधेयक लाने में हिचकिचाहट न होनी चाहिये। यहां तो यह लाखों करोड़ों की किस्मत से वास्ता रखता है। तो दूसरा संशोधन विधेयक दो साल में ले आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई कानून बना कर २५ साल तक आंख नहीं मूंदी जा सकती। खास तौर से इस कानून के सिलसिले में जो कि हमारे प्रदेश की सारी देहाती जिन्दगी पर असर डालता हो।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करूंगा। हमारे यहां कांस्टिट्यूशन तैयार हुआ। तीन साल की कोशिश के बाद तैयार हुआ और हमारे जो बेस्ट लीगल ब्रेन्स थे उनकी ड्राफ्टिंग उसमें है। २५ जनवरी, सन् १९५१ को वह कांस्टिट्यूशन लागू हुआ और ठीक २७ जनवरी को हमारा यह ऐक्ट लागू हुआ। लेकिन उस कांस्टिट्यूशन में जिसके लिये ढांचे मौजूद थे अमेरिकन कांस्टिट्यूशन, आस्ट्रेलियन कांस्टिट्यूशन, स्विस का फेडरेशन कांस्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कांस्टिट्यूशन और इतने बड़े ब्रेन्स लगे और तीन साल उस कानून के बनाने में लगे, उसमें भी अध्यक्ष महोदय जरूरत के तकाजे के मुताबिक, जनहित के तकाजे के मुताबिक तीन संशोधन अब तक आ चुके हैं। तीसरा संशोधन

विधेयक टी० टी० कृष्णमचारी ने पेश किया। मैं यह नहीं कहता कि वे गल्ती कर रहे हैं, बल्कि सही कर रहे हैं। इसी तरह से मैं अपने दोस्तों के सामने दूसरी मिसाल स्टेट ड्यूटी बिल के बारे में बतलाना चाहता हूं। सन् ४४–४५ में गवर्नमेंट आफ इंडिया में सर जरमी रेसमिन फायनेन्स मेम्बर थे। उन्होंने स्टेट ड्यूटी बिल का कंसेप्शन सबसे पहले पेश किया। उसके बाद कई कमेटियों में वह गया। दो तीन लेजिस्लेचर के सामने वह गया, दो तीन सिलेक्ट कमेटीज के सामने गया तब जाकर वह बिल पास हुआ हाउस आफ पीपुल्स से और जिस वक्त कौंसिल आफ स्टेट में जाता है तो सी० डी० देशमुख कहते हैं कि इसमें यह गल्ती रह गई है लेकिन कौंसिल आफ स्टेट यह बिल पास कर दे, जल्दी ही मैं दूसरा संशोधन विधेयक ले आऊंगा। यह अध्यक्ष महोदय, मेरे पास २२ सितम्बर, ५३ की कटिंग मौजूद है। मैं उसी रोज जानता था कि मुझे दूसरा संशोधन विधेयक लाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने इसी मौके के लिये कटिंग रक्खी थी कि मुझे यह उलाहना दिया जायगा। यह भूमि व्यवस्था विधेयक हमारे इस ५०० मील लम्बे ३०० मील चौड़े प्रदेश के लिये जिसमें १ लाख १२ हजार देहात हैं उनमें रहने वालों की किस्मत से यह वास्ता रखता है। फिर इसमें एक प्रकार की भूमि व्यवस्था नहीं है, अनेक प्रकार की है। इसमें अध्यक्ष महोदय कोई अपने लिये मैं गर्व की बात नहीं कहता लेकिन जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है सेक्रेटेरियट के, लैंड रिफार्म कमिश्नर आफिस के या वे जानते हैं कि क्या-क्या कठिनाइयां पेश आई हैं। दिन रात काम किया गया ताकि एक यूनीफार्म पेटर्न में इस सूबे की भूमि व्यवस्था को ढाला जा सके। एक इलाके में और दूसरे इलाके में ही अन्तर नहीं है, एक-एक जिले में अन्तर है, एक-एक जिले की एक-एक तहसील में है। कहीं तो बुन्देलखंड की मर्ज्ड टेरिटरीज हैं, कहीं दुद्धी का इलाका बिलकुल अलग है, स्टेट्स में अलग, तराई भाबर का मसला अलग, शहर और देहाती इलाके का मसला अलग और फिर अध्यक्ष महोदय हमारे गांव के किसानों के लिये सिवा जमीन पर निर्भर रहने के कोई दूसरा सहारा नहीं। तो इस गवर्नमेंट की कोशिश बराबर यह रहेगी कि किसी किसान को तकलीफ न हो। जहां पर हमको किसी वकील के जरिये, किसी जनसेवक के जरिये या किसी अपने आफिसर के खत के जरिये या बातचीत के जरिये से यह मालूम होता है कि फलां जगह पर फलां नुक्स रह गया है तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि क्यों न उस नुक्स को दूर किया जाय? तो इस बात पर अगर गवर्नमेंट को बधाई नहीं मिलनी चाहिये तो कम से कम उलाहना देने की बात तो नहीं होनी चाहिये। मैं आज वायदा तो नहीं करता कि जिस तरह से यह संशोधित बिल पास हो रहा है उसमें कोई नुक्स नहीं है, हो सकता है कि कोई नुक्स हो या हो सकता है कि ६ महीने के बाद कोई नुक्स निकले और मुझे फिर कोई संशोधन विधेयक इस सदन में लाना पड़े लेकिन मुझे उसके लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर के साथ राजनारायण जी और अवधेश प्रताप सिंह जी की स्पीच सुनी। नारे और प्रोपेगन्डा के अलावा केवल तीन बातें कही गयीं। एक बात तो यह कि लगान नहीं घटाया गया। मैं इसकी बात क्या अर्ज करूं? पहले अर्ज कर चुका हूं कि हम लगान घटा रहे हैं किन्तु जितना वह चाहते हैं उतना नहीं घटा रहे हैं। आज जितने अधिवासी हैं उनके अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन उनका २॥ गुना हैरिडिटरी रेट का औसत लगान है तो दुगुने लगान से ज्यादा वाले दो तिहाई अधिवासी हो गये। हम उन सबका लगान घटा रहे हैं। कहा यह जाता है कि हेरिडिटरी रेट क्यों न कर दिया जाय? अगर सर्किल रेट का लगान बिलकुल माफ कर दें तो ऐसे मौके पर उस लगान के माफ कर देने पर किसी को उससे ज्यादा खुशी नहीं होगी जितनी कि हमारे साथियों को और हमको खुशी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय बात हमको ऐसी करनी चाहिये जो मुमकिन हो और जो काबिले अमल हो। हमारा मुल्क गरीब है, हमारा प्रदेश भी गरीब है। इस प्रदेश के लोगों से पैसा लेकर प्रदेश के लोगों की ही सेवा करना चाहते हैं। अगर मालगुजारी को माफ कर दी जाय तो रुपया कहां से आयेगा, जब तक कि मुखालफत करने वाले हमारे

[श्री चरण सिंह]

दोस्त रास्ता न बतलायें कि वहां से रुपया आयेगा। इस कारण केवल यह कहना कि टैक्स रोक दिया जाय उचित नहीं मालूम होता है। जो मुआविजा जमींदारों को दिया जायगा वह करीब १४, १५ करोड़ का अनुमान है। किसी का अधिकार ले लिया जाय और उसका मुआविजा न दिया जाय और हम अपने यहां इस प्रकार का कानून पास करते चलें कि बिना मुआविजे के, बिना तहकीकात के किसी की जायदाद को लिया जा सकता है और किसी कांस्टीटयूशन की रुकावट हमारे सामने न हो, अगर इस प्रकार से करने का समय आयेगा तो वह जमाना हमारे देश के लिये अन्धकार का जमाना होगा। वह जमाना ऐसा आ जायगा जब कि किसी को यकीन नहीं रहेगा, किसी के दिमाग में इस्टैबिलिटी नहीं रहेगी और किसी के दिल के अन्दर कोई इतमीनान नहीं होगा कि आज जिस चीज को वह अपनी कहता है उसको कल वह अपनी कह सकेगा। मुआविजा न देकर जायदाद ले लेने का जो नतीजा होगा वह डेमोक्रेसी के लिये भी हितकर नहीं होगा। आखिर मेरा और उनका बुनियादी फर्क हो सकता है लेकिन हम जिस उसूल को मान कर चले हैं उस उसूल के मातहत हमको मुआविजा देना है। वह मुआविजा कहां से आना है और फिर मुआविजा किनको दिया जा रहा है? वे लोग कोई पूंजीपति या कैपिटलिस्ट नहीं हैं। वे लोग वह हैं जिनकी सीर की जमीन दूसरे को दी हुई थी और जिन्होंने अगर उनके पास ८ एकड़ है तो उसमें से २ एकड़ जमीन किसी दूसरे भाई को दे रखी थी। यह बात ठीक है कि जिसके पास ८ एकड़ है तो वह बड़ा किसान है बमुकाबले उस २ एकड़ जमीन वाले के लेकिन वह ८ एकड़ वाला अमीर नहीं कहा जा सकता है। तो हम जिसके हक को ले रहे हैं इतना थोड़ा मुआविजा देकर उसके आंसू पोंछ रहे हैं। यह करीब १५ करोड़ के रुपया जो उनको देना है वह कहां से आयेगा अगर अधिवासी का लगान माफ कर दिया जाय।

दूसरी बात यह कही गयी कि इजेक्टमेंट स्त्रियों के नाम पर होगा। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के नाम पर इजेक्टमेंट होगा अगर लड़कियां हैं, परित्यक्ता हैं या विधवा हो गईं और उस जमीन में से होगा जिसको उनका पति पहले से खुदकाश्त कर रहा था। उस जमीन में से नहीं जो कि खाली पड़ी थी या काश्तकारी के लिये दी हुई थी बल्कि जिस जमीन पर खुदकाश्त कर रहा था और वह शख्स मर गया, उसकी विधवा रह गई तो हालत मजबूरी में किसी एक्सप्लोयटेशन के लिये नहीं, हुकूमत के लिये नहीं बल्कि केवल अपना पेट भरने के लिये। केवल यही बात कही जाय विरोधी दल की तरफ से तो मैं यह कहूंगा कि मुझे इस गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करना चाहिये कि हमारे कट्टर विरोधियों को कोई बात कहने का मौका मिला तो दो ही बात का कि लगान माफ क्यों नहीं करते और स्त्रियों को बेदखली का हक क्यों दिया जाय, चाहे वह विधवा हो या तलाकशुदा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह दलीलों का दिवालियापन है, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह हमारा कानून पूर्ण है। अक्लमंद से अक्लमंद सिवाय इस नुक्स के और कोई नुक्स नहीं पा सकते। हमने यह भी किया है कि अगर गांव वाले यह चाहें कि जमीन मिले जो कि आम जगहें या आम रास्ते पहले पट्टे पर दे दिये जाते थे तो उसके लिये हमने एक रास्ता यह निकाला कि एक सरसरी दरख्वास्त कलेक्टर को दे दें तो वह मिल जायगी। अध्यक्ष महोदय, कानून में पहले दिया हुआ है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी अगर खुद गाफिल है तो उसको सस्पेंड या डिज़ोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर एक मेम्बर मिसकंडक्ट का गिल्टी है तो उसको हटाने का कोई इसमें प्रोवीजन नहीं था वह प्रावीजन हम करने जा रहे हैं तो यह कहा जाता है कि उनके अधिकार लिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कहा जाता है कि गांव वाले जमीन का अच्छा प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को चाहिये कि इन्तजाम करे। हमने यह किया है कि लोगों के इलेक्टेड मेम्बर्स जमीन दे दें लेकिन साथ ही हमने अफसरान को हक निगरानी भी दे दिया है और जो हक दिये हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट और

म्यूनिसिपैलिटीज के जरिये जो अधिकार अफसरान को दिये हैं, उससे ज्यादा हमने नहीं दिये। तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि केवल आलोचना करने से ही काम नहीं चलेगा और सच तो यह है कि थोथी आलोचना के साथ-साथ और जो बातें मैं राजनारायण जी से उम्मीद करता था वह उनको कहनी चाहिये थी। मैं यह कहता हूं कि माननीय राजनारायण जी धीरे-धीरे फर्जी जोश दिखाते हैं। माननीय राजनारायण जी धीरे-धीरे फर्जी जोश कैसे पैदा कर रहे हैं अपने मन के अन्दर? एक फर्जी आवेश में आ जाते हैं वह, फिक्टिशश, फर्जी। अध्यक्ष महोदय, आखिर अगर वह सही आवेश था तो मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत था। मैं समझता हूं कि डिमोक्रेसी में अपोजीशन के लिये एक खास स्थान है और उनका एक खास काम है ताकि जो लोग पावर में हों वह सो न जायं, उनको उन्हें जगाते रहना चाहिये। यहां तक तो मैं मानता हूं कि इसके लिये आपको कुछ बनावट करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप यह कहें कि वह सही जोश था तो मुझे तस्लीम नहीं है। बहुत गलत जगह पर आपने जोश दिखाया। तो आपने जोश में क्या-क्या कह डाला कि सोशलिस्ट पार्टी के रेजोल्यूशन आये, कानपुर बता दिया, फतेहपुर बता दिया, फर्रुखाबाद बता दिया और न जाने कौन-कौन बातें बता दीं और डाक्टर लोहिया का भी नाम लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि यह रेजोल्यूशन्स किस अखबार में और कब निकले .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सभी अखबारों में निकले थे।

श्री चरण सिंह--किसी अखबार में नहीं निकले, सिवाय "संघर्ष" को छोड़कर। ऐसा केवल एक रेजोल्यूशन देखने में आया और वह आप के एक्जिक्यूटिव की जो मीटिंग इलाहबाद में हुई उसका रिजोल्यूशन था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके उस रेजोल्यूशन के पहले, माननीय मेरे मित्र फाइल्स हमारी देखना चाहें तो उनको मैं दिखा सकता हूं कि उनके इस रेजोल्यूशन से पहले ही यह फैसला हो चुका था।

एक सदस्य--सेलेक्ट कमेटी में।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, सेलेक्ट कमेटी से जो बिल आया था, जैसा मैंने पहले कहा उसके मुताल्लिक केवल एक राय यह हो सकती थी कि शायद कुछ लोग बेदखल हो जाते। मेरी राय अब भी है कि एक फीसदी से ज्यादा बेदखल न होते। लेकिन उसमें और कठिनाइयां होतीं, वह इससे मिट जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि बड़े-बड़े जमीन वाले पड़े हुए हैं, जब तक यह जमीन तकसीम नहीं होती, तब तक तसल्ली नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मित्र से कि ऐ हकीम, पहले अपना इलाज कर। जब सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख मेम्बरान जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन आज मौजूद है, जब वह इसको खुद तकसीम कर देंगे, तब वह यहां उलाहना देने के हकदार होंगे,। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम हुआ है कि एक सर्क्यूलर गया पार्टी के लोगों के पास यह सुझाव देते हुए कि ३० एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन हो, वह तकसीम कर दी जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जवाब निल में आया शायद।

श्री राजनारायण--तो नहीं होगी, ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जोश में आते-आते सन् ४२ की याद आ गई माननीय राजनारायण जी को जब कि जेलखाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। (एक आवाज)। कार्ल मार्क्स का तो बाद में सीखा, पहले तो हनुमान चालीसा का ही पाठ किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, अपने आपको आपने राष्ट्रवादी लोगों की जो सेना थी, उस सेना में रखा और इस गवर्नमेंट को और इस रूलिंग पार्टी को आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्थान पर रखा।

श्री राजनारायण—उससे भी खराब हैं आप।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं? आज कल की डिक्शनरी में जो लव्जों के माने हमने पढ़े हैं या तो वह माने नहीं रहे या बदल गये। शायद सही के माने सही नहीं हैं और गलत के माने गलत नहीं हैं। वरना अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी अभी एलेक्शन के मैदान में ९० फीसदी सीटें जीतकर आयी हो, उसके लिए अपोजीशन पार्टी के लीडर का यह कहना कहां तक शोभा देता है और जैसा माननीय रामनरेश जी ने कहा अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता है कि जो वह अपोजीशन पार्टी है और वह उसके लीडर हैं, नहीं तो कम से कम जितने में कि कोरम हो सकता हो उतने लोग तो हों, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उससे कम में अपोजीशन पार्टी कहीं नहीं होती.....

एक सदस्य—जरा पार्लियामेंटरी प्रोसीजर पढ़िये। दो आदमियों का भी अपोजीशन होता है।

श्री चरणसिंह—खैर, अगर है तो मैं उसे तो अच्छा ही मानता हूं। लेकिन जो मैं शिकायत कर रहा हूं, वह यह कि चाहे दस अपोजीशन पार्टी बन जाय लेकिन यह कहने से पहले सोचना चाहिये कि जो पार्टी ९० फीसदी डेमोक्रेटिक वोटों से जीतकर आयी हो उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुकाबिला करना या किसी विदेशी से मुकाबिला करना, कहां तक मुनासिब बात है।

अध्यक्ष महोदय, हम गलती कर सकते हैं। हमारी गलतियां हमको वह बतायें। हम उनको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हमारी गलतियां इंगित करके वे बतायें जिनका कि स्वयं अपना मुख उज्ज्वल हो, तब तो वह शोभा देता है। लेकिन जिनके पास कुछ चीज नहीं है, कोई नारा नहीं है, जिन्होंने कुछ बातें गांधी जी से लीं, कुछ मार्क्स की लीं, कुछ बिनोवा जी की लीं, कुछ डा० लोहिया की लीं और फिर भानुमती का कुनबा जोड़ लिया, उनको हम क्या कहें। जो तरमीमें पेश की गई हैं, बहुत से क्लाजेज के ऊपर एक ही पार्टी के मेम्बर्स की तरफ से परस्पर विरोधी थी.....

एक सदस्य—कौन सी तरमीम?

श्री चरण सिंह—जैसे माननीय त्रिपाठी जी की तरमीम गालिबन क्लाज २४ के ऊपर है और उसके खिलाफ माननीय गेंदा सिंह जी की, जिसके लिए कल सफाई दे रहे थे माननीय त्रिपाठी जी कि मेरी तरमीम तो यहां गलती से पेश हो गई और भी कितनी ऐसी चीजें बतलायी जा सकती हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, जनता इस बात को आगे तय करेगी। लेकिन यह कहना कि सन् ४२ के आन्दोलन की जो हवा है वह हवा अब पैदा करना चाहते हैं इस सूबे में हमारे खिलाफ, तो कामयाब नहीं होंगे, हरगिज कामयाब नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी कहते हैं कि चरण सिंह यह शिकायत करता है कि मैं कड़वी बातें कहता हूं। मैं शिकायत करता हूं और मुझे शिकायत है और मैं बाअदब उनसे कहना चाहता हूं कि अगर्चे वह एक पार्टी के नेता हैं और मैं एक पार्टी का खिदमतगार हूं, वह अगर और नम्र बन सकें तो यह उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी १४ अप्रैल को मिर्जापुर गया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी मीटिंग में जो दखलन्दाजी करने की कोशिश की गई और उसमें अड़चन डालने की कोशिश की गई वह आपकी प्रवृत्ति की एक अच्छी मिसाल है। मेरी मीटिंग से ५० गज की दूरी पर आपने दूसरी मीटिंग जोड़ दी और जोर जोर से बोलते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलता रहा और लोगों से कहता रहा कि मुकाबिला कर लो। आप जब थक गये, गाली देते देते, क्योंकि गालियां आदमी कहां तक दे सकता है (इंटरप्शन) तो चले गये। मैं चार घंटे तक गांव समाज मैनुअल, भूमि व्यवस्था

चकबन्दी, पंचायत राज और लोगों के कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियां उनको समझाता रहा। लोग बैठे रहे। लेकिन मेरे माननीय मित्र दो घंटे तक नुक्ताचीनी करते करते थक गये और थककर चले गये। अगले रोज जब लोगों को यह मालूम हुआ कि माननीय राजनारायण जी ने यह शुभ कर्म किया है वहां एक मीटिंग में, और वह शक्स जिसकी मीटिंग में दखल दिया वह सुनता रहा तो अध्यक्ष महोदय, उससे अगले दिन वालंटियर्स ने आना बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है और मुझे भी कभी-कभी आवेश आ जाता है, आना नहीं चाहिये क्योंकि शायद मेरी तंदुरुस्ती कमजोर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने अगर और सबक नहीं सीखा है डेमोक्रैसी से तो कम से कम एक सबक जरूर सीखा है कि अनर्गल बातें मैं सुनता रहा और शान्त मिजाज बैठा रहा।

अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि इतनी जल्दी में बिल लाये। इतना समय लगता, इतना समय चाहिये था। तिहाई समय लग सकता था अगर लोग समझने वाले होते बिल को और ऐक्ट को। ऐक्ट की धारायें कुछ हैं और संशोधन कुछ हैं। व्याख्यान में जो बात कह रहे हैं वह संशोधन के ठीक खिलाफ पड़ती है। जैसे श्री जोरावर जी ने क्लाज १५ के बारे में बात कही। मैं उनसे कहूंगा कि वह एक बार फिर क्लाज १५ को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, अफसोस यह है कि हमें यहां रोशनी कम मिलती है। दिन रात हमें काम करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, वरना होता यह कि कानून की बातें कही जातीं, बारीक बातें कही जातीं। मैं भी दिन रात टंडन जी को यहां बिठाये रहता। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है। हम काम कर लेंगे। हमभी कुछ पढ़ लिख कर आते। मेरी भी अकल कुछ तेज और पैनी होती इंटेलेक्चुअल बाउट्स होते। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें महरूम रहना पड़ा। अगर ज्यादा अच्छा पढ़ कर लोग आये होते तो न तो उनका इतना वक्त लगता और न हमारा ही इतना वक्त लगता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि माननीय पंत जी कितनी शांति से बातें सुनते रहते हैं। मुझे तो जब गुस्सा आता है और मैं बोल जाता हूं तब ध्यान आता है कि पंत जी किस तरह से बातों को सुनते रहते हैं। तो हमें यह सबक सीखना है और मैंने काफी सीखा है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को फिर सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूं जब मैं यह कहूं कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा क़दम उठाया है जिसमें इतने भाइयों ने अपना हाथ बटाया है और इसमें हिस्सा लिया है। वह लोगों का आशीर्वाद पाते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं अपने इन मित्रों की तरफ से और माननीय राज नारायण जी की तरफ से आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने जिस शांति और खूबी के साथ वक्त के बाहर और बेवक्त बैठ कर हाउस की कार्यवाही का संचालन किया। उसके लिये आप हमारे सारे सदन के धन्यवाद के पात्र हैं और इसके अलावा जो हमारे और भाई माननीय राजनारायण जी वगैरह हैं उनको जब कि सदन का कार्य ५ बजे लाजिमी खत्म हो जाना चाहिये तो उनको रात में ८–८ बजे तक और १२–१२ बजे तक बैठ कर काम करना पड़ा है। उनसे इसके लिये मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरी ही गलती हुई, कि इतनी देर उनको बैठना पड़ा। मैं राजनारायण जी की गलती नहीं मानता हूं। मेरी गल्ती है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह मुझे क्षमा करेंगे और मैं अपने दोस्तों को और विरोधी दल के जो दोस्त हैं उनको बधाई देता हूं कि वे बड़ी शान्ति से सदन में बैठ कर बेवक्त भी बैठे रहे।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, हमको एक मिनट दिया जाय। वही मिर्जापुर वाली बात के लिये। ११ अप्रैल के बाद इतने सत्याग्रही गये। कानपुर में इसीलिये हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि मिर्जापुर के सत्याग्रह में बल कम हो जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, बात बहुत बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष--कोई ऐसी बात नहीं है उन्होंने बात की जरा सफाई कर दी।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन रात्रि के ८ बज कर ३२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
२० सितम्बर, १९५४।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर।)

तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर के उन ग्रामों की सूची जिनमें जमीन का कटाव अधिक हुआ है।

१—पोखरा
२—गौरा
३—मनझनपुर
४—राजेपुर
५—नन्दवा
६—जनौर
७—कन्धी
८—करछूली
९—थनौआ
१०—जीरिकपुर
११—चोरहा
१२—रामपुर
१३—सकरा
१४—बंगालीपुर
१५—सोनाहिता
१६—बिकेपुर
१७—चान्दपुर
१८—बेसार
१९—फतूपुर
२०—केथुआ
२१—मुलनापुर
२२—केवटली
२३—तुरकौली
२४—सरायपन्डरी
२५—एकहूआ
२६—मनिकापुर
२७—चेती
२८—मन्दहा
२९—हिसामउद्दीनपुर
३०—सान्डीकलां
३१—मटौली द्वान
३२—बरवोपुर
३३—खतिरहा
३४—बौरई
३५—पतहना
३६—बूरी
३७—डीहगड़बार
३८—नाहरमऊ
३९—मैसहारामपुर
४०—कोटिला
४१—अचकारी
४२—कुसमैल
४३—करतोरा
४४—सिबरहा
४५—बाल्हामऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

क्रम संख्या	राजकीय कृषि फार्म	क्षेत्रफल एकड़ में	१९५१–५२ आय रुपयों में	१९५१–५२ व्यय (रुपयों में)	१९५२–५३ आय (रुपयों में)	१९५२–५३ व्यय (रुपयों में)	१९५३–५४ आय (रुपयों में)	१९५३–५४ व्यय (रुपयों में)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आलू अनुसन्धान फार्म फर्रुखाबाद ..	१०.२९	८,६५४	१६,७६३	७,८४१	१४,८६६	५,८९०	१४,१४८
२	कृषि फार्म, गुरसहायगंज ..	३७.७	३,७४६	१८,३८७	१४,१०४	१६,४७३	८,२७५	१७,६३९
३	कृषि फार्म, सराय मीरा ..	३६.६	३,५८८	१८,०६९	४,८७५	१५,११९	८,२०४	१३,५७९

अनुवाद विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर।)

प्रश्न संख्या २३ से संबंधित सूची

प्रदेश के उन जिलों की सूची जिनमें टिड्डी दलों ने जून के अन्तिम सप्ताह में हमला किया।

१—झांसी ..	.. १०—मैनपुरी
२—बांदा ..	.. ११—फर्रुखाबाद
३—जालौन ..	.. १२—इटावा
४—हमीरपुर ..	.. १३—इलाहाबाद
५—मेरठ ..	.. १४—फतेहपुर
६—अलीगढ़ ..	.. १५—हरदोई
७—आगरा ..	.. १६—प्रतापगढ़
८—मथुरा ..	.. १७—आजमगढ़
९—एटा ..	.. १८—सुलतानपुर।

विधान सभा सचिवालय पदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४—४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर।)

क्रम	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	व्यय				"कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या						प्रतिशत सफलता	
		१९५२–५३		१९५३–५४		१९५२–५३			१९५३ ५४			१९५२ ५३	१९५३ ५४
		आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	गाय	भैंस	योग	गाय	भैंस	योग		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	पाइलेट की विलेज सेंटर, छत्ता, (मथुरा)	५०,१६३–३–६		७३,४६४–०–९		१२१	४५८	५७९	१६२	२४०	४०२	७८.५	७०
२	कालोनाइजेशन डेयरी, फार्म,					४०	१९३	२३३	१८६	५४१	७२७	५२	६०
३	सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़					२१	५४	७५	११२	१३१	२४३	४५	६४
४	पशु चिकित्सालय, कानपुर					२०७	९७	३०४	६१८	२०२	८२०	..	६८
५	पशु चिकित्सालय, रायबरेली					४२	११५	१५७	१३८	१७३	३११	४४	५३
६	पशु चिकित्सालय, उरई जालौन					१	१४	१५	१२५	२४३	३६८	१००	८०
७	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म, निबलेट, बाराबंकी					६४	१४१	२०५	१२५	१९२	३१७	५७	७०
८	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म, नीलगाव, सीतापुर,					१०४	६२	१६६	१८०	९८	२७८	४५	५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	पशु चिकित्सालय, .. हलद्वानी, नैनीताल	१,५८,६६०–८–६०	१०	९१	१०१	१२३	१४९	२७२	५५	५२
१०	कालोनाइजेशन डेयरी फार्म, नगला, नैनीताल	२,४४,९९३–१०–०	११	१३२	१४३	१३८	२५०	३८९	७६	५५
११	पशु चिकित्सालय, .. सीतापुर,		२८	३२	६०	६२	२०९	२७१	३०	३९
१२	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म अराजी लाइन्स बनारस,		२७२	९४	३६६	३२९	२१५	५४४	६४	५७
१३	भदरी स्टेट, फार्म, बैन्ती प्रतापगढ़		१९०	२५४	४४४	२३४	२७९	५१३	७०	७०
१४	पशु चिकित्सालय, बस्ती		२२	१२७	१४९	४४	२४२	२८६	१५	७१
१५	पशु चिकित्सालय .. सुल्तानपुर		३४	६०	९४	९५	१०४	१९९	६२	५८
१६	पशु चिकित्सालय भरद्वाज, इलाहाबाद		२६७	२०	२८७	७९	१	८०	६७	४७
१७	बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा		९७	१७३	२७०	१८६	१७२	३५८	५५	४९
१८	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी डेयरी, बनारस		५८	२२	८०	१०६	१२९	२३५	४०	६९
१९	श्री कानपुर गोशाला .. सोसाइटी, भौन्ती, कानपुर		१४३	१५५	२९८	३४९	४६५	८१४	६८	६२
२०	श्री गोशाला फिरोजाबाद, आगरा		२०	६७	८७	१३७	१०८	२४५	४८	५१
२१	श्री गोशाला, जौनपुर		४७	४०	८७	२३४	१४६	३८०	६३	७२
२२	वक्शी का तालाब, लखनऊ		८	१४०	१४८	६	१३६	१४२	३३	५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	व्यय				कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या						प्रतिशत सफलता	
		१९५२–५३		१९५३–५४		१९५२–५३			१९५३–५४			१९५२–५३	१९५३–५४
		आवर्तक	अनावर्तक	आवर्तक	अनावर्तक	गाय	भैंस	योग	गाय	भैंस	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
२३	पशु चिकित्सालय, मेरठ	..	..	..	..	१३१	३५७	४८८	२०३	४४७	६५०		
	(क) पशु चिकित्सालय गाजियाबाद	..	..	..	..	..	..	..	२२	२६८	२९०		
२४	पशु चिकित्सालय, देवरिया	..	..	..	..	९३	२१३	३०६	११६	३९६	५१२		
२५	पशु चिकित्सालय, गाजीपुर		..	..	..	९०	३६९	४५९	६४	३२७	३९१		
२६	पशु चिकित्सालय, इटावा		..	..	..	५३५	१०१	६३६	६२५	९९	७२४		
	(क) सी० वी० एच० इटावा (सबसेंटर)	..	..	..	..	..	..	..	५१	२	५३		
	(ख) सी० वी० एच० अरेसिया (सब सेंटर)	..	..	..	..	..	..	..	३९	३	४२		
२७	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म, माधुरी कुंड, मथुरा	..	..	..	..	४५४	९५	५४९	३३६	९८	४३४		
२८	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म, भरारी, झांसी		..	..	..	५०२	२७	५२९	४३३	८	४४१		
२९	मेकनाइज्ड स्टेट फार्म, बाबूगढ़, मेरठ	..	..	..	..	२३०	४५५	६८५	३५१	९७६	१३२७		
३०	पशु चिकित्सालय, हवलक रोड, लखनऊ	..	..	..	..	८३७	८६३	१७००	..	..	..		
३१	स्टेट फार्म, गंजरिया, लखनऊ					"	"	"	६२२	८७०	१४९२		
३२	पशुचिकित्सालय, मुजफ्फ़र नगर	१९५३ ५४ में स्थापित											

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३३	पशु चिकित्सालय, एटा	प्लानिंग विभाग द्वारा हाल ही में स्थापित
३४	देहरादून स्टड फार्म, नेहरू ग्राम, देहरादून	
३५	की विलेज सेंटर बैजनाथ अल्मोड़ा	
३६	की विलेज सेन्टर, अलीपुर पट्टी मैनपुरी	
३७	की विलेज सेन्टर, बीकापुर फैजाबाद	
३८	की विलेज सेन्टर, भटाट, गोरखपुर	
३९	की विलेज सेन्टर, कसई देवरिया	
४०	की विलेज सेन्टर, घोसी, आजमगढ़	
४१	की विलेज सेन्टर, रतनपुर, बलिया	
४२	की विलेज सेन्टर, कासमाबाद, गाजीपुर	
४३	की विलेज सेन्टर, मोठ झांसी	
४४	पशु चिकित्सालय, हरद्वार, सहारनपुर	
४५	पशु चिकित्सालय, मुरादाबाद	स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्थापित
४६	पशु चिकित्सालय, फतेहपुर	
४७	पशु चिकित्सालय, हरदोई	

पी० एस० यू० पी ए० पी०—१७२ एल० ए०—१९५४—८५० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा